Tuesday, 02 June, 1964

# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# 3rd
# LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series


खण्ड ३२, १९६४/१८८६ (शक)

**Volume XXXII, 1964/1886 (Saka)**

[ २७ मई से ५ जून, १९६४/६ ज्येष्ठ से १५ ज्येष्ठ, १८८६ (शक) ]

**(May 27 to June 5, 1964/Jyaistha 27 to Jyaistha 15, 1886 (Saka))**



Preservation Unit
Parliament Library



आठवां सत्र, १९६४/१८८६ (शक)

(Eighth Session, 1964/1886 (Saka)

(खण्ड ३२ में अंक १ से ७ तक हैं)

**(Volume XXXII contains Nos. 1 to 7)**

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

**LOK SABHA SECRETARIAT**
**NEW DELHI**

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

810 (Ai) LSD—1.

## विषय-सूची

अंक ४–मंगलवार, २ जून, १९६४ / १२ ज्येष्ठ १८८६ (शक)


| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | | २३५—५६ |
| *तारांकित प्रश्न संख्या | | |
| ९२ | रेगिस्तान का विकास प्राधिकार | २३५–३६ |
| ९३ | ग्रामीण ऋणग्रस्तता | २३७–४१ |
| ९४ | बम्बई गोदी के खाद्यान्न श्रमिक | २४१ |
| ९५ | मेरठ शहर के समीप गाड़ी और ट्रक की टक्कर | २४२–४५ |
| ९६ | एक्सप्रेस डिलीवरी के लिफाफे | २४५–४८ |
| ९७ | गन्ने का मूल्य | २४८–५० |
| ९८ | दूसरा पोत-निर्माण कारखाना | २५०–५१ |
| ९९ | चीनी का मूल्य | २५२–५६ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | | २५६–३२६ |
| तारांकित प्रश्न संख्या | | |
| १०० | किसानों के लिये नई ऋण योजना | २५६ |
| १०१ | दूध के मूल्य | २५६–५७ |
| १०२ | श्री वाल्काट का भाग निकलना | २५७ |
| १०३ | "हार्बर लांच" की नौसेना के जहाज से टक्कर | २५७–५८ |
| १०४ | गेहूं के मूल्य | २५८–५९ |
| १०५ | दूध के सम्भरण में कमी | २५९–६० |
| १०६ | चीनी का उत्पादन | २६० |
| १०७ | चीनी के कारखानों का आधुनिकीकरण | २६०–६१ |
| १०८ | रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी को दिया गया ऋण | २६१ |
| १०९ | पंचायती राज | २६१–६२ |
| ११० | खाद्यान्नों का आयात | २६२ |
| १११ | रेलवे पास | २६२–६३ |


*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 4—*Tuesday, June 2, 1964/Jyaistha 12, 1886 (Saka).*


| Subject | Pages |
|---|---|
| ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | 235—56 |
| **Starred Questions Nos.* | |
| 92 Desert Development Authority | 235—37 |
| 93 Rural Indebtedness . . . | 237—41 |
| 94 Grain Workers of Bombay Docks . | 241 |
| 95 Train-Truck Collision Near Meerut City | 242—45 |
| 96 Express Delivery Envelopes . | 245—48 |
| 97 Price of Sugarcane | 248—50 |
| 98 Second Shipyard | 250—51 |
| 99 Price of Sugar . . | 252—56 |
| WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS | 256—326 |
| *Starred Questions Nos.* | |
| 100 New Credit Scheme for Farmers . | 256 |
| 101 Milk Prices . . . . . | 256—57 |
| 102 Escape of Mr. Walcott . . . . | 257 |
| 103 Collision of Harbour Launch with Navy Ship | 257—58 |
| 104 Price of Wheat . . . | 258—59 |
| 105 Shortfall in Milk Supply . . | 259—60 |
| 106 Sugar Production . . . | 260 |
| 107 Modernisation of Sugar Factories | 260—61 |
| 108 Loan to River Steam Navigation Co. | 261 |
| 109 Panchayati Raj . . . | 261—62 |
| 110 Import of Foodgrains . | 262 |
| 111 Railway Passes . . . . . . . . | 262—63 |


*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Meber.

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

तारांकित
प्रश्न संख्या


| | | |
|---|---|---|
| ११२ | भारतीय तटीय नौवहन | २६३ |
| ११३ | खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि | २६३ |
| ११४ | रेलवे अधिकारियों की सेवा निवृत्ति | २६४ |
| ११५ | चीनी मिलों पर बकाया रकम | २६४ |
| ११६ | बसों के किराये | २६४–६५ |
| ११७ | राज्यों के सहकार मन्त्रियों का सम्मेलन | २६५ |
| ११८ | राज्य सहकारी परिषदें | २६५–६६ |
| ११९ | पाकिस्तानी रेलगाड़ियां | २६६ |
| १२० | दिल्ली की सहकारी समितियां | २६७ |
| १२१ | कृषि उत्पादन कार्यक्रम | २६७–६८ |


अतारांकित
प्रश्न संख्या


| | | |
|---|---|---|
| १९१ | श्रीनगर हवाई अड्डा | २६८ |
| १९२ | रेलवे वर्कशाप | २६९–७० |
| १९३ | विमान सेवाओं का इकट्ठा किया जाना | २७० |
| १९४ | निज़ामाबाद पूर्णा सैक्शन | २७१ |
| १९५ | मोनामथुरा-विरुदनगर रेलवे लाइन | २७१ |
| १९६ | ब्रिटिश मालवाही जहाज का डूब जाना | २७२ |
| १९७ | टेलीफोन कनेक्शन | २७२ |
| १९८ | बड़े डाकखानों की इमारतें | २७३ |
| १९९ | हिसार में टेलीफोन कनेक्शन | २७३ |
| २०० | कालका रेलवे स्टेशन | २७३–७४ |
| २०१ | राजस्थान में नलकूप | २७४–७५ |
| २०२ | रेलगाड़ी द्वारा चार व्यक्तियों का कुचला जाना | २७५ |
| २०३ | इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन | २७५–७६ |
| २०४ | ग्राम्य स्वयंसेवक दल | २७६ |
| २०५ | फ्रण्टियर मेल | २७६ |
| २०६ | पिछड़े वर्गों की सहायतार्थ सहकारी समितियां | २७६–७७ |
| २०७ | दण्डकारण्य बोलंगीर किरिबुरु रेलवे परियोजना | २७७ |

| | Subject | PAGES |
|---|---|---|
| | WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.* | |
| *Starred Questions Nos.* | | |
| 112 | Indian Coastal Shipping | 263 |
| 113 | Rise in Prices of Foodgrains | 263 |
| 114 | Retirement of Railway Officers | 264 |
| 115 | Dues against Sugar Mills | 264 |
| 116 | Bus Fares | 264—65 |
| 117 | Conference of State Ministers of Co-operation | 265 |
| 118 | State Cooperative Councils | 265—66 |
| 119 | Pakistani Trains | 266 |
| 120 | Cooperative Societies of Delhi | 267 |
| 121 | Agricultural Production Programmes | 267—68 |
| *Unstarred Questions Nos.* | | |
| 191 | Srinagar Aerodrome | 268 |
| 192 | Railway Workshops | 269—70 |
| 193 | Pooling of Air Services | 270 |
| 194 | Nizamabad-Purna Section | 271 |
| 195 | Monamathura-Virudanaar Railway Line | 271 |
| 196 | Sinking of British Cargo Ship | 272 |
| 197 | Telephone Connections | 272 |
| 198 | Head Post Office Buildings | 273 |
| 199 | Telephone Connections in Hissar | 273 |
| 200 | Kalka Railway Station | 273—74 |
| 201 | Tubewells in Rajasthan | 274—75 |
| 202 | Four Persons run down by Train | 275 |
| 203 | I.A.C. | 275—76 |
| 204 | Village Volunteer Force | 276 |
| 205 | Frontier Mail | 276 |
| 206 | Cooperatives to help Backward Classes | 276—77 |
| 207 | D.B.K. Railway Project | 277 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

**अतारांकित प्रश्न संख्या**


| | | |
|---|---|---|
| २०८ | चीनी मिलों में चीनी की 'रिकवरी' | २७७ |
| २०९ | आसाम में चीनी मिल . . | २७७–७८ |
| २११ | एशियाई कृषि सहकारी सम्मेलन | २७८ |
| २१२ | चावल कुकर . . . | २७८–७९ |
| २१३ | पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये निगम | २७९ |
| २१४ | भोजन व्यवस्था सम्बन्धी प्रशिक्षण स्कूल | २७९ |
| २१५ | सहकारी स्टोरों में वस्तुओं के मूल्य . | २८० |
| २१६ | कृषि विश्वविद्यालय . | २८० |
| २१७ | बौड़पुर स्टेशन पर दुर्घटना . . | २८१ |
| २१८ | गाड़ियों की रफ्तार . | २८१ |
| २१९ | इस्तैमाल शुदा रेलवे टिकटों की पुनः बिक्री . | २८१–८२ |
| २२० | उड़ान के समय डकोटा विमान में आग लग जाना | २८२ |
| २२१ | इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की उड़ानें . | २८३ |
| २२२ | बम्बई की गोदियां . . . . | २८३ |
| २२३ | जोरहाट के लिए फाक्कर फ्रेण्डशिप विमान सेवा . . | २८३–८४ |
| २२४ | बम्बई की गोदियां . | २८४ |
| २२५ | खाद्यान्न का आयात . . | २८४–८५ |
| २२६ | रेलवे दुर्घटना समिति . . . | २८५ |
| २२७ | नरोज रेलवे पुल दुर्घटना . | २८५–८६ |
| २२८ | सुपारी . . | २८६ |
| २२९ | दिल्ली में चीनी की कमी . . . | २८६ |
| २३० | आई० ए० सी० के वाइकाउण्ट विमान की दुर्घटना की जांच . | २८६–८७ |
| २३१ | पुरी में बालूगान नामक स्थान पर टेलीफोन एक्सचेंज | २८७ |
| २३२ | उड़ीसा में सार्वजनिक टेलीफोन . . . | २८७ |
| २३३ | दक्षिण पूर्व रेलवे के कर्मचारी . . | २८८ |
| २३४ | कटक में रेलवे होस्टल . . | २८८ |
| २३५ | दक्षिण पूर्व रेलवे पर सहकारी ऋण समितियां . . | २८८ |
| २३६ | केरल में परोयार झील के पास हवाई अड्डा . . . | २८८–८९ |
| २३७ | केरल में चावल का मूल्य . . | २८९ |

| Subject | | PAGES |
|---|---|---|

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*


| *Unstarred Questions Nos.* | | |
|---|---|---|
| 208 | Recovery of Sugar Mills | 277 |
| 209 | Sugar Mill in Assam | 277—78 |
| 211 | Asian Agricultural Cooperative Conference | 278 |
| 212 | Rice Cooker | 278—79 |
| 213 | Corporation to Promote Tourism | 279 |
| 214 | Catering Training School | 279 |
| 215 | Prices of Articles in Cooperative Stores | 280 |
| 216 | Agricultural Universities | 280 |
| 217 | Accident at Baudpur Station | 281 |
| 218 | Speed of Trains | 281 |
| 219 | Resale of Used Railway Tickets | 281—82 |
| 220 | Fire in Dakota in Flight | 282 |
| 221 | I.A.C. Flights | 283 |
| 222 | Bombay Docks | 283 |
| 223 | Fokker Friendship Aircraft Service to Jorhat | 283—84 |
| 224 | Bombay Docks | 284 |
| 225 | Import of Foodgrains | 284—85 |
| 226 | Railway Accidents Committee | 285 |
| 227 | Naroj Railway Bridge Accident | 285—86 |
| 228 | Betel-nuts | 286 |
| 229 | Sugar Crisis in Delhi | 286 |
| 230 | I.A.C. Viscount Crash Enquiry | 286—87 |
| 231 | Telephone Exchange at Balugon in Puri | 287 |
| 232 | Public Telephone Call Offices in Orissa | 287 |
| 233 | Employees of the S.E. Railway | 288 |
| 234 | Railway Hostel at Cuttack | 288 |
| 235 | Cooperative Credit Societies on S.E. Railway | 288 |
| 236 | Aerodrome near Periyar Lake in Kerala | 288—89 |
| 237 | Price of Rice in Kerala | 289 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

**अतारांकित**
**प्रश्न संख्या**


| | | |
|---|---|---|
| २३८ | मछली उद्योग के लिए समुद्री इंजन | २८६ |
| २३६ | दक्षिण में पर्यटकों का यातायात . . . | २६० |
| २४० | चावल और धान का समाहार . | २६०–६१ |
| २४१ | चावल का समाहार मूल्य . . . | २६१ |
| २४२ | सरपंचों का प्रशिक्षण . . | २६१–६२ |
| २४३ | कलकत्ता पत्तन पर पाकिस्तानी राष्ट्रजन . | २६२–६३ |
| २४४ | विस्फोटक पदार्थों की चोरी . | २६३ |
| २४५ | कृषि उत्पादन . . . . . . | २६३–६४ |
| २४६ | नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के सम्मान में डाक टिकट . . | २६४ |
| २४७ | दिल्ली तथा भटिण्डा के बीच डाकगाड़ी . . . | २६४ |
| २४८ | दिल्ली तथा हावड़ा के बीच डीलक्स रेलगाड़ी . | २६४–६५ |
| २४६ | पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन . | २६५ |
| २५० | जेतसर में केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म . . | २६६ |
| २५१ | चावल तथा धान नियंत्रण आदेश | २६६–६७ |
| २५३ | कृषि का विकास . . . . | २६७ |
| २५४ | रेलवे बुक स्टाल . . . . | २६७ |
| २५५ | कृषि उत्पादों का निर्यात . . . | २६७–६८ |
| २५६ | वाराणसी में पत्रों का वितरण . . . | २६८–६६ |
| २५७ | नई दिल्ली तथा गाजियाबाद को मिलाने वाली रेलवे लाइन | २६६ |
| २५८ | 'कैरेवेल' विमान . . | २६६ |
| २५६ | सफेद शेर . . . | २६६–३०० |
| २६० | 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन . . . | ३००–०१ |
| २६१ | जवानवाला शहर और गुलेर के बीच रेलवे लाइन | ३०१–०२ |
| २६२ | मैसूर राज्य में चीनी के कारखाने | ३०२ |
| २६३ | गन्ने की उपलब्धता | ३०२ |
| २६४ | तम्बाकू का जमा हो जाना . . | ३०२–०३ |
| २६५ | मद्रास के लिये चीनी का अभ्यंश . | ३०३ |
| २६६ | सहकारी समितियां | ३०३–०४ |
| २६७ | कृषि के अन्तर्गत भूमि . | ३०४ |

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

*Unstarred Questions Nos.*

| | | |
|---|---|---|
| 238 | Marine Engines for Fish Industry . . . | 289 |
| 239 | Tourists Traffic in South | 290 |
| 240 | Procurement of Rice and Paddy . . | 290—91 |
| 241 | Procurement Price for Rice . . | 291 |
| 242 | Training of Sarapanches . . | 291—92 |
| 243 | Pakistani Nationals at Calcutta Port . | 292—93 |
| 244 | Theft of Explosives . . . . . | 293 |
| 245 | Agricultural Production . | 293—94 |
| 246 | Stamp in Honour of Netaji Subhash Chandra Bose | 294 |
| 247 | Mail Train between Delhi and Bhatinda | 294 |
| 248 | Delux Train between Delhi and Howrah | 294—95 |
| 249 | Rice Production in West Bengal . . . | 295 |
| 250 | Central Mechanised Farm at Jetsar . | 296 |
| 251 | Rice and Paddy Control Order . | 296—97 |
| 253 | Development of Agriculture . | 297 |
| 254 | Railway Book-stalls . . | 297 |
| 255 | Export of Agricultural Products | 297—98 |
| 256 | Delivery of Letters in Varanasi . . . . . | 298—99 |
| 257 | Railway Line connecting New Delhi and Ghaziabad | 299 |
| 258 | Caravelle Planes. . . | 299 |
| 259 | White Tigers . . . | 299—300 |
| 260 | Grow More Food Campaign . . . | 300—01 |
| 261 | Railway Line between Jawanwala Shahr to Guler . | 301—02 |
| 262 | Sugar Factories in Mysore state . | 302 |
| 263 | Availability of Sugarcane . . | 302 |
| 264 | Accumulation of Tobacco . . . . . . | 302—03 |
| 265 | Quota of Sugar for Madras | 303 |
| 266 | Cooperative Societies | 303—04 |
| 267 | Land under cultivation . . . . | 304 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

**अतारांकित**
**प्रश्न संख्या**


| | | |
|---|---|---|
| २६८ | विद्रोही नागाओं द्वारा मालगाड़ी पर आक्रमण | ३०४ |
| २६९ | परिष्करण कारखाने . | ३०५-०६ |
| २७० | चीनी मिलें . . . | ३०६ |
| २७१ | अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह का विकास | ३०६-०७ |
| २७२ | गोला बारूद वाले माल-डिब्बे में आग लगना | ३०७ |
| २७३ | दिल्ली में भूमिगत रेलवे . . | ३०७-०८ |
| २७४ | 'साइडिंग' और रेलवे लाइनों का निर्माण | ३०८ |
| २७५ | खाद्यान्न का उत्पादन . . . | ३०९ |
| २७६ | दिल्ली में रिंग रेलवे . . . | ३१० |
| २७७ | दिल्ली में पटेल रोड पर ऊपरी पुल | ३१० |
| २७८ | पंजाब और राजस्थान में अभाव की स्थिति . | ३१०-११ |
| २७९ | जैसलमेर को रेलवे से मिलाना . . | ३११ |
| २८० | राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३४ पर पुल | ३११ |
| २८१ | विशेष डाक टिकटें . . . | ३११ |
| २८२ | कालीकट में हवाई अड्डा . . . | ३१२ |
| २८३ | एरणाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन . . | ३१२ |
| २८४ | विदेशी जहाजी फर्मों का सहयोग . . | ३ २-१३ |
| २८५ | मराठी साहित्य सम्मेलन . . . . | ३१३-१४ |
| २८६ | दिल्ली के बाजार में आटा . . . . | ३१४ |
| २८७ | अंदमान में असैनिक उड्डयन के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर | ३१४ |
| २८८ | दिल्ली दुग्ध योजना . . . | ३१५ |
| २८९ | उत्तरी रेलवे पर चीजें बेचने के ठेके | ३१५ |
| २९० | हल्दिया पत्तन . . . . . | ३१५ |
| २९१ | बेलाडिल्ला-कोट्टावालसा रेलवे . . | ३१६ |
| २९२ | विशाखापटनम चेनल . . . . | ३१६ |
| २९३ | भद्राचलम के निकट पुल . . . . | ३१६-१७ |
| २९४ | बेल्लारी से गडग तक लोकल ट्रेन . . . | ३१७ |
| २९५ | पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे की गाड़ियों में जलपान डिब्बे . | ३१७ |
| २९६ | मंगलौर तथा तूतीकोरिन पत्तन . | ३१७-१८ |

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*


| *Unstarred Questions Nos.* | | |
|---|---|---|
| 268 | Attack on a Goods Train by Hostile Nagas . . | 304 |
| 269 | Processing Units | 305—06 |
| 270 | Sugar Mills | 306 |
| 271 | Development of Andaman and Nicobar Islands | 306—07 |
| 272 | Fire to Ammunition Wagon . | 307 |
| 273 | Under-Ground Railway System in Delhi . . | 307—08 |
| 274 | Construction of Sidings and Tracks . | 308 |
| 275 | Production of Foodgrains | 309 |
| 276 | Ring Railway in Delhi . | 310 |
| 277 | Overbridge on Patel Road in Delhi . | 310 |
| 278 | Scarcity conditions in Punjab and Rajasthan . | 310—11 |
| 279 | Linking Jaisalmer by Railway . | 311 |
| 280 | Bridges on National Highway No. 34 . . | 311 |
| 281 | Special Stamp . . . . | 311 |
| 282 | Aerodrome at Calicut . | 312 |
| 283 | Ernakulam-Trivandrum Railway Line . . | 312 |
| 284 | Collaboration with Foreign Shipping Firms | 312—13 |
| 285 | Marathi Sahitya Sammelan . . | 313—14 |
| 286 | *Atta* in Delhi Market . . . | 314 |
| 287 | Quarters for Civil Aviation Staff in Andamans . | 314 |
| 288 | Delhi Milk Scheme . . . . . . | 315 |
| 289 | Vending contract on Northern Railway | 315 |
| 290 | Haldia Port . . | 315 |
| 291 | Bailadilla-Kottavalsa Railway . | 316 |
| 292 | Vishakhapatnam Channel . . | 316 |
| 293 | Bridge near Bhadrachallam . . | 316—17 |
| 294 | Local Train from Bellary to Gadag . . | 317 |
| 295 | Refreshment Cars in Trains on N.E.F. Railway . | 317 |
| 296 | Mangalore and Tuticorin Ports . . . . . | 317—18 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

**अतारांकित**
**प्रश्न संख्या**


२६७ दिल्ली दुग्ध योजना की दूध की बोतलों में कीटाणुओं का पाया जाना . . . ३१८
२६८ प्रव्रजकों के लिये स्पेशल गाड़ियां . ३१८–१९
२६९ गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी की मात्रा ३१९
३०० उत्तर रेलवे में पार्सल तथा गुड्स क्लर्क . ३१९–२०
३०१ रेलवे पास . . ३२०–२१
३०२ रेलवे लेखा सेवा . . ३२१
३०३ राजस्थान में आटे की चक्कियां . ३२१–२२
३०४ ग्रांड ट्रंक रोड . . . . ३२२–२३
३०५ मीनक्षेत्र निगम . . . ३२३
३०६ डाकखानों का यंत्रीकरण . . ३२४
३०७ रेलवे का विद्युतीकरण . ३२४
३०८ रेलवे में ली जाने वाली दरें . . . ३२४–२५
३०८–क उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण ३२५
३०८–ख दिल्ली स्टेशन के रेलवे अधिकारी . . . ३२५
३०८–ग अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह से प्राप्त की जाने वाली इमारती लकड़ी ३२६
३०८–घ अन्डमान ट्रंक रोड ३२६

**अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना**

पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को पश्चिमी पाकिस्तान से जाने वाली रेल गाड़ियों का रोका जाना . . . ३२६–२८
श्री मोहन स्वरूप . . . . . ३२६
श्री हाथी . . . . . . ३२७–२८

**सभा पटल पर रखे गये पत्र** . . . . . ३२८–२९

**कार्य मंत्रणा समिति**

अट्ठाईसवां प्रतिवेदन . . . . . ३३०

**संविधान (उन्नीसवां संशोधन) विधेयक, १९६४** . . . ३३०–४३
खण्ड २, ३ और १ . . . . . ३३३–३७

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

*Unstarred Qustions Nos.*


297 Insects in D.M.S. Milk bottles . . . . . . 318

298 Special Trains for Migrants. . . . . . 318—19

299 Sugar content in Sugarcane . . . 319

300 Parcel and Goods Clerks on N. Railway . . 319—20

301 Railway Passes . . . . . 320—21

302 Railway Accounts Service . . . . . . . 321

303 Flour Mills in Rajasthan . . . . . 321—22

304 G.T. Road . . . . . . . . 322—23

305 Fisheries Corporation . . . . . 323

306 Mechanisation of Post Offices . . 324

307 Electrification of Railways . . . 324

308 Rates Charged in Railways . . . . . 324—25

308-A Border Road Construction in U.P. . . . 325

308-B Railway Officials at Delhi Station . . . . 325

308-C Timber extracted from Andaman and Nicobar Islands . 326

308-D Andaman Truck Road . . . . . 326

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

Holding up of trains carrying Pakistani Nationals to West Pakistan. 326—28

Shri Mohan Swarup 326

Shri Hathi 327—28

Papers laid on the Table . . . . . 328—29

Business Advisory Committee

Twenty-eighth Report . 330

Constitution (Nineteenth Amendment) Bill . 330—43

Clauses 2, 3 and 1 . . 333—36

संविधान (उन्नीसवां संशोधन) विधेयक

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . ३३०

श्री अ० कु० सेन . . . . . . ३३१–३७

श्री रंगा . . . ३३७–३९

श्री दाजी . . . . . . ३३९–४०

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी . . . . ३४०–४१

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी . . . . ३४१

श्री उ० मू० त्रिवेदी . . . . . ३४१–४३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६४–६५ . . . ३४३–५२

श्री स० मो० बनर्जी . . ३४४

श्री सरजू पाण्डेय . . ३४४–४५

श्री प्र० के० देव . . . ३४५

श्री बड़े . . . . . ३४५–४६

श्री हरि विष्णु कामत . . ३४६–४७

श्री शिवमूर्ति स्वामी . . . . . ३४७–४८

श्री अ० ना० विद्यालंकार . . . . ३४८–४९

डा० मेलकोटे . . . . ३४९

श्री यशपाल सिंह . . . . ३४९–५०

श्री व० बा० गांधी . . . . ३५०

श्री कानूनगो . . . . ३५०

श्री ति० त० कृष्णमाचारी . . . . ३५०–५२

विनियोग (संख्या ४) विधेयक १९६४—पारित . . . ३५२–५३

गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक . . ३५३–५५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३५३

श्री दे० शि० पाटिल . . . . . ३५३–५४

महाराजकुमार विजय आनन्द . . . . ३५४–५५

———

Constitution Nineteenth Amendment Bill — *contd.*

Motion to pass, as amended : . . . . . 330

Shri A.K. Sen . . . . . . 331—37
Shri Ranga . . . . . . . 337—39
Shri Daji . . . . . . . 339—40
Shri Surendranath Dwivedy . . . . . 340—41
Dr. L.M. Singhvi . . . . . . . 341
Shri U.M. Trivedi . . . . . 341—43

Supplementary Demands for Grants (General), 1964-65 343—52

Shri S.M. Banerjee . . . . . . 344
Shri Sarjoo Pandey . . . . . . 344—45
Shri P.K. Deo . . . . . . . . 345
Shri Bade . . . . . . . . . 345—46
Shri Hari Vishnu Kamath . . . . . . 346—47
Shri Sivamurthi Swamy . . . . . . 347—48
Shri Vidyalankar . . . . . . . . 348—49
Dr. Melkote . . . . . . . . . 349
Shri Yashpal Singh . . . . . . . 349—50
Shri V.B. Gandhi . . . . . . . 350
Shri Kanungo . . . . . . . 350
Shri T.T. Krishnamachari . . . . . . 350—52

Appropriation (No. 4) Bill, 1964—passed . . . . . . 352—53

Slum Areas (Improvement and Clearance) Amendment Bill, as reported by Joint Committee . . . . . . . 353—55
Motion to consider . . . . . . . 353
Shri D. S. Patil . . . . . . . . 353—54
Maharajkumar Vijaya Ananda . . . . . . 354—55

# लोक-सभा

# LOK SABHA

मंगलवार, २ जून, १९६४/१२ ज्येष्ठ, १८८६ (शक)

*Tuesday, June 2, 1964 / Jyaistha 12, 1886 (Saka)*

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

*The Lok Sabha Met at Eleven of the clock.*

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair.*]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### रेगिस्तान विकास प्राधिकार

*९२. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अन्तर्राज्यीय आधार पर एक रेगिस्तान विकास प्राधिकार की स्थापना के लिए कुछ तथ्यान्वेषी कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी पृष्ठभूमि क्या है और परिणाम क्या हुए हैं; और

(ग) प्राधिकार के कृत्य, शक्तियां तथा कार्यक्रम क्या होंगे ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). देश में रेगिस्तानी क्षेत्रों के और अधिक तेजी से विकास करने के लिए एक रेगिस्तान विकास प्राधिकार बनाने का एक प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है। बोर्ड के कामों, शक्तियों और संचालन प्रोग्राम का ब्यौरा अभी तक निश्चित नहीं किया गया है ।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : विशेषज्ञों, अधिकारियों और स्वयं मंत्री महोदय ने इस प्रस्ताव की कहां तक और किस रूप में जांच की है एवं किया जा रहा विचार कहां तक निश्चित हो गया है ?

**डा० राम सुभग सिंह** : हमने विभिन्न मंत्रालयों की एक अन्तरमंत्रालय बैठक बुलाई थी और वह १८ अक्तूबर, १९६३ को बुलाई गई थी। उसके बाद इस प्रश्न पर योजना आयोग के साथ विचार विमर्श किया गया और उसके बाद हमें अनुमति मिल गई। जैसा कि मैं मुख्य उत्तर में कह चुका हूं कि अब केवल अन्तिम रूप दिया जाना शेष है ।


310 (Ai) LSD—2.

**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : सरकार जिस प्रस्ताव पर विचार कर रही थी उसकी विशेषतायें क्या हैं ?

**डा० राम सुभग सिंह** : वास्तव में, विशेषतायें, अर्थात् मुख्य उद्देश्य ये हैं : (क) रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाओं के बनाये जाने का पुनरीक्षण करते रहना, (ख) राज्य या केन्द्रीय व्यवस्था द्वारा इन योजनाओं को लागू करना, (ग) योजनाओं की प्रगति में बाधा डालने वाली प्रशासी और वित्तीय कठिनाइयां दूर करना, और (घ) यह सुनिश्चित करना कि रेगिस्तानी क्षेत्रों पर यथोचित ध्यान दिया जाय ।

**श्री प्र० ना० विद्यालंकार** : कुल कितना क्षेत्र इसके क्षेत्राधिकार में होगा और इसके लिये कितनी रकम रखी गई है ?

**डा० राम सुभग सिंह** : उत्तरी रेगिस्तानी खण्ड में --क्योंकि रेगिस्तान केवल राजस्थान में ही नहीं है---लद्दाख और गिलगट के मैदान में कुल क्षेत्र १,२८,७५० वर्ग किलोमीटर है; राजस्थान पंजाब और गुजरात में यह क्षेत्र लगभग २,९५,००० वर्ग किलोमीटर है, दक्षिणी सूखा क्षेत्र में, विशेषकर बेलारी, कुड्डापाह, अनन्तपुर और चीतलदुर्ग जिलों में यह क्षेत्र लगभग ५३,८९५ वर्ग किलोमीटर है । रकम अभी हमने निश्चित नहीं की है ।

**श्री इकबाल सिंह** : रेगिस्तान बोर्ड से राज्यों और अन्य संस्थाओं का क्या सबंध होगा ?

**डा० राम सुभग सिंह** : भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय मेरा अभिप्राय है वे मंत्रालय जिनका वहां विकास कार्य है---और राज्यों के प्रतिनिधि । इसके अतिरिक्त हम यह भी विचार कर रहे हैं कि केन्द्रीय रेगिस्तान विकास ाधिकार को छोड़ कर राज्य रेगिस्तान विकास बोर्ड भी होने चाहिये । इन में भी हम केन्द्रीय प्रतिनिधि रखना चाहेंगे क्योंकि हम रेगिस्तानी क्षेत्रों का समन्वित रूप में विकास करना चाहते हैं ।

**श्री प्र० प्र० जैन** : रेगिस्तान विकास प्राधिकार का जो उद्देश्य मत्रीय महोदय ने बताया है प्रायः उसी के लिये जोधपुर में रेगिस्तान अनुसन्धान केन्द्र खोला गया था । इसे क्या सफलता मिली है और अनुसन्धान सस्था में प्राप्त हुए परिणामों का कितना विस्तार हुआ है, आप का समूचा मूल्यांकन क्या र ?

**डा० राम सुभग सिंह** : उस केन्द्रीय सूखा खण्ड अनुसन्धान संस्था के अन्तर्गत हमने चार स्थानों की परियोजनायें रखी थीं जो उस संस्था के तत्वाधान में लागू हो रही है । इसके अतिरिक्त, राजस्थान के रेगिस्तान में ५८ घास की पट्टियां हैं । घास की प्रत्येक पट्टी में लगभग ५० से १०० एकड़ भूमि है और वहां विभिन्न प्रकार की घास उगाई जाती है । इस संस्था के तत्वाधान में उस क्षेत्र में एक हजार से अधिक किस्म के पेड़ लगाये गये हैं ।

**श्री प्र० प्र० जैन** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । वहां सस्था पांच,छः वर्ष से विद्यमान है, इस ने कुछ परिणाम निकाले हैं ; कुछ अनुसन्धान कार्य किया है । यह कहां तक बढ़ा है और इसे विस्तृत रूप से क्यों नहीं बढ़ाया गया ?

**डा० राम सुभग सिंह** : मैं समझता हूं कि मैंने इस का उत्तर दे दिया है, क्योंकि उस संस्था ने जो अनुसन्धान कार्य किया था---अनुसन्धान कार्य इस अर्थ में कि रेगिस्तान का विस्तार रोकने और रेगिस्तान समाप्त करने की दृष्टि से सारे रेगिस्तान में लगाई जाने वाले अनेक प्रकार के पौधे,

घास और अन्य चीजों का पता लगाया है—वह अधिकतर सफल रहा है और इस बोर्ड में भी हम उस संस्था का एक डाइरेक्टर रख रहे हैं ।

**Shri Y.S. Chaudhri:** Is there any provision in this scheme to check and control the expansion of desert in the States other than ajasthan, especially in Southern Punjab,Delhi or Northern India where the problem of expansion of desert has arisen ?

**Dr. Ram Subhag Singh:** As I have already stated northern Eastern Arid Zone, includes Southern part of Punjab, that is the area consisting of Mahendragarh, Bhiwani etc.

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सरकार का विचार मंत्री महोदय द्वारा उल्लिखित तीनों क्षेत्रों के लिए एक बोर्ड बनाने का है, क्योंकि तीनों विभिन्न प्रदेशों में स्थितियां सर्वथा भिन्न हैं। यह बोर्ड कैसे काम करेगा ?

**डा० राम सुभग सिंह** : विचार यह है कि एक केन्द्रीय बोर्ड बनाया जाय जिसमें इन राज्यों के प्रतिनिधि होंगे और राज्य बोर्ड भी होंगे क्योंकि उदाहरणार्थ लद्दाख में राजस्थान की अपेक्षा समस्या सर्वथा भिन्न है । अतः राज्य बोर्ड बना रहे हैं और इनके अलवा हमारा विचार एक केन्द्रीय बोर्ड बनाने का है और इस प्रकार हम समन्वित ढंग से काम करना चाहते हैं ।

**श्री रंगा** : क्या क्षेत्र संबंधी उनका विचार निश्चित नहीं है और इसकी भी गुंजाइश है कि मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों को और तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ भागों को, जहां प्रायः रेगिस्तान की सी स्थितियां हैं, इस बोर्ड के क्षेत्राधिकार में लाया जाय ताकि वे क्षेत्र भी उस ढंग से विकसित हो सकें जिसका सुझाव माननीय मंत्री ने दिया है ?

**डा० राम सुभग सिंह** : यही विचार है । हां, यह निश्चित नहीं है क्योंकि हम अब भी आरम्भ में ही हैं । हां, यह बात निश्चित है कि जिन क्षेत्रों के बारे में कार्यवाही करने की आवश्यकता है, हम उन का विकास करना चाहते हैं ।

**Shri Sheo Narain** : May I know the names of States where there are desert areas and the total area they cover and whether Government are making any arrangement to check the expansion of desert ?

**Dr. Ram Subhag Singh:** I have given these figures in answer to a supplementary question earlier that desert area covers millions of kilometres and it would not be proper for me to repeat the same. To check its expansion, the main job is to plant trees and grass, install tube wells, transmit electricity, power and extend road etc. All these things are included there .

## ग्रामीज ऋग ग्रस्तता

+

*६३. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
**श्री गोकुलानन्द महन्ती** :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ग्रामीण ऋण ग्रस्तता के बारे में रिजर्व बक के नवीनतम सर्वेक्षण की ओर गया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है तथा स्थिति में सुधार लाने के लिए उसका क्या उपाय करने का विचार है ?

**सामुदायिक विकास तथा सहयोग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) जी हां। भारत सरकार का ध्यान अखिल भारतीय ग्रामीण ऋणता और नियोजन सर्वेक्षण (१९६१–६२) की ओर आकर्षित किया गया है। यह सर्वेक्षण रिजर्व बैंक ने किया था। और इस के प्रारम्भिक परिणाम दिसम्बर, १९६३ में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के बुलेटिन में प्रकाशित हुए थे।

(ख) ग्रामवासियों को ऋण देने में सहकारी संस्थाओं का बहुत थोड़ा हाथ है और उस ढांचे को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है ताकि यह वांछित कार्य कर सके इन बातों के महत्व के बारे में आसाम, बिहार, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल की सरकारों पर जोर दिया गया था क्योंकि वहां स्थिति अपेक्षाकृत खराब थी।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय गांवों की ऋणता की पूरी समस्या को हल करने की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, यही मेरा प्रश्न है। यदि नहीं, तो विभिन्न मंत्रालय इसमें कैसे भाग लेते हैं और उसका समन्वय कैसे होता है ? ग्रामीण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इसके लिये वे अपने आप को कहां तक जिम्मेदार समझते हैं, और इन वर्षों में वैसी ही स्थितियां बनी रही हैं और महाजनों का कब्जा बढ़ता जा रहा है ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है, मैं नहीं जानता। मैंने वित्त मंत्री से प्रश्न पूछा था, जो सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय को भेज दिया गया। वह कहते हैं कि वह आंशिक रूप में जिम्मेदार है। अतः मैं यह प्रश्न पूछता हूं। हमें बताइये कि इस सरकार में कौन जिम्मेवार है।

**श्री श्यामधर मिश्र** : जहां तक उत्पादन के उद्देश्य से किसानों को ऋण चाहिए, वहां सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय का सबध है। यह गांवों के सभी कामों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन जहां तक प्रभाव का सम्बन्ध है, इसका एक निश्चित प्रभाव पड़ा है। १९५१–५२ में किसानों और जोतने वालों को २३ करोड़ रु० ऋण दिया गया था और १९६२–६३ में लगभग २५० करोड़ रु० ऋण दिया गया है। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के भी परिणाम निकले हैं। वे केवल प्रारम्भिक परिणाम हैं और अन्तिम परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार हालत बिगड़ गई है और देहाती कर्जदारी हर साल बढ़ी है। क्या सरकार और मंत्रालय में कोई नई जिम्मेदारी पैदा हुई है और क्या प्रभावित करने का उनका कोई नया प्रोग्राम है ?

**श्री श्यामधर मिश्र** : किसान की आर्थिक प्रगति का अर्थ यह नहीं है और न ही होना चाहिये। उस की ऋणता कम हो जायेगी। वास्तव में यदि पूंजी निर्माण न हो तो ऋण में वृद्धि होना बुरा है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लगभग ५०० करोड़ रु० की पूंजी का निर्माण होता है और देहाती किसानों को लगभग ५०० करोड़ रु० की बचत होती है। अतः ऋण का होना और किसानों को बचत होना एवं ऋणों से यह नहीं समझाना चाहिए उनकी अर्थ-व्यवस्था बिगड़ रही है। दूसरी ओर, थोड़े से जो परिणाम प्राप्त हुए हैं— वे अन्तिम परिणाम नहीं हैं—उनसे स्पष्ट रूप से विदित होता है कि अधिकतर राज्यों में किसानों को बचत बढ़ रही है। हां, तीन या चार राज्यों में, जिन के नाम मैं मुख्य उत्तर मैं बता चुका हूं, ऐसी स्थिति नहीं है।

**Shri Kashi Ram Gupta**: Agriculturists cannot come out of the clutches of Mahajans unless they get full amount from Government. Has any scheme been chalked out so as to save the agriculturists from exploitation by these Mahajans? Has any consideration been given to the indebtedness of landless labourers ?

**Shri Sham Dhyar Misra:** It has been estimated that agriculturists,need about 1300, 1400 crores of rupees per year for production purposes. As against this nearly Rs. 250 crores are being advanced. It is expected that by the end of Third Five Year Plan nearly Rs. 400 crores might be given. May be that by the end of Fourth Five Year Plan, about Rs. 700 crores or 750 crores might be given.

For landless farmers also, who are engaged in cultivation, a guarantee scheme has been prepared. District bank and cooperative societies have been asked that they should grant loans to them. If this results in any loss, it would be guaranteed against and Government would pay her share.

**श्री कपूर सिंह :** क्या सरकार की तथाकथित भूमि सुधार की नीतियां ही मुख्य रूप से गांवों में ऋण बढ़ने के लिए जिम्मेदार हैं ?

**श्री श्यामधर मिश्र** : इस का एक कारण नहीं है। इस के अनेक कारण हैं।

**श्री कपूर सिंह** : मुख्य कारण क्या है ?

**श्री श्यामधर मिश्र** : निश्चय ही यह वृद्धि सरकार की भूमि सुधार संबंधी नीतियों के कारण नहीं हुई हैं। इसके अन्य कई कारण हो सकते हैं।

**Shri Sarjoo Pandey :** The hon. Minister has said that to save the rural population from indebtedness, cooperatives are making advances. Has this fact come to the notice of Government that for repaying the loans of cooperatives, farmers are turning to Mahajans more and more ? If so, what action is being taken by Government in this regard ?

**Shri Shyam Dhar Misra :** Unfortunately, in our economy and at least in rural economy and farmers' economy, the condition is that whatever amount the farmer gets during the year, he is unable to repay the same in full because he has weak financial condition. This is possible that to make the repayment of the loans of cooperatives, he gets some money from Mahajan. It has been reflected in the report of National Sample Survey that whatever loan the farmers takes, some portion of it comes from Mahajans because his financial position is very weak.

**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या यह सच है कि सहकारी आंदोलन का प्रभाव देश पर नहीं पड़ा है क्योंकि प्रत्येक गांव में सहकारी समिति की स्वयंशोधिता संबंधी सरकारी कोई निश्चित नीति नहीं है और यह भी कारण है कि ऋण को विपणन से मिलाने के बारे में सरकार में प्रोत्साहन नहीं है और यदि स्थिति ऐसी है तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही करेगी ?

**श्री श्यामधर मिश्र** : जहां तक समितियों की स्वयंशोधिता का संबंध है सभी निश्चित कार्यवाही की गयी है। बी० एल० मेहता समिति की सिफारिशों के बाद राज्य सरकारों को स्पष्ट अनुदेश दे दिये गये हैं। इस बारे में देश में नीति की कोई कमी नहीं है। कार्यान्विति नहीं हुई है, वित्त और नेतृत्व का अभाव है और वह बनानी होगी। हम इस संबंध में भरसक प्रयास कर रहे हैं।

**श्री शा० ना० चतुर्वेदी** : देहात कहां तक सहकारी समितियों और कहां तक महाजनों के कर्जदार हैं ?

**श्री श्यामधर मिश्र** : १९५१–५२ में सहकारी समितियों ने केवल ३ प्रतिशत ऋण दिया था। आजकल, १९६२–६३ में यह प्रतिशत बढ़कर २० प्रतिशत हो गया है।

**Shri Yashpal Singh:** During the days of British rule, we took the first vow to make the peasantry debters. What steps are being taken to fulfil the promise ?

**Shri Shyam Dhar Misra:** What was the vow—the peasantry would be made debtless or that their economic standard would be raised ? To take debt is not bad provided it is utilised to develop economy and to raise the economic standard.

**श्री प्रभात कार** : मंत्री महोदय ने कहा है कि भूमिहीन व्यक्तियों को दिये जाने वाले ऋणों पर सरकारी गारंटी होती है। यह योजना अब तक किन राज्यों में लागू हो गई है ?

**श्री श्यामधर मिश्र** : यह योजना महाराष्ट्र गुजरात आन्ध्र के एक भाग, केरल के एक भाग, पंजाब और मद्रास में लागू की जा रही है और सरकार सहकारी बैंकों को गारंटी वाली रकम की कुछ रकम दे रही है। योजना कुछ अन्य राज्यों में भी लागू की जा रही है उनके नाम एकदम नहीं बता सकता।

**श्री बे० जी० नायक** : सहकारी आन्दोलन की बंगाल, आसाम, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे पूर्वी राज्यों में कोई प्रगति नहीं हुई है। इन राज्यों में सहकारी आन्दोलन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

**श्री श्यामधर मिश्र** : दुर्भाग्य की बात है कि माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित राज्यों में आन्दोलन को गति मध्यम है। हमने अनेक सम्मेलन और बैठकें कीं और समितियों के पुनर्गठन, बैंकों को सबल बनाने, ब्याज की दर घटाने आदि को मिलाकर अनेक कार्यवाही की हैं। प्रोग्राम का पुनर्गठन करने के लिये हम ने इन राज्यों को देने के लिए एक करोड़ रुपया अलग रखा है ताकि सहकारी आन्दोलन में तेजी आ सके।

**Shri Bade :** Farmers get loan from three sources, that is, Government, Mahajan and cooperatives. If farmer gets Rs. 100, Rs. 6 come from cooperative, Rs. 6 come from Government and rest of the money come from Mahajan. In view of this, do Government propose to formulate any scheme under which Debt Concession Board or Debt Relief Board, land mortgage banks would be set up and the crops together with cattle would be insured, as has been done in Punjab ?

**Shri Shyam Dhar Misra:** This is a very wide question. This has been constantly under considerations. There is no one positive scheme for this. There are so many implications and all of them are under consideration.

**The Minister of Food and Agriculture (Shri Swaran Singh)** : I may further add for the information of the Hon. Member that crop insurance has been introduced nowhere—not even in Punjab.

**Shri Tan Singh:** Only Rs. 250 crores are being given against the demand of Rs. 1400 crores. and by the end of Fourth Five Year Plan only Rs. 400 crores would be given. This ind cates that it will take centuries for the target

achieved. Are Government trying to find out some other means to gear up the whole machinery ?

**Shri Shyam Dhar Misra:** Every possible measure is being thought of. I have indicated that the amount has increased from Rs. 23 crores to Rs.250 crores, and we expect this would further increase to Rs. 400 crores, Rs. 700 crores and Rs. 1000 crores by the end of Third, Fourth and Fifth Five Year Plan, respectively. But this is subject to the condition that everywhere co-operative structure and financial structure is strengthened and that the leadership grows. Only Government's efforts are not enough.

**बम्बई गोदी के खाद्यान्न श्रमिक**

*९४. **श्री यशपाल सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय तथा पत्तन और गोदी श्रमिक संघ बम्बई के बीच कोई ऐसा समझौता हुआ है जिसके अनुसार बम्बई गोदियों के खाद्यान्न श्रमिकों की मजूरी बढ़ाने की मांग की जांच करने के लिए एक न्यायाधिकरण नियुक्त किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इन श्रमिकों की अन्य मांगों की अलग से जांच करने का भी सरकार का विचार है; और

(ग) अन्य मांगों का प्रश्न न्यायाधिकरण को न सौंपने के क्या कारण हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) और (ख) जी हां।

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ के अन्तर्गत ठेकेदार और मजदूरों के पारस्परिक विवाद ही न्यायाधिकरण मे भेजे जा सकते हैं। खाद्यान्न मजदूरों की अन्य मांगें अतिरिक्त रियायत की हैं जो कि उन्हें आजकल बम्बई अपंजीबद्ध गोदी मजदूर (रोजगार विनियमन) योजना, १९५७ के अन्तर्गत नहीं दी जा सकतीं। सरकार को इन पर विचार करना होगा।

**Shri Yashpal Singh:** How long would it take ?

**श्री अ० म० थामस :** जहां तक औद्योगिक न्यायाधिकरण का सम्बन्ध है, केवल इसके लिये किसी व्यक्ति की श्रम मंत्रालय द्वारा नियुक्ति की जानी है। अन्य मांगों पर खाद्य तथा कृषि मंत्रालय विचार कर रहा है यह काम लगभग पूरा हो गया है। हम ने वित्त मंत्रालय से परामर्श कर लिया है। अब यह मामला श्रम मंत्रालय के विचाराधीन है। आशा है कि हम अपना निर्णय शीघ्र घोषित कर सकेंगे।

**Shri Yashpal Singh:** To what extent the decision could be expedited if the Ministry of Food transfers this work to the Ministry of Labour ?

**श्री अ० म० थामस :** नहीं। वास्तव में हम ने वित्त मंत्रालय के परामर्श से इस मामले में अपने निष्कर्ष निकाल लिये हैं। परन्तु औपचारिक घोषणा उस समय ही होगी जबकि श्रम मंत्रालय इसे देख लेगा। इसलिए इसे श्रम मंत्रालय भेजा गया है।

## मेरठ शहर के समीप गाड़ी और ट्रक की टक्कर

+

*९५. श्री प्र० के० देव:
श्री मोहन स्वरूप:
श्री स० मो० बनर्जी:
श्री म० ला० द्विवेदी:
श्री सुबोध हंसदा:
श्री स० चं० सामन्त:
श्रीमती सावित्री निगम:
श्री दाजी:
श्री ओंकार लाल बेरवा:
श्री गोकरन प्रसाद:
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती:
श्री चुनी लाल:

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ६ मई, १९६४ को मेरठ शहर के समीप एक मालगाड़ी की एक ट्रक से टक्कर हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) समपार (लेवल क्रासिंग) पर कोई चौकीदार था या नहीं;

(घ) क्या इस दुर्घटना की कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) जी, हां।

(ख) चार व्यक्ति मारे गये और दो सख्त घायल हुए।

(ग) इस समपार पर चौकीदार है।

(घ) जी हां।

(ङ) अभी जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है।

**श्री प्र० के० देव:** क्या मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को कोई क्षतिपूर्ति दी गयी है?

**श्री शाहनवाज खां:** जी अभी नहीं।

**Shri Mohan Swarup:** May I know the extent of damage caused to engine and wagons that were derailed and the extent of loss to goods contained in the wagons?

**Shri Shahnawaz Khan:** The loss to railway property was of the order of Rs. 13,450 and to private property Rs. 20,000/-.

**श्री प्र० चं० बरुआ:** कुछ हजार समपारों में से अब तक कितनों पर चौकीदार तैनात किये गये हैं?

**अध्यक्ष महोदय:** यह एक सामान्य प्रश्न है।

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : अनुग्रहात भुगतान के लिये कितना धन मंजूर किया गया ?

**श्री शाहनवाज खां** : अभी तक हम ने २५० रुपये दिये हैं।

**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मैं जान सकती हूं कि अभी तक क्षतिपूर्ति क्यों नहीं दी गयी है और जो रकम दी गयी है, वह इतनी कम क्यों है ?

**श्री शाहनवाज खां** : अब तक जो रकम दी गयी है वह घायलों को अनुग्रहात भुगतान के रूप में दी गयी है। अभी तक क्षतिपूर्ति का कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है। जांच समिति का प्रतिवेदन प्र ीक्षित है। क्षतिपूर्ति देने के लिये रेलवे के उत्तरदायित्व के बारे में बाद में निर्णय किया जायेगा

**रेलवे मंत्री (श्री दासप्पा)**: हमेशा की तरह प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिवार को ५०० रुपया अनुग्रहात भुगतान के रूप में देने की पेशकश की गयी थी लेकिन लगता है कि उन्होंने यह नहीं लिया।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी**: ५०० रुपये के अनुग्रहात भुगतान की पेशकश किस तरीके से की गयी थी और किन परिस्थितियों में इसे लेने से इन्कार किया गया ? क्या यह इसलिये है कि सरकार ने इस रकम को इस टक्कर में हताहत व्यक्तियों द्वारा बाद में किये जाने वाले दावों के होने पर देने से इन्कार कर दिया था ?

**श्री शाहनवाज खां** : अनुग्रहात भुगतान बिना किसी शर्त के किया जाता है। हम ने यह मृत व्यक्तियों के आश्रितों को बिना शर्त देने की पेशकश की थी।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी**: इसे लेने से क्यों इन्कार किया गया ?

**श्री शाहनवाज खां** : मेरा अपना विचार यह है . . . .

**श्री हरि विष्णु कामत** : विचार का कोई प्रश्न नहीं है। स्थिति क्या है ?

**श्री शाहनवाज खां** : शायद आश्रित लोग यह समझते हैं कि इससे उनके दावों पर असर पड़ेगा। हम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह बिना किसी भेदभाव के है।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : मंत्री महोदय इसका विपुलन करना चाहते हैं क्योंकि हम उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि इसकी किस तरीके से पेशकश की गयी थी।

**श्री दासप्पा** : ऐसे सभी मामलों में टार्ट्स विधि ला होती है।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : दुर्भाग्यवश सामान्य नागरिक को इसका पता नहीं है।

**श्री दासप्पा** हम ने यह निदेश दे रखे हैं कि तदर्थ अनुदान के रूप में ५०० रुपये दिये जायें। हर दावे पर इसके गुणावगुण के आधार पर विचार होता है। यदि वे उस रकम से संतुष्ट नहीं हैं जो हम देते हैं तो वे टार्ट स विधि के अन्तर्गत दावा कर सकते हैं। स्थिति यह है। जहां तक उनके दावों का सम्बन्ध है इस अनुग्रहात भुगतान को लेने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

**श्री जोकीम आल्वा** : एक पूर्व अवसर पर मंत्री महोदय ने बताया था कि देश भर में १२,००० से अधिक समपार ऐसे हैं जिन पर चौकीदार नहीं हैं। अतः मैं यह जानना चाहता हूं ऐसे

मामलों के बारे में रेलवे बोर्ड में एक ही विभाग क्यों नहीं है जो कि इस प्रश्न की जांच कर सके इन समपारों पर चौकीदार रखने के लिये अधिक धन मंजूर कर सके ?

**अध्यक्ष महोदय:** यह एक सामान्य प्रश्न है ।

**श्री अ० प्र० जैन :** मैं मंत्री महोदय से यह स्पष्ट वक्तव्य चाहता हूं कि किन व्यक्तियों को पेशकश की गयी थी और इन्होंने इसको लेने से क्यों इन्कार किया ?

**श्री दासप्पा:** मैं यह बात स्पष्ट बता चुका हूं । पेशकश मृतकों के आश्रितों को की गयी थी । उनके दिमाग में क्या था . . . **(अन्तर्बाधा)** शायद यह हो इससे उनके दावों पर असर पड़ेगा । लेकिन मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इसका किसी दावे पर कोई असर नहीं पड़ता ।

**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** क्या मैं जान सकता हूं कि कितने मामलों में सीमा सम्बन्धी प्रतिबन्ध, जब रेलवे को टार्ट्स के अन्तर्गत नहीं बल्कि घातक दुर्घटना अधिनियम के अन्तर्गत दावे किये गये हैं, हटाये गये हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** यह एक सामान्य प्रश्न है जिससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है ।

**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** कठिनाई यह है कि घातक दुर्घटना अधिनियम के अन्तर्गत वे तुरन्त ही कानून के अन्तर्गत आपत्ति उठाते हैं ।

**श्री दासप्पा :** चाहे दावा टार्ट्स विधि के अन्तर्गत हो या घातक दुर्घटना अधिनियम के अन्तर्गत, यह रकम दो ही जाती है ।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी:** हम यह जानना चाहते हैं कि क्या संभावित प्राप्त-कर्ताओं को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा ।

**अध्यक्ष महोदय :** हर व्यक्ति को सूचित करना कठिन है । हर किसी को कानून का पता होना चाहिये । वे हर व्यक्ति के पास जाकर उन्हें कैसे बता सकते हैं ?

**श्री हरि विष्णु कामत :** इन घातक दुर्घटनाओं के बारे में ५०० रुपये से कम की राशि की क्यों पेशकश की गयी थी ?

**श्री दासप्पा :** वे तदर्थ आधार पर अधिक से अधिक ५०० रुपये की पेशकश कर सकते हैं ।

**श्री हरि विष्णु कामत :** इस रकम की पेशकश क्यों नहीं की गयी थी ?

**श्री दासप्पा :** इसकी पेशकश की गयी थी ।

**श्री हरि विष्णु कामत :** केवल २५० रुपये की पेशकश की गयी थी ।

**अध्यक्ष महोदय :** २५० रुपये तो दिये गये हैं ।

**श्री रंगा :** श्री कामत का प्रश्न है कि अधिकतम राशि की पेशकश क्यों नहीं की गयी थी ।

**श्री दासप्पा :** मेरे साथी ने बताया है कि घायलों को २५० रुपये दिये गये । प्रत्येक मृतक के आश्रितों को ५०० रुपये की पेशकश की गयी थी ।

**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार बिना चौकीदार वाले समपारों के समूचे प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त कर रही है और यदि हां, तो यह समिति कब तक नियुक्त कर दी जायेगी ?

**अध्यक्ष महोदय** : इस समय इस से हमारा कोई सम्बंध नहीं है ।

**Express Delivery Envelopes**

96. + **Shri Mohan Swarup :**
**Shri Rameshwar Tantia :**
**Shri Dhaon :**
**Shri Onkar Lal Berwa :**
**Sri Gokaran Prasad :**
**Shri Ram Harkh Yadav :**
**Dr P. N. Khan :**
**Shri Subodh Hansda :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Posts and Telegraphs Department propose to introduce 28 nP. express delivery envelopes ;

(b) if so, whether it is proposed to introduce distinctive Express Delivery Posts Cards also simultaneously ; and

(c) when these envelopes or cards would be on sale throughout the country ?

**The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) :** (a) Yes, Sir.

(b) There is no such proposal.

(c) The express Delivery envelopes have already been introduced with effect from 11-5-1964 and supplies are being made to post offices all over the country in a gradual manner.

**Shri Mohan Swarup :** What would be the colour of express delivery envelopes ? How long will it take to supply these to post offices throughout the country ?

**श्री भगवती** : बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली जैसे प्रमख स्थानों पर हमने इनका संभरण कर दिया है । इनको बड़ी संख्या में ट्रेजरी को भी दिया गया है और मुझे आशा है कि हम बहुत थोड़े समय में ये सभी डाकघरों को दे सकेंगे ।

**Shri Mohan Swarup :** What would be colour of envelopes ?

**श्री भगवती** : रंग गुलाबी होगा ।

**Shri Gulshan :** May I know whether besides express delivery letters express delivery of money orders is also being considered ?

**अध्यक्ष महोदय** : क्या एक्सप्रेस डिलीवरी मनी आर्डरों की भी व्यवस्था की जायेगी ?

**श्री भगवती** : जी नहीं । एक्सप्रेस डिलीवरी पत्रों आदि का ही इस प्रकार वितरण किया जाता है ।

**श्री रामेश्वर टांटिया:** क्या यह सच है कि बाज दफ़ा एक्सप्रैस डिलीवरी पत्र सामान्य पत्रों के भी बाद में आते हैं ; यदि हां, तो क्या यह सरकार इस ओर ध्यान देगी ?

**श्री भगवती** : मेरे विचार में ऐसा नहीं है। हमें शिकायतें मिलती हैं और हमने देखा है कि वर्ष १९६२-६३ में वर्ष १९६० की अपेक्षा शिकायतों में काफी कमी हुई है। इस से हम यह निर्णय कर सकते हैं कि एक्सप्रस डिलीवरी वस्तुओं के वितरण में अधिक विलम्ब नहीं होगा। इसके अतिरिक्त हमने इस बात को देखने के लिये और कदम उठाये हैं कि एक्सप्रेस डिलीवरी वस्तुओं के लिये वितरण में अनावश्यक विलम्ब न हो। हम ने इन एक्सप्रेस डिलीवरी वस्तुओं को पृथक थैलों और लिफाफों में रखने की व्यवस्था लागू की है। इससे भी शीघ्र वितरण करने में सहायता मिलेगी।

**श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या इस समय भिन्न एक्सप्रेस डिलीवरी लिफाफे और पोस्टकार्ड केवल दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में ही चलाये जायेंगे और सभी राज्यों में क्यों नहीं ?

**श्री भगवती** : ये सभी राज्यों में चलाये जायेंगे।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** I want to know the price of the said envelopes. What is the difference between the prices of old and new envelopes ?

**श्री भगवती** : मूल्य में कोई अन्तर नहीं है। मूल्य २८ पैसे होगा।

**श्री कपूर सिंह** : क्या सरकार को इस बात का पता है कि यह बात बड़ी लोकप्रिय है कि यदि किसी वस्तु को देर से पहुंचाना हो या इसे खोना हो तो इसे एक्सप्रेस डिलीवरी से भेज दिया जाये ; यदि हां, तो इस धारणा पर इन नये लिफाफों का क्या असर होगा ?

**श्री भगवती** : एक्सप्रेस डिलीवरी वस्तुओं की संख्या में बड़ी वृद्धि हो रही है। वर्ष १९६०–६१ में इन की संख्या २३,३१०,१५३ रही।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि इसका इस धारणा पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? **(अन्तर्बाधा)** या ऐसी कोई धारणा नहीं है, इसका पता इन की संख्या में वृद्धि से चलता है।

**श्री भगवती** : यह व्यवस्था बड़ी लोकप्रिय है।

**Shri Onkar Lal Berwa :** As the hon. Minister said that the pirce of the enevelope will be 28 paise ; I want to know the price of express delivery post-cards.

**श्री भगवती** : मैं बता चुका हूं कि इस समय पृथक कार्ड बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि गैर-सरकारी व्यक्ति भी विभिन्न रंगों में कार्ड छापते हैं और उससे भ्रम पैदा हो जायेगा।

**श्री सुबोध हंसदा** : मंत्री महोदय ने यह बताया कि ये नये लिफाफे सभी राज्यों में लागू किये जायेंगे, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इससे ग्रामीण क्षेत्रों में एक्सप्रेस डिलीवरी पत्रों की वितरण पद्धति में कोई सुधार होगा या उनका वितरण भी उसी प्रकार होगा जिस प्रकार अब हो रहा है ?

**श्री भगवती** : एक्सप्रेस डिलीवरी वस्तुओं और पत्रों के वितरण के लिये हमारे पास पृथक वाहक हैं। अतः उन्हें मिलाया नहीं जाता है। हमें आशा है कि डाक छांटने में और भेजने में इस से काफी सुधार होगा।

**श्री सुबोध हंसदा:** मैं एक्सप्रेस डिलिवरी पत्रों के बारे में जानना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** डा० सिंघवी :

**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी:** क्या सरकार एक्सप्रेस डिलिवरी पत्रों के लिये भी 'पावती स्वीकार' पद्धति लागू करने के किसी सुझाव पर विचार करेगी ; यदि इस पर विचार किया जा चुका है तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

**श्री भगवती :** यदि हम यह पद्धति लागू कर दें तो इससे वितरण में विलम्ब होगा। इस समय डाकिया या वाहक, जो भी एक्सप्रेस डिलिवरी पत्रों का वितरण करने जाता है, जिस व्यक्ति को वह वस्तु देता है उससे हस्ताक्षर करा लेता है।

**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या सरकार को एक्सप्रेस डिलिवरी पत्रों के विलम्ब से वितरण के बारे में शिकायतें मिली हैं ; यदि उत्तर स्वीकारात्मक है, तो एक्सप्रेस डिलीवरी पत्रों को समय पर पहुंचाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**श्री भगवती :** मैं बता चुका हूं कि वर्ष १९६२-६३ में ३१,८०५,९१६ एक्सप्रेस डिलीवरी वस्तुएं मिली थीं और जिनमें से शिकायतों की संख्या ८,४३० थी। प्रतिशतता १ से भी कम है ; यह .२६ ही है।

**Shri Braj Bihari Mehrotra :** Have arrangements been made to get express delivery letters delivered through the Branch post office also?

**श्री भगवती :** वहां कोई पृथक डाकिये नहीं हैं ; वे सामान्य डाकिये हैं। वे इन एक्सप्रेस डिलिवरी पत्रों को भी ले जाते हैं।

## गन्ने का मूल्य

+

*९७. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री दाजी :**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री पे० वेंकटासुब्बया :**
**श्री विभूति मिश्र :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार तथा कुछ अन्य राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की है कि वे गन्ना पेरने के आगामी मौसम (१९६४-६५) के लिये गन्ने का मूल्य गन्ने से प्राप्त चीनी के आधार पर निर्धारित करने के बजाय २ रुपया प्रति मन की समान दर पर निर्धारित करें ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) जी, हां ; उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सरकारों ने यह प्रार्थना की है ।

(ख) सरकार यह समझती है कि सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद जो मूल्य घोषित किये जा चुके हैं, वही उचित हैं और उसमें कोई परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

**Shri Vishwa Nath Pandey :** Do Government propose to fix the price on the basis of recovery of sugar instead of fixing a flat rate following the protest by the mill owners?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : राज्यों ने रिकवरी के आधार पर मूल्य निर्धारित करने के सिद्धान्त का विरोध नहीं किया है । यह दूसरी बात है कि वे उचित मूल्य चाहते हैं ।

**Shri Vishwa Nath Pandey :** Do Government propose to set up a Committee for fixing the price, which would consist of the representatives of cane growers, mill-owners and the Government?

**Shri Swaran Singh :** There is no proposal as such.

**श्रीमती सावित्री निगम** : किस राज्य से सरकार को यह प्रार्थना मिली है कि गन्ने के मूल्य बढ़ाये जायें और किन संगठनों ने यह जोरदार सिफारिश की है कि मूल्यों में वृद्धि की जाये क्योंकि चीनी के मूल्य भी बढ़ रहे हैं ?

**श्री अ० म० थामस** : मैं बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है । भारतीय चीनी मिल संस्था समेत कुछ संगठनों ने भी अभ्यावेदन किया है कि न्यूनतम मूल्य २ रुपये हो ।

**Shri Bibhuti Mishra :** Are Government aware that the quality of sugarcane is almost the same throughout the country and difference in the recovery is due to the fact that some plants are new and some others are old? The new plants have naturally more recovery and the old one less. Do Government propose to give to growers, in their best interest, the price at the rate of Rs. 2/- per maund?

**श्री अ० म० थामस** : यद्यपि इस में कुछ सीमाएं हैं लेकिन वास्तव में मूल्य को रिकवरी से मिलाना अच्छा सिद्ध हुआ है । यह इसलिये है कि मूल्य सम्बद्ध सिद्धान्त समाप्त किये जाने के बाद भी गन्ना उत्पादक निर्धारित न्यूनतम मूल्य से अधिक ले सकते थे । उदाहरणतः यद्यपि बिहार में न्यूनतम मूल्य १ रुपया ७५ पैसा है लेकिन इसके रिकवरी से सम्बद्ध होने के कारण बिहार में गन्ना उत्पादकों को औसतन १ रुपया ८६ पैसा मिलता है जोकि यदि हम केवल न्यूनतम मूल्य पर ही अड़े रहते तो कभी संभव नहीं था ।

**श्री विभूति मिश्र** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । कुछ चीनी कारखानों में नई मशीनें होने के कारण रिकवरी अधिक होती है और कुछ में मशीनें पुरानी होने के कारण रिकवरी कम होती है । अतः उत्पादकों के हित में मैं यह चाहता हूं कि गन्ने का मूल्य २ रुपये निर्धारित किया जाये ।

**श्री अ० म० थामस** : मैंने बताया कि कुछ सीमाएं हैं । यह ठीक है कि मशीनें आधुनिक होने से रिकवरी अधिक होगी और यदि मशीनें पुरानी हैं तो रिकवरी कम होगी । लेकिन इन सब के बावजूद मूल्य को रिकवरी से जोड़ना ही अच्छा है और इस तरीके से गन्ने उत्पादक को ही लाभ होता है ।

**श्री अ० प्र० जैन** : नहीं, नहीं।

**श्री क० ना० तिवारी**: इस वर्ष और अगले वर्ष चीनी की कमी को ध्यान में रखते हुए ऐसी संभावना है, कि यदि मूल्य २ रुपये से कम हुए तो गन्ने से 'गुड़' और 'खांडसारी' बनने लगेगा। ऐसी स्थिति में क्या सरकार न्यूनतम मूल्य २ रुपये निर्धारित करने पर विचार कर रही है ताकि इस वर्ष जो स्थिति उत्पन्न हुई है, वह अगले वर्ष न हो ?

**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य तर्क करते जा रहे हैं और लम्बे लम्बे प्रश्न पूछ रहे हैं।

**श्री स्वर्ण सिंह**: इस बात के बावजूद भी कि सभी जगह, विशेषतः बिहार और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मूल्य २ रुपये था, उत्पादन हुआ। अतः यह कहना बड़ा तुच्छ है कि इन क्षेत्रों में न्यूनतम मूल्य मूल्य २ रुपये निर्धारित करने से गन्ना अधिक मिलेगा। इस वर्ष हमें जो खबर मिली है, वह यह है कि बवाई अधिक हुई है; गन्ने की खेती अधिक जगह में हो रही है और मौसम आदि पर निर्भर करते हुए हमें स्थिति को देखना है। जो घोषणा की गई है वह विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रख कर की गई है। इसको स्वीकार किया जाना चाहिये।

**Shri Prakash Vir Shastri :** May I know the particular aspects of the Central Government's decisions on the plea of U.P. and Bihar Governments for the increase in cane price with which the Central Government have disagreed and the reasons they have given in support of their decision to maintain the existing price farmula?

**Shri Swaran Singh :** There is nothing new in it and every hon. Member knows about it. It has been discussed many a time in this House. They want to give more price to cane-growers for their produce. When you seek to give more price to growers its possible effects on the price of sugar have also to be taken into consideration.

**Shri Prakash Vir Shastri :** It is no answer that everybody knows about it. The Governments of U.P. and Bihar have written to the Central Government that if the cane-price is not increased it will have unfavourable effects on the production of sugar-cane. They might have given some other reasons too in support of their demand for increase in cane price of the Govt. of India must also have replied to the same.

**Mr. Speaker :** That will come afterwards.

**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि रिकवरी की प्रतिशतता का पता लगाने के लिये उपयुक्त व्यवस्था के अभाव में यह सिद्धान्त असफल रहा है और यदि हां, तो सरकार चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये गन्ने के न्यूनतम मूल्य २ रुपया निर्धारित करने में क्यों झिझक रही है ?

**श्री स्वर्ण सिंह**: मैं इस बात को नहीं मानता कि यह सिद्धान्त असफल रहा है। यह इसी सिद्धान्त के कारण है कि, जहां रिकवरी अधिक होती है, किसानों को २ रुपये से बहुत अधिक मूल्य मिलता है। यह नहीं भूलना चाहिये कि महाराष्ट्र में और दक्षिण के कुछ भागों में और अन्यत्र गन्ना उत्पादकों को २ रुपये से अधिक मिल रहा है और यह रिकवरी को मूल्य से मिलाने के इसी सिद्धांत के कारण है। माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि रिकवरी चाहे जो भी हो, न्यूनतम मूल्य २ रुपया निर्धारित किया जाये। इसके बड़े व्यापक प्रभाव पड़ेंगे। मुख्य कारण यह है कि वह आधार बन जायेगा और इसके बाद देश भर में गन्ने के मूल्य बढ़ाये जायेंगे और इस से हर जगह चीनी के मूल्य

बढ़ जायेंगे । पिछले वर्ष विशेष स्थिति के कारण, उत्तर प्रदेश और बिहार में रिकवरी पर ध्यान दिये बिना अधिक मूल्य दिये गये थे, इस वर्ष यदि कोई परिवर्तन किया गया तो यह समान आधार पर करना होगा और इससे देश भर में मूल्य बढ़ जायेंगे । मुख्य बात यही है ।

**श्री दे० द० पुरी:** क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि कितने कारखानों में उत्पादकों को वर्ष १९६३–६४ सीजन की अपेक्षा कम मूल्य मिल रहे हैं।

**श्री अ० म० थामस:** हम ने इसका पता लगाया है । इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं । अधिकतर कारखानों में उन को २ रुपये से अधिक मिलता है ।

**Shri M. L. Varma :** Various growers supply cane of different qualities. Who will then judge the recovery?

**श्री स्वर्ण सिंह:** सिद्धान्त सर्व-विदित है। रिकवरी का पता लगाने के लिये अनुकूलतम अवधि का हिसाब लगाया जाता है । इस अवधि में रिकवरी सब से अधिक होती है । यह सच है कि हर उत्पादक के बारे में यह तै नहीं किया जा सकता है । किसी प्रकार का अनुमान तो लगाना ही होगा ।

**Shri Sinhasan Singh :** Is it a fact that since the cane-price has been linked with the recovery, in every factory the recovery is going down every year?

**Shri Swaran Singh :** It is not true.

**श्री कृष्णपाल सिंह:** क्या यह सच है कि चीनी की प्रतिशतता का पता लगाने के लिये उन चीनी केमिस्टों द्वारा परीक्षण किये जाते हैं जो चीनी कारखानों के ही कर्मचारी हैं ?

**श्री अ० म० थामस:** कई तरह से जांच की जाती है । उदाहरणत: पहले कर्मचारी जांच करते हैं और फिर सबल श्रमिक संगठन । बोनस के अतिरिक्त अन्य बातें भी चीनी की रिकवरी पर निर्भर हैं । कारखानों में किये जा रहे परीक्षणों के अतिरिक्त अन्य प्रकार से भी जांच की जाती है । कारखानों में ही सरकारी अभिकरण होते हैं ।

**श्री स्वर्ण सिंह:** माननीय सदस्य जिस भी अन्य प्रकार की जांच का सुझाव दें, मैं उस पर विचार करने को तैयार हूं । वे अपने सुझाव मुझे दे दें और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षण ठीक और उचित ढंग से हों ।

## दूसरा पोत-निर्माण कारखाना

\+
*९८. **श्री रामेश्वर टांटिया:**
**श्री ओंकारलाल बेरवा :**
**श्री गोकरन प्रसाद:**
**श्री यवन:**
**श्री प्र० चं० बरुआ:**
**श्री दे० द० पुरी:**
**श्री यु० द० सिंह:**

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन में एक दूसरा पोत निर्माण कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर बातचीत करने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल टोकियो गया था ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ग) क्या मैसर्स मित्सुबिशि एण्ड कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए परियोजना के किन्हीं ब्योरों को अन्तिम रूप दिया गया है ?

**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) से (ग). इस परियोजना के बारे में अन्तिम रूप से करार निश्चित करने की दृष्टि से मित्सुबिशि ग्रूप के साथ चर्चा करने के लिए सरकार के अफसरों का एक शिष्टमंडल शीघ्र ही टोकियो जा रहा है।

**श्री रामेश्वर टांटिया:** इसकी लागत लगभग कितनी होगी और उसमें विदेशी मुद्रा कितनी होगी ?

**श्री राज बहादुर:** नवीनतम योजना के अनुसार कुल अनुमानित लागत ८·६७ करोड़ रुपये है और उसमें विदेशी मुद्रा २·६७ करोड़ रुपये की होगी ।

**श्री रामेश्वर टांटिया:** क्या इसके लिए सरकार किन्हीं विदेशी सहयोगियों से बातचीत करेगी ?

**श्री राज बहादुर:** मित्सुबिशि ग्रुप के साथ बातचीत उस दशा तक पहुंच चुकी है जहां यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**श्री रामेश्वर टांटिया:** क्या मित्सुबिशि ग्रूप के अलावा किन्हीं अन्य विदेशी सहयोगियों के साथ भी बातचीत की गयी थी ?

**श्री राज बहादुर:** बातचीत सिर्फ जापान के मित्सुबिशि ग्रूप के साथ ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के कई अन्य जहाज-कारखानों से भी की गयी थी ।

**Shri Onkar Lal Berwa :** May I know whether the first shipyard was set up in collaboration with Tokyo and what is its production ?

**Shri Raj Bahadur :** Yes Sir, this decision has also been made in regard to that and certain steps are being taken. At least 6 ships of 55,000 G.R.T. would be constructed there every year as against 3 ships at present.

**Shri Hukum Chand Kachhavaiya :** I would like to know how many persons would work in this shipyard and how many more are likely to get work there.

**Shri Raj Bahadur :** I can't say definitely at present. It would depend on the report after the agreement.

**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या कोचीन में दूसरे बन्दरगाह के अलावा बड़े बड़े बन्दरगाह बनाने की कोई वृहद् योजना सरकार के पास है, वह योजना क्या है और सरकार उसे कार्यान्वित करने में कितना समय लगायेगी ?

**श्री राज बहादुर** : म समझता हुं कि यह प्रश्न जहाज बनाने वाले कारखानों से सम्बन्धित है, न कि बन्दरगाहों से ।



810 (Ai) LSD—3.

## चीनी का मूल्य

+

*९६. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री गोकरन प्रसाद :** }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई के महीने में कुछ राज्यों में चीनी के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) से रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) से (ग). कारखाना निकलते मूल्य बढ़ाये जाने के कारण कुछ क्षेत्रों में मई के दूसरे पखवाड़े में २ नये पैसे से १५ नये पैसे प्रति किलो तक चीनी का दाम बढ़ गया है ।

(घ) चूंकि मूल्यों में वृद्धि अवधि और प्राप्ति (रिकवरी) के आंकड़ों पर आधारित लागत आंकड़ों में परिवर्तन के कारण हैं इसलिए ऐसे किसी कदम की अवश्यकता नहीं है । यदि अवधि और प्राप्ति सम्बन्धी स्थिति में अगले वर्ष सुधार हो जाता है जैसा कि अनुमान है, तो लागत कम हो जायेगी और परिणामस्वरूप कीमतें भी गिर जायेंगी ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है और क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि देश में शायद ही किसी जगह चीनी नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध होती है जब कि काला बाजार में २ रुपये ३० नये पैसे प्रति किलो की दर से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ? चीनी का यह काला बाजार समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**श्री अ० म० थामस :** मैंने इस प्रश्न का उत्तर पिछली बार दे दिया था । मैंने बिल्कुल साफ बता दिया था कि काफी ज्यादा चीनी नियंत्रित कारखाना निकलते मूल्यों पर बांट दी जाती है । बहुत ही थोड़ी चीनी काला बाजार में जाती है और उसे रोका नहीं जा सकता । मैंने पिछली बार बताया था कि अधिकांश चीनी पहचान पत्रों के अनुसार बांट दी जाती है लेकिन कुछ ऐसे लोग भी जो वास्तव में उसे प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं, ले लेते हैं और उतनी मात्रा निश्चय ही काला बाजार में चली जाती है । फिर भी वह मात्रा बहुत ही थोड़ी होती है ।

**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि कई राज्यों में वितरण पद्धति भ्रष्टाचार के कारण बिलकुल ही असफल सिद्ध हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार चीनी के उत्पादन, वसूली, वितरण और उपभोक्ता को सप्लाई की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगी ?

**श्री अ० म० थामस :** भ्रष्टाचार और दूसरी बातों का एक सामान्य आरोप है । सम्पूर्ण वितरण और अन्य चीजें सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिये जाने के सम्बन्ध में इस सभा में बताया जा चुका है कि हम चीनी बिक्री बोर्ड कायम करने के बारे में सोच रहे हैं । आन्तरिक वितरण भी

वही करेगा। लेकिन हम शायद वर्तमान थोक बिक्रेताओं और सामान्य व्यापार प्रणाली में परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक विभिन्न राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, गोआ आदि में इस समय वितरण का सम्बन्ध है, वह वितरण नियंत्रित मूल्य पर कार्डों के आधार पर किया जाता है जिससे कि जहां तक संभव हो, राज्य सरकारें प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने और तब वितरण करने की कोशिश कर रही हैं।

**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा यह निवेदन है कि विभिन्न राज्यों में नियंत्रण और वितरण प्रणाली पूरी तौर से भ्रष्ट हो गयी है और उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। इस बात को देखते हुए क्या सरकार किसी को इस ओर ध्यान देने के लिए नियुक्त करेगी कि वह प्रणाली ठीक तौर से काम करे ? मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं कि वर्तमान प्रणाली ठीक ढंग से नहीं चल रही है ।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने बताया है कि केन्द्रीय सरकार चीनी बिक्री बोर्ड के जरिये वितरण और दूसरी चीजें अपने हाथ में ले लेगी।

**Shri Onkar Lal Berwa :** Previously the hon. Minister had mentioned about the export of sugar. Now, when the price of sugar is shooting up on account of its scarcity in the country, has that idea been dropped now or they still hold the view that sugar should be exported?

**Shri Swaran Singh :** This year we could export lesser quantity of sugar than that exported last year. The hon. Member will note that about 5 lakh tons of sugar was exported last year whereas about 2½ lakh tons of sugar has been exported this year. I realise that it does cause inconvenience but on the other hand this must also be taken into account that we require foreign exchange. Therefore, we have to export some quantity of sugar.

**Shri Onkar Lal Berwa :** But the country is starving of sugar.

**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या यह सच है कि चीनी के भाव में अत्यधिक वृद्धि गैर-सरकारी क्षेत्र के चीनी कारखानों के गलत रवैये के कारण है और यदि हां, तो इन चीनी कारखानों को क्रमशः सहकारी क्षेत्र के अधीन लाने के लिए क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

**श्री अ० म० थामस** : कारखाना मूल्य नियंत्रित हैं और इसलिए चीनी के कारखाने अब मनमाने भाव नहीं बढ़ा सकते। जैसाकि मुख्य उत्तर में बताया जा चुका है, अवधि और प्राप्ति (रिकवरी) को ध्यान में रख कर कारखाना निकलते मूल्यों में परिवर्तन किये गये हैं। वास्तव में सदस्यगण यह आग्रह कर रहे थे कि गन्ने का न्यूनतम मूल्य २ रुपये कर दिया जाये। इस सभा से और दूसरी जगहों से आग्रह के कारण हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने का दाम २ रुपये तक बढ़ा दिया। इसलिए स्वाभाविक ही, कारखाना निकलते मूल्य भी बढ़ गये। जब चीनी का दाम बढ़ता है तो सदस्यगण दूसरे पहलू पर विचार करने के लिए तैयार नहीं होते कि चीनी की कीमत मुख्यतः गन्ने की कीमत में वृद्धि के कारण बढ़ी है।

**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर जो हम सभी अनुभव करते हैं, दिलाया गया है कि दिल्ली में चीनी नहीं मिल रही है और यदि हां, तो कम से कम राजधानी के नागरिकों को चीनी दिलाने के लिए क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

**श्री अ० म० थामस** : जहां तक राजधानी में चीनी मिलने का सम्बन्ध है दिल्ली के लिए कोटा लगभग ६५०० टन प्रति मास है। किसी भी प्रमाप के आधार पर यह कोटा शहर की जरूरत

पूरो करने के लिए जरूरत से ज्यादा है। पिछले महीने की २० तारीख से अर्थात् पिछले दस या ग्यारह दिनों में हमने लगभग ३००० टन अर्थात् लगभग ३०,००० बोरियां दी हैं। मेरी जानकारी यह है कि लगभग २०,००० बोरियां चल चुकी हैं और बाकी मात्रा भी बहुत जल्द रवाना हो जायेगी और स्थिति सामान्य हो जायेगी।

**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : वह कहां चली गई है ? (**अन्तर्बाधा**)

**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति।

**Shri Sarjoo Pandey** : That there is a sugar crisis in the country is evident from the fact that in Delhi itself, where Members of Lok Sabha reside, sugar is not available. Will Government make any arrangements very soon so that it may be available as soon as possible?

**श्री अ० म० थामस** : यह ठीक है और मेरे पास खबरें भी पहुंची हैं . . . . .

**अध्यक्ष महोदय** : संसद सदस्यों ने एक सहकारी संस्था बनायी थी। वे उस संस्था से चीनी प्राप्त करने की कोशिश क्यों नहीं करते ?

**कुछ माननीय सदस्य** वहां चीनी ही नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि वह संस्था वितरण अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हो . . . . .

**श्री अ० म० थामस** : मैं सप्लाई करने के लिए तैयार हूं। उसे सप्लाई करने में मुझे खुशी होगी।

दिल्ली में लगभग ५००० फुटकर बिक्रेता और २४३ थोक विक्रता हैं। वास्तव में मैं चाहता हूं कि वह संख्या कम कर दी जाये। यदि इस तरह की संस्थाएं आगे आयें तो उन्हें वितरण का काम सौंपने में मुझे बड़ी खुशी होगी।

दिल्ली में जो कमी महसूस हो रही है उसके बारे में मैंने मुख्य प्रश्न के उतर में बताया था कि कारखाना-निकलते मूल्यों को बढ़ाना पड़ा था। इस तरह ऊंचे भाव की आशा में ५००० फुटकर विक्रेताओं में से अनेक ने अपने स्टाक रोक रखा था और कुछ स्टाक छिपा भी लिया गया। इसी वजह से यह कमी हुई है। दिल्ली प्रशासन ने कुछ निरीक्षण और सतर्कता भी बरती थी और कई फुटकर विक्रेताओ के लाइसेंस भी रद्द किये गये हैं। लेकिन मैं यह भी महसूस करता हूं कि इस मामले में वितरण प्रणाली संतोषजनक रूप से काम नहीं कर रही है।

**श्री राम सहाय पाण्डेय** : चीनी के कम उत्पादन और साथ ही विदेशों को चीनी के निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्या देश में चीनी की खपत कम करने की कोई योजना मंत्रालय ने बनायी है ?

**श्री दाजी** : क्या सरकार यह बात जानती है कि चोर-बाजारी के बावजूद भी जिसे माननीय मंत्री ने भी मंजूर किया है, अधिकतर राज्यों में भारत रक्षा नियमों और अन्य अधिनियमों के अधीन जिला अधिकारियों को चोरबाजार की चीनी जब्त करने की और चोर बाजारी रोकने की शक्ति प्रदान नहीं की गयी है और यदि हां, तो चोर बाजारी किस तरह रोकी जायेगी ?

**श्री अ० म० थामस** : चोर-बाजारी रोकने के लिए और स्टाक जब्त करने के लिए भी भारत रक्षा नियमों के अधीन शक्ति का प्रयोग किया गया है और उस ढंग के मामले केन्द्रीय सरकार को बताये गये हैं। लेकिन यह कहना एक अलग बात है कि जितने मामलों में चाहिये

उतने मामलों में इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया गया है ।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या विभिन्न राज्यों को दिये गये कोटे में परिवर्तन करने, और उसे बढ़ाने का सरकार का विचार है ताकि मौजूदा कमी हमेशा की बीमारी न बन जाये और क्या सरकार इस बात की छानबीन करेगी कि यह कमी कैसे पैदा हुई और क्या उसने इसकी कोई कल्पना पहले की थी ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** कोटे में कोई परिवर्तन तभी हो सकता है जब कि अतिरिक्त उत्पादन हो। वर्तमान उत्पादन को देखते हुए मुझे उसके बढ़ाये जाने की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए चालू मौसम के आखिर तक अर्थात् अक्तूबर तक हमें इस साल जितना उत्पादन हुआ है उसी से सन्तोष करना पड़ेगा। यदि अक्तूबर के बाद अर्थात् चीनी के अगले मौसम में उत्पादन बढ़ता है तो विभिन्न राज्यों को दिया गया कोटा बढ़ाने में मुझे बड़ी खुशी होगी ।

**Shri Yashpal Singh:** Has the Government's attention been drawn to the fact that in Indian villages, hoarders have increased the price of sugar by an amount upto Rs. 35; and if so, what measures are being taken by Government to provide relief to villagers?

**Shri Swaran Singh** : I don't think the price of sugar is higher in villages than that in towns. I have no information about it. I think that if there is black-marketing, the price must be high in town as well as in villages. If sugar is available at controlled rate, the price must be uniform at all places. It is the job of the State Governments as to how to distribute sugar allotted to them among villages and towns.

**Shri Vishram Prasad :** When the hon. Minister replies in this House in this manner and says that there is no difference between villages and towns, I have to say with regret that this Government itself is instrumental in black-marketing. Government issues an order in such a way that sugar goes under ground. I would like to know why Government issues an order of this kind.

**Shri Swaran Singh :** The hon. Member has not asked any question.

**Mr. Speaker :** The hon. Member has not asked any question as such. He may take his seat.

**Shri S. M. Banerjee:** The question is whether Government indulges in black-marketing.

**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या मंत्रालय को एसा कोई अभ्यावेदन किया गया है कि तुंगभद्रा जलाशय सिंचाई प्रणाली के अधीन ३०,००० एकड़ से ज्यादा जमीन में गन्ने की खेती होते हुए भी वहां चीनी का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से चीनी के कारखाने चालू करने के लिये सहकारी संस्थाओं को लाइसेंस देने के प्रश्न पर अभी तक विचार नहीं किया गया है, और यदि हां, तो सहकारी चीनी कारखानों को लाइसेंस क्यों नहीं दिये गये हैं यद्यपि वहां २५,००० एकड़ से ज्यादा जमीन में गन्ने की खेती होती है ?

**श्री स्वर्ण सिंह** : मैं सभा को पहले ही बता चुका हूं कि विस्थापित किये जाने वाले कई सहकारी चीनी कारखानों को लाइसेंस दिये जा चुके हैं और मैं समझता हूं कि मैंने आंकड़ भी बताये हैं। वे लगभग २० कारखाने से अधिक हैं। यह जानकारी मैं कुछ ही दिन पहले सभा को बता चुका हूं। साथ ही हम यह न भूलें कि मौजूदा कमी मुख्यतः चीनी कारखानों की कमी के कारण नहीं है बल्कि स्थापित किये गये चीनी कारखानों की क्षमता का उपयोग न किये जाने के कारण है और मुख्यतः मौजूदा कारखानों को गन्ने की कम सप्लाई के कारण है।

---

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

# WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

## किसानों के लिये नई ऋण योजना

*१००. **डा० पू० ना० खां :**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री श० ना० चतुर्वेदी :**
**श्री क० ना० तिवारी :**

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों की सहायता के लिये सरकार का विचार एक नई ऋण योजना चालू करने का है जिसके अनुसार किसान ऋण की अदायगी नगदी के रूप में करने के स्थान पर फसल की कटाई के समय अन्न के रूप में कर सकेंगे ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब चालू की जायेगी ; और

(ग) क्या इस योजना का कोई ब्यौरा तैयार कर लिया गया है और यदि हां, तो वह क्या है ?

**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## दूध का मूल्य

*१०१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री ब्रजराज सिंह :**
**श्री यु० द० सिंह :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दिये जाने वाले दूध के मूल्यों में वृद्धि की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि गाय तथा भैंस के दूध की आधे लिटर की बोतलों का मूल्य ३५ नये पैसे निश्चित किया गया है जबकि भैंस के दूध की चौथाई लिटर की बोतल की तुलना में जिस का मूल्य १८ नये पैसे हैं, गाय के दूध की चौथाई लिटर की बोतल का मूल्य २२ नये पैसे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो गाय तथा भैंस के दूध की चौथाई लिटर की बोतलों के मूल्य में यह अन्तर होने तथा गाय के दूध की आधे लिटर की बोतलों को भैंस के दूध के आधे लिटर की बोतलों के मूल्य पर ही बेचे जाने का क्या कारण है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस :** (क) जी, हां।

(ख) कच्चे दूध के क्रय-मूल्य में वृद्धि के कारण तैयार किये हुए दूध के विक्रय-मूल्य में वृद्धि करना आवश्यक समझा गया।

(ग) जी, नहीं ; गाय/भैंस के दूध की आधा लिटर की बोतल का मूल्य ३५ पैसा है और १/४ लिटर की बोतल का मूल्य १८ पैसा है। इस बारे में गाय के और भैंस के दूध में कोई अन्तर नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**श्री वाल्काट का भाग निकलना**

* १०२. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **परिवहन** मंत्री ७ अप्रैल, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ९३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री वाल्काट के भाग निकलने के बारे में और आगे की जाने वाली जांच इस बीच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उससे क्या निष्कर्ष निकला है ?

**परिवहन मंत्रालयल में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) जी, नहीं ; लेकिन एक अन्तिम प्रतिवेदन दिया गया है जो परीक्षणाधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**'हार्बर लांच' की नौसेना के जहाज से टक्कर**

*१०३. { **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री न० प्र० यादव :**
**श्रीमती अकम्मा देवी :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
**श्री हुकम चंद कछवाय :**
**श्री प्र० के० देव :** }

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १० मई, १९६४ को बम्बई बन्दरगाह से लगभग एक मील की दूरी पर एक मोमर लांच नौसेना के जहाज "बेतवा" से टकराने के बाद डूब गई, और १० व्यक्ति मौत का शिकार हो गये जिन में ८ स्त्रियां भी थीं ;

(ख) क्या इस दुर्घटना की जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां। एम० एल० "सुल्तानी" की १० मई, १९६४ को आई० एन० एस० "बेतवा" से टक्कर हो गई थी। पुलिस रिकाड के अनुसार १० व्यक्ति मारे गये अथवा लापता हैं ; इन में ९ यात्री (४ पुरुष और ५ महिलायें) और १ चालक शामिल हैं।

(ख) और (ग) इस दुर्घटना के बारे में वाणिज्यिक नौवहन विभाग, बम्बई द्वारा प्राथमिक जांच की जा रही है।

### गेहूं के मूल्य

*१०४. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्री दाजी :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
**श्री न० प्र० यादव :**
**श्रीमती अकम्मा देवी :**
**श्री दलजीत सिंह :**
**श्री विभूति मिश्र :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेहूं पैदा करने वाले राज्यों को सूचित किया है कि यद्यपि गेहूं का निम्नतम मूल्य १४ रुपये प्रति मन निर्धारित किया गया है, परन्तु इस मूल्य को इसी स्तर पर स्थिर रखने का इरादा नहीं है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य द्वारा गेहूं के सीमित व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिये तैयार है ; और

(ग) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठा रही है कि गेहूं के जो अधिकतम मूल्य बाद में घोषित किये जायेंगे व्यापारी लोग उस से अधिक मूल्य पर उसे न बेचें ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि राज्य सरकार फसल के बाद की अवधि में राज्य के भीतर वितरण के लिये गेहूं खरीदे और यदि यह खरीदी गई मात्रा उस राज्य की आवश्यकता से अधिक हो तो केन्द्रीय सरकार की सहमति से और उचित मूल्य पर कमी वाले राज्यों को दे।

(ग) न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने और इसको लागू करने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

**दूध के सम्भरण में कमी**

†१०५. **श्री हेडा :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**
**शिवाजी राव शं० देशमुख :**
**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
**श्री न० प्र० यादव :**
**श्री नवल प्रभाकर :**
**श्री प्र० के० देव :**
**श्री यू० द० सिंह :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री चुनी लाल :**
**श्री हुक्म चन्द कछवाय :**
**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सम्भरित किये जाने वाले दूध में कमी के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इस कमी का पूर्वानुमान नहीं लगाया गया था ;

(ग) यदि हां, तो दूध के सम्भरण के लिये अतिरिक्त साधन जुटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) सरकार कब तक पर्याप्त मात्रा में दूध का सम्भरण कर सकेगी ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा भैंस के दूध के समाहार में कमी हुई है । हर वर्ष सर्दी की अपेक्षा गर्मियों में दूध कम हो जाता है लेकिन इस वर्ष ठेकेदारों द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना को संभरण करने की बजाय अधिक मात्रा में गैर-सरकारी व्यापारियों को और दूध से वस्तुएं बनाने वालों को, जो दिल्ली दुग्ध योजना की अपेक्षा उन को अधिक मूल्य देते हैं, दूध देने के कारण कमी काफी हुई है ।

(ख) कुछ कमी होने की पूर्वाशा थी लेकिन इतना पता नहीं था कि इस वर्ष इतनी अधिक कमी होगी ।

(ग) बुलन्दशहर और गुड़गांव जिलों में संभरण के अतिरिक्त साधनों के लिये कदम उठाये गये हैं लेकिन केवल इस से ही कमी पूरी नहीं हो सकती है ।

(घ) दिनांक २२-५-६४ से दिल्ली में खोया, पनीर, 'कन्डेन्स्ड मिल्क' आदि के लाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने से, दूध की कुछ मात्रा, जो इन वस्तुओं के निर्माण के लिए दी जाती थी, तरल

रूप में उपभोग के लिये उपलब्ध हो गई है। तब से दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के समाहार की स्थिति कुछ सुधर गयी है और आशा है कि २३-५-६४ से वैध कार्डों के आधार पर जितनी मात्रा की आवश्यकता है उतनी मिल जायेगी। वर्षा ऋतु के आने पर ही पर्याप्त मात्रा में संभरण हो सकेगा।

**चीनी का उत्पादन**

*१०६. { **श्री दलजीत सिंह :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :** }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वर्ष में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं या उठाने का विचार है ;

(ख) क्या भारतीय चीनी मिल संस्थाओं ने इस मामले में कुछ सुझाव दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) अब तक जितने क्षेत्र में गन्ना बोया गया है उससे और फसल की स्थिति से यह पता चलता है कि अगले वर्ष गन्ना इस वर्ष की अपेक्षा अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा। सरकार गन्ने का न्यूनतम मूल्य घोषित कर ही चुकी है और प्रतियोगी वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण रखने के लिये उपाय किये जा चुके हैं गन्ना पेरने का मौसम आने पर अन्य कदमों के बारे में विचार किया जायगा।

(ख) और (ग) भारतीय चीनी मिल संस्था ने सुझाव दिये हैं कि :

(१) पहले से लागू मूल्य सम्बद्ध सिद्धान्त की परिधि के भीतर उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में चीनी कारखानों के लिये गन्ने का न्यूनतम मूल्य २ रुपये प्रति मन निर्धारित किया जाये ;

(२) आपसी नियंत्रण की नीति को स्वीकार करना जिसके अन्तर्गत चीनी मिलों को सरकार द्वारा निर्धारित अपने मूल अभ्यंश से अतिरिक्त उत्पादन को निर्बाध रूप से बाजार में बेचने की अनुमति दी जाये;

(३) कारखाना क्षेत्रों में गुड़ और खंडसारी के निर्माण को कार्यकारी ढंग से विनियमित करना ;

(४) विभिन्न क्षेत्रों/और उप-क्षेत्रों में लाभप्रद ढंग से चीनी के मूल्य निर्धारित करना; और

(५) सभी राज्यों में वर्तमान सभी कारखानों को पर्याप्त मात्रा में गन्ने का संभरण सुनिश्चित करने के लिये पृथक पृथक चीनी कारखानों के लिये गन्ना ज़ोन बनाना

**चीनी के कारखानों का आधुनिकीकरण**

*१०७. **श्री दे० द० पुरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के कारखानों के आधुनिकीकरण सम्बन्धी आवश्यकताओं का पता लगाने के लिये बनाई गई विशषज्ञ समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो समिति द्वारा अपना अन्तिम प्रतिवेदन कब तक दिये जाने की आशा है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ०म० थामस)** : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) समिति को अपना प्रतिवेदन देने में कुछ समय और लगने की संभावना है

## रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी को दिया गया ऋण

*१०८. **श्री इन्द्रजीत गुप्तः** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड को ६० लाख रुपये का नया ऋण दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस कम्पनी ने २ करोड़ रुपये के पहले ऋण में से केवल ४० लाख रुपये ही खर्च किये हैं;

(ग) इस कम्पनी को नवीनतम ऋण दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस कम्पनी की वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है

### विवरण

सरकार मेसर्ज़ रिवर्स स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड को निम्नलिखित किश्तों में ६० लाख रुपये का ऋण देने को राजी हो गई है ताकि वे अपनी चालू वित्तीय कठिनाइयों को दूर कर सकें :

| | |
|---|---|
| २५ लाख रुपये | २५-५-६४ को |
| २० लाख रुपये | २१-६-६४ को |
| १५ लाख रुपये | १-७-६४ को |

ऋण की पहली किश्त मंजूर की जा चुकी है

२ करोड़ रुपये के ऋण में से, जो कि सरकार इस कम्पनी को इसके पुराने बेड़े को फिर से तैयार करने के लिये पृथक रूप से देने को राज़ी हुई है, अब तक कुल ४४,०५,२६१ रुपये दिये गये हैं ।

ये ऋण देने का निर्णय कम्पनी की वित्तीय स्थिति को देखते हुए किया गया था ।

## पंचायती राज

*१०९. { **श्रीमती सावित्री निगम** :
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंचायती राज सम्बन्धी समस्या तथा इस दिशा में की गई प्रगति

का पुनर्विलोकन करने के लिए एक पंचायती राज परामर्शदात्री परिषद् की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इसका गठन किस प्रकार किया गया है; और

(ग) परिषद् ने इस विषय के विशिष्ट पहलू पर विचार करने के लिए यदि कोई उप-समितियां नियुक्त की हैं तो कौन सी ?

**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) जी, हां

(ख) परिषद् के गठन के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २९०६/६४]।**

(ग) परिषद् को कुशलता से अपना कार्य चलाने के लिये यथावश्यक समितियां नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है इस मामले पर परिषद् की पहली बैठक में विचार किये जाने की संभावना है।

### खाद्यान्नों का आयात

***११०. श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीका के साथ किये गये पी० एल० ४८० करार की अवधि समाप्त हो जाने के बाद खाद्यान्न के आयात के लिए क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : सरकार पी० एल० ४८० करार की अवधि में और वृद्धि करने पर विचार कर रही है और इस बारे में अनौपचारिक तौर पर अमरीका सरकार से कहा जा चुका है। शीघ्र ही औपचारिक रूप से कहा जायेगा।

### रेलवे पास

***१११. श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाली आम जनता के लिए, जिसको कि ग्रीष्म ऋतु में जब कि बहुत अधिक संख्या में लोग यात्रा करते हैं स्थान प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और अधिक स्थान की व्यवस्था करने की दृष्टि से, विशेष पासों (प्रिविलेज पासेज) पर यात्रा करने वाले प्रथम श्रेणी के पासधारियों के लिए मुख्य डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रा करने के लिए कोई कोटा निर्धारित करने का विचार है;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने ऐसे कोई आदेश जारी किये हैं कि स्थान आरक्षित करते समय रेलवे पासधारियों की अपेक्षा टिकट खरीदने वाली आम जनता को प्राथमिकता दी जाये; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या आम जनता की बढ़ती हुई यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेलवे बोर्ड का इस प्रकार की हिदायतें जारी करने का विचार है ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी, हां। इस बारे में निदेश दिये जा चुके हैं।

(ख) सभी चैक पासों की पीठ पर एक सामान्य चेतावनी छपी है कि जब गाड़ियों में यात्रियों को स्थान मिलना कठिन हो तो गाड़ी आरम्भ होने वाले स्टेशन पर पास होल्डरों को उसी श्रेणी के टिकट-होल्डरों को प्राथमिकता देनी चाहिये।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता

**भारतीय तटीय नौवहन**

***११२. श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तटीय नौवहन का 'टनभार' हाल ही में कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) तटीय नौवहन के 'टनभार' को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, नहीं ;

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

**खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि**

***११३. श्री जसवन्त मेहता** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में गेहूं जोनों के निर्माण हो जाने के बाद कमी वाले राज्यों, अर्थात्, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में गेहूं, चावल, दालों और ज्वार बाजरे आदि के मूल्यों में असाधारण वृद्धि हो गयी है;

(ख) क्या कमी वाले राज्यों में मूल्यों की इस वृद्धि का सरकार ने कुछ अनुमान लगाया है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) कमी वाले राज्यों में मूल्यों को स्थिर रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). गेहूं ज़ोनों के निर्माण के बाद राजस्थान में गेहूं के मूल्य कम होने का पता लगा है; तथापि, महाराष्ट्र और गुजरात में गे के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है । चावल और अन्य खरीफ के अनाजों में सामान्य मौसमी वृद्धि हो रही है ।

(ग) खाद्यान्न के मूल्यों पर नियंत्रण के लिये निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं :

(१) थोक व्यापारियों को लाइसेंस का नियंत्रण कड़ा किया जा रहा है और इसको अधिक कार्यकारी बना दिया गया है;

(२) उचित मूल्य वाली दुकानों पर खाद्यान्न बेचा जा रहा है ;

(३) खाद्यान्न में वायदा बाजार पर पूर्ण प्रतिबंध है और खाद्यान्न के स्टाक पर बैंकों द्वारा रकम दिये जाने पर समय समय पर भारत के रक्षित बैंक के परामर्श से नियंत्रण को उचित ढंग से लागू किया जा रहा है ;

(४) कुछ मामलों में कमी वाले राज्यों में मूल्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए फालतू वाले राज्यों से कुछ वस्तुओं के निर्यात को विनियमित किया जा रहा है ।

### रेलवे अधिकारियों की सेवानिवृत्ति

*११४. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से वरिष्ठ अधिकारी—विशेषत: रेलवे बोर्ड के सदस्य—इस वर्ष के दौरान में सेवा निवृत्त हो जायेंगे; और

(ख) क्या इन उच्चतम पदों को वरिष्ठता के आधार पर भरा जाता है अथवा योग्यता के आधार पर ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं।

(ख) रेलवे मंत्रालय में ऐसे पद वरिष्ठ रेलवे पदाधिकारियों में से गुण-दोष के आधार पर चयन करके भरे जाते हैं।

### Dues against Sugar Mills

*115. **Shri Mohan Swarup:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that large sums of money are due against several mills in Uttar Pradesh in the form of cess, excise-duty and payment of sugar-cane price to the farmers;

(b) if so, the particulars of these mills; and

(c) the action being taken against them?

**The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas):** (a) It has been reported by the U.P. Government that a sum of Rs. 327·34 lakhs, being the arrears of cane cess/purchase tax as on 1st April, 1964, and a sum of Rs. 330·85 lakhs, being the arrears of cane price as on 30th April, 1964, are due from sugar factories. The arrears of excise duty are nominal.

(b) A statement giving the particulars of the mills and the arrears due from them is laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See No. LT* 2910/64]

(c) The Government of U.P. has been asked from time to time to get the payment of the arrears expedited by the factories. They have issued Recovery Certificates against the persistent defaulters and attached sugar stocks of some of these sugar factories for realization of arrears due. They have also prosecuted of a few factories for their default under the provisions of the Essential Commodities Act.

### बसों के किराये

*११६. { डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री बड़े :
श्री चुनीलाल : }

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में पुनरीक्षित बस-किरायों के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने बस-किरायों में परिवर्तन के निर्णय पर पुनर्विचार कराने के बारे में कोई सलाह दी है, अथवा कोई कदम उठाये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला ?

**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) दिल्ली परिवहन उपक्रम को बस भाड़ों में परिवर्तन किये जाने से पूर्व एक और परिवर्तन किये जाने के बाद सात अभ्यावेदन प्राप्त ए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

### राज्यों के सहकार मंत्रियों का सम्मेलन

*११७. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री धवन :**

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में नई दिल्ली में राज्यों के सहकार तथा पिछड़े वर्गों के मन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर विचार किया गया और उन पर क्या सिफारिशें की गई ;

(ग) क्या सम्मेलन द्वारा संघ सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा गया है ; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) जी, हां। यह सम्मेलन ९ मई, १९६४ को दिल्ली में हुआ था।

(ख) और (ग) सम्मेलन में पिछड़े वर्गों के लिये सहकारिता सम्बन्धी विशेष कार्यकारी दल द्वारा की गयी सिफारिशों पर विचार किया गया। प्रतिवेदन की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रखी जा चुकी हैं। कार्यकारी दल की सिफारिशों का सार और उस पर सम्मेलन में की गयी सिफारिशें सभा पटल पर रखी जाती हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० २९११/६४]**

(घ) भारत सरकार सम्मेलन में की गयी सिफारिशों पर विचार कर रही है और शीघ्र ही अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

### राज्य सहकारी परिषदें[1]

*११८. **डा० पू० ना० खां :**
**श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों ने राज्य सहकारी परिषदें बनाने के बारे में केन्द्रीय सरकार की प्रार्थना पर अमल किया है ;

[1]State Co-operative Councils.

(ख) यदि हां, तो ये परिषदें किन राज्यों में बन गयी हैं ; और

(ग) प्रत्येक राज्य में इन परिषदों का गठन किस प्रकार किया गया है और क्या इनका ढांचा नवम्बर, १९६३ में हुई चतुर्थ सहकारिता कांग्रेस के कार्यकारी दल द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुरूप है ?

**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्य सहकारी परिषदें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा और बिहार राज्यों में बनायी गयी हैं ।

आसाम और त्रिपुरा ने क्रमशः "सहकारी परामर्शदाता बोर्ड" और "सहकारिता सम्बन्धी परामर्शदाता समिति" बनायी हैं ।

(ग) इनके ग न के बारे में संलग्न विवरण में बताया गया है और ये सिफारिश किये गये तरीके पर बनायी ग ी है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० २९१२/६४]**

## पाकिस्तानी रेलगाड़ियां

*११९. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्रीमती सावित्री निगम :** }

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी रेलवे कर्मचारियों द्वारा चलाई जाने वाली पाकिस्तानी रेलगाड़ियों का भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर प ्ति दूरी तक चलाया जाना अभी जारी है ; और

(ख) यदि हां, तो सीमा पर इंजन तथा कर्मचारियों को बदलने का उचित प्रबन्ध करने के लिये क्या कदम उ ाये गये हैं ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

### विवरण

(क) जी हां, भारत और पाकिस्तान के बीच ९ रेल मार्गों में से दो पर ।

(ख) इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी रेलगाड़ियां चल रही हैं । दोनों देशों के बीच कुछ रेल मार्गों पर पाकिस्तानी क्षेत्र में भारतीय रेलगाड़ियां चलती हैं और अन्य मार्गों पर भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी रेलगाड़ियां चलती हैं । जब तक दोनों देशों के बीच सीधी रेलगाड़ी चलती रहेगी, इस व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों ओर रेलवे स्टेशनों के बीच सीमा रेखा पड़ती ही है । तथापि, सम्बन्धित भारतीय रेलवे ने सीमा से २.५७ किलोमीटर दूर मैशाशान में, वर्तमान १३ किलोमीटर पर करीमगंज में परिवर्तन के स्थान पर, पाकिस्तानी रेलगाड़ियों को बदलने की व्यवस्था की है । इस समय ४३.९६ किलोमीटर पर रानाघाट में गाड़ी बदलने की बजाय भारतीय सीमा से १.११ किलोमीटर पर स्थित गीड में पाकिस्तानी रेलगाड़ियों को बदलने की सुविधाओं के लिये वित्त मन्त्रालय के परामर्श से सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । तथापि, रेलगाड़ी बदलने के स्थानों को मैशाशान और गीड बनाने के प्रश्न के बारे में पाकिस्तान सरकार से पूछा गया है ।

## दिल्ली की सहकारी समितियां

*१२०. { श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री २१ अप्रैल, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या १११९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की कुछ सहकारी समितियों के कार्यवहन की जांच कराने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) निम्नलिखित समितियों के गठन, कार्यकरण और वित्तीय स्थिति के बारे में संविहित जांच की जा रही है :

१. आटोइण्डिया को-आपरेटिव सप्लाई सोसायटी लिमिटेड, २४, साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली ।

२. दिल्ली ग्रेन डिस्ट्रीब्युटिंग को-आपरेटिव सप्लाई सोसायटी लिमिटेड, ७९, कमला मार्केट, आसफ अली रोड, नई दिल्ली ।

३. परचून दुकानदार को-आपरेटिव सप्लाई सोसायटी लिमिटेड, १२७९ काश्मीरी गेट, दिल्ली ।

४. ट्रेडर्ज को-आपरेटिव स्टोर लिमिटेड, ४१५-ए, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली–३ ।

५. मगला कोआपरेटिव स्टोर लिमिटड, ११-ए, कमला नगर, दिल्ली--६ ।

६. खादी ग्राम उद्योग को-आपरेटिव इण्डस्ट्रियल सोसायटी लिमिटेड, गांव व डाकखाना नरेला, दिल्ली ।

७. रिक्शा पुलर्ज को-आपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसायटी लिमि ड, दुकान नं० १३४, कमला मार्केट, नई दिल्ली ।

८. दिल्ली स्टेट सेंट्रल को-आपरेटिव स्टोर्स लिमि ड, नई दिल्ली ।

## कृषि उत्पादन कार्यक्रम

*१२१. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री ॅ० वेंकटासुब्बया :
श्री राम हरख यादव :
श्री बसवन्त :
श्री रा० बरुआ :
श्री रामपुरे :
श्री द्वारका दास मंत्री :



310 (Ai)—LSD—4

श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि उत्पादन सम्बन्धी आ संयुक्त केन्द्रीय दल १९६४–६५ के कृषि उत्पादन कार्यक्रम बनाने में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच सहयोग कराने के लिये मई-जून में देश का दौरा करेंगे ।

(ख) क्या गत वर्ष किये गये अध्ययनों की तुलना में इस वर्ष उनके अध्ययन के क्षेत्र में विस्तार कर दिया गया है ताकि उसके अन्तर्गत कृषि कार्यक्रमों की क्रियान्विति के कुछ पहलुओं को भी शामिल किया जा सके ;

(ग) गत वर्ष किये गये अध्ययन पर्यटन के किस सीमा तक वांछित परिणाम निकले ; और

(घ) सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम में क्या नये परिवर्तन करने का विचार है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां । पिछले वर्ष केवल कृषि फसलों तक ही विस्तार सीमित था लेकिन इस वर्ष इसको कृषि फसलों के अतिरिक्त पशु-पालन डेरी, मत्स्य-पालन, और वन पर भी लागू किया गया है ।

(ग) कृषि के विकास के कार्यक्रम को तेज करने के लिये केन्द्रीय दल द्वारा की गयी अधिकांश सिफारिशें राज्य सरकारों ने क्रियान्विति के लिये मान ली हैं ।

(घ) अब विशेषतः चुनीदा गहन कृषि क्षेत्रों में कृषि विकास के कार्यक्रमों को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिये अधिक बल दिया जा रहा है ।

## Srinagar Aerodrome

**191. Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Transport** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2869 on the 5th May, 1964 and state:

(a) Whether the feasibility of installing Ground Controlling Approach System at Srinagar airport has been completed;

(b) if so, the conclusion arrived at ; and

(c) the further steps being taken to convert Srinagar aerodrome into a modern one.

**The Deputy Minister in the Ministry of Transport (Shri Mohiuddin):** (a) and (b). The matter is still under examination.

(c) The airfield at Srinagar is already suitable for transport aircraft like Viscounts.

## रेलवे वर्कशाप

**१९२ श्री सोनावने** : क्या रेलव मन्त्री ३१ मार्च, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२-६३ में प्रत्येक रेलवे वर्कशाप में कुल कितने वैगनों की मरम्मत की गयी, किस प्रकार के वैगनों की मरम्मत की गयी, और प्रत्येक किस्म के मरम्मत किये गये वैगनों की क्या संख्या है और प्रति वैगन मरम्मत पर क्या लागत आयी ;

(ख) किस रेलवे वर्कशाप में किस प्रकार के वैगनों का निर्माण होता है और हर प्रकार के वैगनों पर प्रति वैगन क्या लागत आयी, और उसी प्रकार के वैगनों के लिये गैर-सरकारी वैगन-निर्माताओं को क्या मूल्य दिया गया ; और

(ग) रेलवे वर्कशाप में और क्या उपकरण बनाये जाते हैं अथवा मरम्मत की जाती है और प्रति यूनिट उनकी क्या लागत है ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) एक विवरण। (विवरण संख्या १) सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २९१३/६४]**

(ख) एक विवरण (विवरण संख्या २) संलग्न है जिसमें वैगन बनाने वाले वर्कशापों के नाम और १९६२–६३ में बनाये गये वैगनों की किस्म बतायी गयी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० २९१३/६४।]**

एक दूसरा विवरण (विवरण संख्या ३) संलग्न है जिसमें वर्ष १९६२–६३ में रेलवे वर्कशापों में निर्मित, वैगनों की प्रतिवैगन लागत और उसी वर्ष में इसी प्रकार के वैगन बनाने के लिये गैर-सरकारी वैगन निर्माताओं को दिया गया मूल्य बताया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २९१३/६४]**

(ग) (१) रेलवे रिपेयर वर्कशापों में इंजनों और डिब्बों की मरम्मत भी होती है और उनके संधारण के लिये अतिरिक्त पुर्जे भी बनते हैं। दो विवरण (विवरण संख्या ४ और ५) संलग्न हैं जिसमें वर्ष १९६२–६३ में उत्पादन और इंजनों और डिब्बों की मरम्मत पर औसत व्यय बताया गया है। **[पुस्तकालय में रखे गय। देखिये संख्या एल० टी० २९१३/६४]**

जहां तक पुर्जों के निर्माण का सम्बन्ध है, उनकी संख्या बहुत अधिक है और उनकी सूची और मूल्य सूची नहीं दी गयी है। तथापि, इंजनों, सवारी और माल-डिब्बों के जो अतिरिक्त पुर्जे वर्ष १९६२-६३ में हर रेलवे रिपेयर वर्कशाप में बनाये गये, उनका कुल मूल्य बताने वाला विवरण (विवरण संख्या (६) संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २९१३/६४।]**

कुछ रेलवे रिपेयर वर्कशापों ने वर्ष १९६२–६३ में कुछ अन्य वस्तुओं का निर्माण करना भी शुरू कर दिया है। एक विवरण (विवरण संख्या ७) संलग्न है, जिसमें उत्पादन की मात्रा और उसे जहां कहीं उपलब्ध है, प्रति वस्तु लागत दी गयी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २९१३/६४।]**

कुछ रेलवे रिपेयर वर्कशाप एक सीमित मात्रा में यात्री डिब्बे भी बनाते हैं और इन्टीग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बुर में निर्मित शेल भी तैयार करते हैं। एक विवरण (विवरण संख्या ८) संलग्न है, जिसमें वर्ष १९६२–६३ मे उत्पादन और प्रति वस्तु लागत दी गयी है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २९१३/६४।]**

रेलवे रिपेयर वर्कशापों मे क्रेनों पम्पों, पम्प इंजिनों मशीनी औजार आदि की सफाई और मरम्मत भी होती है। इस कार्य के लिये वस्तु-लागत के कोई पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते।

(२) चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स मे निर्मित इंजनों बायलरों आदि के इंटीग्रल कोच फैक्टरी, पैराम्बूर मे निर्मित सवारी डिब्बों के उत्पादन और वस्तु लागत के बारे में संलग्न विवरण (विवरण संख्या ६) मे बताया गया है **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० २६१३/६४]** इस विवरण मे जोनल रेलवे के लिये वर्ष १९६२–६३ मे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में निर्मित पुर्जों और उनके मूल्य के बारे मे भी बताया गया है।

(३) सिविल-इंजीनियरिंग वर्कशापों मे विभिन्न प्रकार के इस्पात के ढांचे बनाये जाते हैं जैसे प्लैटफार्म शेल्टर, पैदल ऊपरीपुल, सड़क ऊपरी पुल रेलवे पुलों के गर्डर, स्टेजिंग्स और रूफट्रस, डिप लारीज आदि। लागत हर काम पर भिन्न आती है जो किसी वस्तु के ढांचे पर निर्भर करती है और इसलिये वस्तु लागत का तत्काल पता नहीं लगाया जा सका।

(४) सिगनल और टेलि-कम्युनिकेशन वर्कशापों मे सिगनल सामान की कार्यक्रमानुसार सफाई और मरम्मत के अतिरिक्त रेलवे में सिगनल लगाये जाने के लिये विभिन्न उपकरण बनाये जाते हैं। इसमें कई किस्म के उपकरण होते हैं मरम्मत का काम भी भिन्न भिन्न होता है। वर्ष १९६२–६३ मे सिगनल वर्कशापों में उत्पादित सिगनल के सामान का कुल मूल्य विवरण संख्या १० में दिया गया है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० २६१३/६४]**।

(५) रेलवे इलैक्ट्रिकल वर्कशापों में बिजली से चलने वाले इंजनों और बहु-यूनिट सवारी डिब्बों के बिजली के उपकरणों और अन्य सवारी डिब्बों की गाड़ियों में प्रकाश उपकरणों की सफाई होती है। इसके अतिरिक्त वे रेलवे की स्थापना में प्रयुक्त अन्य बिजली के सन्यन्त्र उपकरण और वस्तुओं को सफाई और भारी मरम्मत होती है। सफाई किये गये और मरम्मत किये गये बिजली के सामान की किस्म और संख्या बहुत अधिक होने के कारण वस्तु लागत के कोई पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते। रेलवे इलैक्ट्रिकल वर्कशापों में किसी बड़े विद्युत उपकरण का निर्माण नहीं होता।

## विमान सेवाओं का इकट्ठा किया जाना[1]

**१९३. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने अदन एयरवेज और पूर्व-अफ्रीकी एयरवेज के साथ एक समुच्चय (पूल) करार किया है

(ख) यदि हां तो करार का उद्देश्य और मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इससे क्या लाभ होंगे ?

**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) जी हां।

(ख) अदन/नैरोबी/अदन क्षेत्र में तीनों विमान सेवाओं द्वारा अर्जित राजस्व को इकटठा किया जायेगा और एक सहमत अनुपात में भाग किया जायेगा।

(ग) अन्य समुच्चय करारों की तरह इस करार से तीनों विमान सेवाओं में निकट का सहयोग होगा और कार्यक्रम का समन्वय होता रहेगा। इस मार्ग पर बेकार की प्रतिस्पर्धा नहीं होगी और जनताको सेवा अच्छी मिल सकेगी।

[1]Poo ing.

## निजामाबाद--पूर्णा सैक्शन

**१९४. श्री राम हरख यादव :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शनिवार ९ मई १९६४ को मध्य रेलवे के निजामाबाद पूर्णा सैक्शन पर मूगर तथा नांदेड़ रेलवे स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी के ११ माल डिब्बे रेल की पटरी से उतर गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का व्यौरा क्या है तथा रेलवे को यदि कोई हानि हुई है तो कितनी ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** (क) आठ माल डिब्बे पटरी से उतर गये थे तथा अन्य चार उलट गये थे ।

(ख) ९–५–६४ को लगभग १४.०५ बजे जब नम्बर आई–३५ डाउन मालगाड़ी मध्य रेलवे के निजामाबाद-पूर्णा मीटरगाज सिंगनल लाइन सैक्शन के मुगर तथा नांदेड़ स्टेशनों के बीच चल रही थी तब ८ माल डिब्बे रेल की पटरी से उतर गये तथा अन्य चार उलट गये जिसके कारण रास्ता रुक गया था ।

रेलवे सम्पत्ति को अनुमानत: ५,३७२ रुपये की हानि हुई थी ।

## मोनामथुरा-विरुदनगर रेलवे लाइन

**१९५.** **श्री राम हरख यादव :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्रीमती अकम्मा देवी :**
**श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
**श्री न० प्र० यादव :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि मद्रास में मोनामथुरा-विरूदनगर रेलवे लाइन शीघ्र ही सार्वजनिक यातायात के लिए खोल दी जायेगी ।

(ख) क्या सरकार त्रिवेन्द्रम कुमारी अन्तरीप तथा तिरुनेलवेली को मिलाने वाली रेलवे लाइन बनाने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो योजना की क्रियान्विति के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं तथा उस पर कुल कितना धन व्यय होगा ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** (क) शेष असप्पुकोट्टई-मानामदुरै लाइन का भाग २५ मई १९६४ को सार्वजनिक यातायात के लिए खोल दिया गया है।

(ख) और (ग) तीसरी योजनावधि में रेलवे के कार्यक्रम में इस लाइन को शामिल नहीं किया गया है। परन्तु इस लाइन के आरम्भिक इंजीनियरिंग तथा यातायात सर्वेक्षण की स्वीकृति दे दी गई है और सर्वेक्षण का काम हो रहा है।

**ब्रिटिश मालवाही जहाज का डूब जाना**

१६६. **श्री राम हरख यादव :**
**श्री रा० बरुआ :**
**श्री रामसहाय पाण्डेय :**
**श्री द्वारका दास मंत्री :**

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एस० एस० मार्तण्ड' ब्रिटिश मालवाही जहाज १२ मई १९६४ की रात्रि में हुगली में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और कलकत्ते से २० मील की दूरी पर रेत में फंस गया था ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए गए हैं ?

**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** (क) जी हां ।

(ख) ११ मई १९६४ को लगभग २ बजे एस० एस० 'मार्तण्ड' (जी० टी० ८०५५) जब कलकत्ते से लगभग १७ मील (नम्बर ४ अलीपुर सैंड बूआद में लंगर डाल रहा था तब रेत मे फंस गया। उसमें योरोप बन्दरगाहों को जाने वाला ६००० टन माल लदा हुआ था जिसमें मैंगनीज़ अयस्क, पटसन, बोरे तथा हड्डी का चूरा लदा हुआ था। इंजन के कमरे के निकट 'हलप्लेटिंग' में टूट फूट हो गई थी तथा इंजन के कमरे और बायलर रूम मे पानी भर गया था ।"

(ग) घटना की आरम्भिक जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं। उपपत्तियों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

**टेलीफोन कनेक्शन**

१९७. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'अपना टेलीफोन योजना' के अधीन दूर बार्ता श्रेणियों तथा अन्य पार्टियों को दिल्ली मे टेलीफोन कनेक्शन देने के बारे में कुछ अनुपात नियम लागू किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो १ जनवरी १९६४ से १५ मई १९६४ तक की अवधि में टेलीफोन कनेक्शनों के श्रेणीवार आंकड़े क्या क्या हैं ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** (क) जी हां । दिल्ली में 'अपना टेलीफोन योजना' के अधीन अभ्यर्थियों को ७० प्रतिशत तथा दूर वाली श्रेणियों को ३० प्रतिशत टेलीफोन दिये जाते हैं। जब पर्याप्त क्षमता उपलब्ध हो जाती है तब सामान्य प्रतीक्षित सूची के पुराने अभ्यर्थियों को कुछ टेलीफोन दे दिये जाते हैं ।

(ख) इस अवधि में १८५३ टेलीफोन 'अपना टेलीफोन योजना' के अधीन तथा २२५ दूर श्रेणियों के अधीन दिये गये थे। टेलीफोन सलाहकार समिति के परामर्श पर शीघ्र ही निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार दूर श्रेणियों में टेलीफोन दिये गये थे। सामान्य प्रतीक्षा सूची के अधीन पुराने अभ्यर्थियों को कुछ टेलीफोन देने के आदेश दे दिए गये हैं। अब तक लगभग ५०० टलीफोन दिये जा चुके हैं तथा निकट भविष्य मे और दे दिये जायेंगे ।

## बड़े डाकखानों की इमारतें

**१९८. श्री अ० व० राघवन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कालीकट तथा कन्नूर में बड़े डाकखानों की इमारतें बनाने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) ये कब खोले जायेंगे ?

**संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) और (ख) कालीकट के बड़े डाकखाने की इमारत का शीघ्र ही उदघाटन हो जायेगा ।

कन्नूर के बड़े डाकखाने की इमारत के लिए जमीन का अर्जन कर लिया गया है तथा आरम्भिक नकशे बनाने के लिए कार्यवाही की गई है। इमारत के बन कर तैयार होने में कुछ समय लग जाने की आशा है ।

## हिसार में टेलीफोन कनेक्शन

**१९९. श्री चुनीलाल**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिसार (पंजाब) में टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिये कितने अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में हैं ;

(ख) इन में से कितने छोटे पैमाने के उद्योगपति हैं ;

(ग) वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंज को बढ़ाने के क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(घ) मांग को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) १८९;

(ख) कोई नहीं ।

(ग) और (घ) वर्तमान हस्तचालित एक्सचेंज के स्थान पर ५०० लाइनों का स्वचालित एक्सचेंज बनाने के लिये यंत्रों के आदेश दे दिये गये हैं तथा आशा है कि वह १९६५/६६ तक चालू हो जायेगा ।

## कालका रेलवे स्टेशन

**२००. श्री चुनीलाल**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में (वर्षवार) कालका रेलवे स्टेशन पर माल की चोरी के कितने मामले हुए हैं ;

(ख) कितने मामलों का पता लगा लिया गया था तथा कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया था तथा उठाईगिरी के मामलों को रोकने के लिये रेलवे विभाग द्वारा क्या सावधानी बरती गई है ;

(ग) कितने मूल्य की वस्तुओं की चोरी हुई तथा रेलवे ने वर्षवार दावों का भुगतान किया ;

(घ) दावों के कितने मामले तय हो गए तथा तय नहीं हो पाये ; और

(ङ) दावों को तय होने मे सामान्यतः कितना समय लगता है ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :**

| (क) | | |
|---|---|---|
| | १९६१ | ४ |
| | १९६२ | ५ |
| | १९६३ | २ |

| (ख) | **पता लगाये गये मामलों की संख्या** | | **दण्ड दिये गये व्यक्तियों की संख्या** |
|---|---|---|---|
| | १९६१ | १ | २ |
| | १९६२ | २ | २ |
| | १९६३ | – | – |

सुरक्षा के प्रबन्ध कठोर बना दिये गये हैं। पार्सल आफिस तथा गुड्स शैड में आर० पी० एफ० द्वारा रात का गश्त तथा अधीक्षण बढ़ा दिया गया है।

| (ग) | **चुराई गई वस्तुओं के मूल्य@** | **भुगतान किए गए दावे** |
|---|---|---|
| | रुपये | रुपये |
| १९६१ | ५२०–७५ | २५२–१४ |
| १९६२ | ६१–७५ | ५६–५० |
| १९६३ | ६३–६० | ४८–८० |

@किये गये दावों के मूल्य पर ये आंकड़े मुख्यतः आधारित हैं।

| (घ) | **तय हो गये मामलों की संख्या** | **तय न हुये मामलों की संख्या** |
|---|---|---|
| १९६१ | ३ | कोई नहीं |
| १९६२ | ३ | कोई नहीं |
| १९६३ | ३ | कोई नहीं |

१९६१ में उठाईगिरी के एक मामले में तथा १९६२ में २ मामलों में कोई दावा नहीं किया गया।

(ङ) उत्तर रेलवे में औसतन ३० दिनों में दावे तय हो जाते हैं।

**राजस्थान में नलकूप**

**२०१. श्री राम हरख यादव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पीने के पानी के संभरण के लिये राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में २५० नलकूप खोदने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार के भूतत्वीय विभाग द्वारा प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्य कर लिया गया है ;

(ग) नलकूप कब तक प्रयोग में लाये जाने के लिये तैयार हो जाने की आशा है ; और

(घ) इन पर कितना धन व्यय होगा ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन अन्वेषणात्मक नलकूप संगठन राजस्थान के सभी कभी क्षेत्र में अकाल सहायता तथा सिंचाई कार्यों के रूप मे २५० नलकूप बनाने में राज्य सरकार की सहायता करेगी। इन नल-कूपों से प्राप्त पानी का इस्तेमाल पशुओं के पीने के लिये, चारा उगाने के लिये अन्य कृषि प्रयोगों तथा घरेलू कार्यों के लिए होगा ।

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा छांटे गये स्थानों पर एक सौ पच्चीस नलकूपों का छिद्रण होगा तथा शेष १२५ नलकूपों के लिए भारत के भूतत्वीय परिभाप की सहायता से राज्य सरकार द्वारा छाटे गये क्षेत्रों का भूतत्वीय सर्वेक्षण करने का विचार है।

(ग) और (घ). आशा है कि अन्वेषणात्मक नलकूप संगठन २५० नलकूपों का निर्माण मार्च, १९६६ तक कर लेगा। पानी को ले जाने तथा अन्य असैनिक निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है। यह समझा गया है कि राज्य सरकार ने इस काम के लिए विस्तृत योजना तैयार की है तथा कुल अनुमानित व्यय, नलकूपों की लागत समेत ५ करोड़ रुपये ।

## रेल गाड़ी द्वारा चार व्यक्तियों का कुचला जाना

**२०२. श्री राम हरख यादव:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चार बैंड वाले १४ मई, १९६४ को उत्तर रेलवे के मुरादाबाद-दिल्ली सैक्शन पर हकीमपुर तथा मुरादाबाद स्टेशनों के बीच एक गांव के निकट एक यात्री गाड़ी से कुचल दिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). १२-५-६४ को जब २ एम डो दिल्ली-मुरादाबाद यात्री गाड़ी कैलासा तथा हकीमपुर स्टेशनों के बीच चल रही थी तब गंगा के पुल पर से अवैध रूप से जाने वाले चार व्यक्तियों पर रेलगाड़ी गुजर गई और चारों व्यक्ति मर गये थे ।

## इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

**२०३. श्री यशपाल सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन गोआ के सिटी बुकिंग आफिस से यात्रियों को हवाई अड्डे तक ले जाने के लिये प्रति व्यक्ति ४ रुपये लेता है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों ; और

(ग) क्या सभी स्थानों पर समानता लाने के लिये इस व्यवस्था को हटाने का विचार है ?

**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). पंजिम तथा डैबो-लिम हवाई अड्डे के बीच काफी दूरी है तथा रास्ते मे कोटलाम में फेरी सर्विस है जो डैबोलिम हवाई अड्डे से लगभ १२ मील दूर है फेरी क्रासिंग के बाद पंजिम भी १२ मील दूर है। इस यात्रा मे लग-

भग दो घंटे लग जाते हैं इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन द्वारा गोम्रा को विमान सेवा लागू करने से पहले भी पंजिम और डेबोलिम हवाई अड्डे के बीच यात्रा के लिये एक तरफ के ५ रुपये लिये जाते थे। कारपोरेशन ने बताया है कि उन्होंने अपने एजेन्ट को प्रति यात्री पंजिम तथा डैबोलिम के बीच के रास्ते के लिये ४ रुपये तथा डैबोलिम और कोरिलाम के बीच के रास्ते के लिये २ रुपये प्रति यात्री लेने का अधिकार दे दिया है। ६ वर्ष की आयु से कम वाले बच्चों को मुफ्त ले जाया जाता है।

(ग) जी, नहीं

### ग्राम्य स्वयंसेवक दल[1]

२०४. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संगठित नेतृत्व न होने के कारण ग्राम्य स्वयंसेवक दल प्रभावी रूप में काम नहीं कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ग्राम्य दल के स्वयंसेवकों को शिक्षित, परीक्षित तथा सक्रिय बनाने के लिये नेशनल कैडट कोर से सहायता मंगाने का विचार है ?

**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

### फ्रन्टियर मेल

२०५. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रन्टियर मेल में चलता फिरता क्लोक रूम लागू करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या क्लोक रूम का इस्तेमाल सभी यात्री कर सकेंगे ; और

(ग) उस पर कितना धन व्यय किए जाने की आशा है ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १ मई, १९६४ से ३ डाउन/४ अप फ्रंटियर मेल रेलगाड़ी में प्रयोग के तौर पर एक चलता फिरता क्लोक रूम चालू किया गया है।

(ख) अभी यह सुविधा केवल पहले दर्जे के यात्रियों के लिये है।

(ग) योजना पर इस समय कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

### पिछड़े वर्गों की सहायतार्थ सहकारी समितियां

२०६. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े वर्गों में सहकार संबंधी कार्यकारी दल ने पिछड़े तथा आदिमजाति क्षेत्रों में सहकार के विकास के लिये राष्ट्रीय निगम स्थापित करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

[1]Village Volunteer Force.

**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)**: (क) जी, हां ।

(ख) कार्यकारी दल की इस सिफारिश पर, अन्य सिफारिशों के साथ ही साथ सहकार राज्य मंत्रियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के प्रभारी राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में ६ मई, १९६४ को चर्चा हुई थी । उपरोक्त सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय इस प्रश्न पर भी विचार कर रहा है ।

### दण्डकारण्य-बोलंगीर-किरिबुरू रेलवे परियोजना

२०७. **श्री प्र० के० देव**: : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य बोलंगीर–किरिबुरू रेलवे परियोजना के निर्माण का कार्य कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ;

(ख) इस रेलवे लाइन के कौनसे भागों पर अब काम पूरा हो गया है और माल और सवारी गाड़ियों का आना जाना आरम्भ हो गया है ; और

(ग) क्या लाइन के कुछ भागों का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां तो कौन से भागों का ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) सम्बलपुर–टिटिलागढ़ (११३ मील) और बिमलगढ़–किरिबुरू (२५.६३ मील) की नई लाइनें पूरी हो गई हैं और माल यातायात के लिये पहले से ही खोल दी गई हैं । सम्बलपुर–टिटिलागढ़ लाइन का टिटिलागढ़–बोलंगीर भाग भी यात्री यातायात के लिये खोल दिया गया है ।

(ग) इस समय नहीं ।

### चीनी मिलों में चीनी की 'रिकवरी'

२०८. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में चीनी की कुल औसत 'रिकवरी' कितनी है ;

(ख) उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में चीनी की कम 'रिकवरी' के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) ३० अप्रैल, १९६४ तक ९.५० प्रतिशत ।

(ख) और (ग). उत्तर प्रदेश में पश्चिमी जिलों में 'रिकवरी' नाशिकीट, फसल रोगों, सूखा और धुन्द द्वारा नुकसान के कारण, इस वर्ष कम रही है । गन्ने की किस्म में सुधार करने के लिये कारखाना क्षेत्रों में गहन गन्ना विकास योजनाएं आरम्भ कर दी गई हैं ।

### आसाम में चीनी मिल

२०९. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने जिला कचार आसाम में एक चीनी मिल स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से लाइसेंस जारी करने के लिये प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) से (ग). आसाम सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत जिला कचार (आसाम) की चारगोला घाटी में एक नया संयुक्त स्कंध चीनी कारखाना स्थापित करने के लिये एक लाइसेंस मंजूर करने के लिये ईस्टर्न शुगर मिल्स लिमिटेड, शिलांग के आवेदनपत्र को भेजा है। आवेदनपत्र पर निर्णय के शीघ्र ही पता लग जाने की आशा है।

### एशियाई कृषि सहकारी सम्मेलन

२११. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री ओंकारलाल बेरवा :**
**श्री धवन :**

क्या **सामुदायिक विकास तथा** सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टोक्यो में हुए दूसरे एशियाई कृषि सहकारी सम्मेलन में भारत प्रेक्षकों में से एक था ;

(ख) यदि हां, तो वहां भारत का प्रतिनिधि कौन था ;

(ग) क्या भारत सरकार को कोई प्रतिवेदन पेश किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) जी, हां। एक प्रतिनिधिमण्डल भेजा गया था।

(ख) १. श्री एन० ई० एस० राघवाचारी—सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में भारत सरकार के अपर सचिव।

२. श्री ब्रह्म प्रकाश, महा सचिव, राष्ट्रीय सहकारी संघ, भारत।

३. श्री गंगा लाल कासेवा, सचिव, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

### Rice Cooker

212. Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri Daji:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Gokaran Prasad:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn tot he news-item appearing in **Hindustan Times** dated the 8th May, 1964 that a New Delhi house-wife has developed a cooker with a capacity of boiling rice within 15 minutes;

(b) whether the said device has been examined and its utility ascertained; and

(c) whether there is any possibility of manufacturing this cooker on a commercial scale?

**The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas):** (a) Yes.

(b) No.

(c) The news item indicated that the housewife was proposing to patent her invention.

**पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये निगम**

२१३. **श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री ब० कु० दास:**

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये निगम स्थापित करने की योजना छोड़ दी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसे कब स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) निगम किस प्रकार काम करेगा ?

**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रस्तावित निगमों के कार्य क्षत्र और कार्यों के संबंध में ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं और आशा है कि उन्हें तीन मास के समय में स्थापित कर दिया जायेगा।

**भोजन व्यवस्था संबंधी प्रशिक्षण स्कल**

२१४. **श्री सुबोध हंसदा:**
**श्री ब० कु० दास:**
**श्री स० चं० सामन्त :**

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोजन व्यवस्था संबंधी एक प्रशिक्षण स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) स्कूल में भोजन व्यवस्था के प्रशिक्षण की विशेष बातें क्या होंगी ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) से (ग) भोजन व्यवस्था के कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण स्कूल खोलने के प्रस्ताव की जांच हो रही है। इसके पाठ्यक्रम में रेलवे की भोजन व्यवस्था पर अधिक जोर दिया जायेगा। प्रस्ताव के ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं और इस समय स्कूल के खोलने की तारीख के सम्बन्ध में कोई निर्णय करना कठिन है।

## सहकारी स्टोरों में वस्तुओं के मूल्य

२१५. { **श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री म० ला० द्विवेदी:**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय:**

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को देखने के लिये किसी नियंत्रण की व्यवस्था की गई है कि दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी स्टोरों द्वारा बेची गईं विभिन्न वस्तुओं के लिये लिये गये मूल्य बाजार में प्रचलित मूल्यों से अधिक तो नहीं हैं ;

(ख) क्या उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से (१) घटिया किस्म की वस्तुएं बेचने और (२) ऊंचे मूल्य लेने के संबंध में अनियमितताओं अथवा शिकायतों की जांच करने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :** (क) जी नहीं। वस्तुओं के मूल्य स्टोरों की प्रबन्ध समिति द्वारा अपनी उपविधियों के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं। नियंत्रित वस्तुओं के संबंध में, जिनके मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं, असैनिक संभरण विभाग इस बात की जांच करता है कि लाइसेंस की शर्तों का पालन किया जाता है या नहीं।

(ख) जी, नहीं। केवल नियंत्रित वस्तुओं के संबंध में ऐसी व्यवस्था है।

(ग) असैनिक संभरण विभाग के निरीक्षक नियंत्रित वस्तुओं के मूल्यों और उन की किस्म की जांच करते हैं।

## कृषि विश्वविद्यालय

२१६. { **श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री श्यामलाल सर्राफ :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन नये कृषि विश्वविद्यालय खोलने का एक प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के ब्योरे क्या हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) और (ख) इस समय उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा राज्यों में चार कृषि विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और मैसूर राज्यों में ३ और कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं। इस प्रयोजन के लिये आवश्यक विधान पहले से ही संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बना लिया गया है।

## Accident at Baudpur Station

217. { **Shri Onkar Lal Berwa :**
{ **Shri Gokaran Prasad :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2153 on the 14th April, 1964 and state :

(a) whether the enquiry into the collision of Madras-Howrah Express with a goods train at Baudpur Station (South Eastern Railway) on the 8th March, 1964 has been completed; and

(b) if so, the outcome thereof?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan) :** (a) and (b) The enquiry report has not yet been finalised.

## Speed of Trains

218. { **Shri Onkar Lal Berwa:**
{ **Shri Gokaran Prasad:**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a proposal to increase the speed of the Frontier Mail and other Mail trains on various broad-gauge sections of the Indian Railways has been under consideration for a number of years;

(b) if so, at what stage the matter stands at present;

(c) whether it would involve a replacement of the existing rails on certain sections; and

(d) if so, to what extent?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy) :** (a) No. There is no such proposal at present.

(b) to (d) Do not arise.

## इस्तेमालशुदा रेलवे टिकटों की पुन: बिक्री

२१९. { **श्री प्र० चं० बरुग्रा :**
{ **श्री दे० जी० नायक:**

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे की धोखा निरोधक दस्ते ने हाल ही में इस्तेमालशुदा रेलवे टिकटों की पुन: बिक्री के एक घुटाले का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो प्रारम्भिक जांच के परिणामस्वरूप पता लगी बातों का ब्यौरा क्या है; ग्रौर

(ग) घुटाले को खत्म करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली, कानपुर और इलाहाबाद में की गई जांच के परिणामस्वरूप ऐसे दो मामलों का पता लगा है जिनमें पुरानी इस्तेमालशुदा टिकटों को उन पर दोबारा तारीख डाल कर बेचा गया था। मामला विशेष पुलिस स्थापना को अग्रेतर जांच के लिये सौंप दिया गया है।

(ग) ऐसी तारीख की मशीन, जिससे टिकटों पर तारीख के छेद पड़ जायें, इस प्रकार उन पर पुनः तारीख डाल कर बेचना असम्भव हो जाये, को इस्तेमाल में लाने की सम्भावना पर जांच की जा रही है।

## उड़ान के समय डकोटा विमान में आग लग जाना

२२०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६ अप्रैल, १९६४ को एक डकोटा विमान में, इसके जोरहाट से उड़ने के पश्चात् २ मिनट में ही आग लग गई जिसके कारण उसको मजबूरन शीघ्र उतरना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण था;

(ग) क्या डकोटा विमान आसाम प्रदेश के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया है और इसलिये वहां पर फोक्कर फ्रेण्डशिप विमान को चालाना पड़ा था; और

(घ) यदि हां, तो ज़ोरहाट सेवा से फोक्कर फ्रेंडशिप प्रकार के विमान हटाने के क्या कारण है ?

**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) बात यह हुई कि १६ अप्रैल, १९६४ को इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान वी० टी०-ए० टी० जैड० को, जो मोहनबाड़ी से कलकत्ता को विमान सेवा संख्या २१२ पर उड़ान कर रहा था, ज़ोरहाट पर पूर्वोपाय के रूप में उतरना पड़ा, क्योंकि उड़ान के बाद सफेद धुएं की एक लकीर देखी गई थी।

(ख) 'पोर्ट इन्जन' में खराबी के परिणामस्वरूप तेल निकलने लगा जिससे धुएं की लकीर पड़ गई।

(ग) जी, नहीं। डकोटा विमान आसाम प्रदेश में उड़ान के लिए अनुपयुक्त नहीं समझा गया था। हां, इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा १९६१ में पांच फ्रेण्डशिप विमान प्राप्त करने के पश्चात् यह निर्णय किया गया था कि उस क्षेत्र में यात्रियों की सुविधा और आराम के लिए उन्हें मुख्य रूप से पूर्वी प्रदेश में चलाया जाये।

(घ) १ फरवरी, १९६४ से पूर्व एक 'फ्रैन्डशीप' विमान सेवा कलकत्ता/गोहाटी/ज़ोरहाट/मोहनबाड़ी मार्ग पर चलाई जाती थी। १ फरवरी, १९६४ से 'कैरेवेल' विमान के चलाये जाने से प्रादेशिक मार्गों पर कुछ वाइकाउन्ट विमान चलाये गये थे ताकि यात्रियों को विमान यात्रा में शीघ्र और अधिक आराम दिया जा सके और अधिक यात्रियों को ले जाने की क्षमता बढ़ाई जा सके। यद्यपि, ज़ोरहाट/मोहनबाड़ी क्षेत्र में उड़ान में केवल बीस मिनट का समय लगता है और चूंकि विमान को पहले ज़ोरहाट में और फिर मोहनबाड़ी में उतारना महंगा पड़ता था इसलिए यह विमान सेवा कलकत्ता/गोहाटी/ज़ोरहाट मार्ग पर चलाई जाती रही है।

## इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की उड़ानें

२२१. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ मार्च से १५ मई, १९६४ तक की अवधि में (१) कलकत्ता–जोरहाट, (२) कलकत्ता-सिलचर और (३) कलकत्ता–इम्फाल मार्गों पर इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की कितनी उड़ानों को रद्द किया गया;

(ख) प्रत्येक उड़ान को रद्द करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उनमें से कितनी उड़ानें विमानों में मशीनों के खराब हो जाने के कारण रद्द की गईं ?

**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन):** (क) से (ग). १ मार्च से १५ मई १९६४ तक के बीच की अवधि में, कलकत्ता से जोरहाट, सिलचर और इम्फाल को उड़ान के लिए ३९० आयोजित सेवाओं में से १८ पूर्ण सेवाएं रद्द कर दी गई थीं, १० विमानों के उपलब्ध न होने के कारण और ८ खराब मौसम के कारण । इसके अतिरिक्त उसी अवधि में ६४ क्षेत्र सेवाओं को रद्द किया गया था, ४४ खराब मौसम के कारण, १० विमानों के उपलब्ध न होने के कारण, ४ मशीनी खराबी के कारण, २ कर्मचारियों के समय पर उपलब्ध न होने के कारण, २ विमानों के दौड़ पथ पर धंस जाने के कारण और २ सेवाएं दौड़ पथ के बन्द हो जाने पर ।

## बम्बई की गोदियां

२२२. { **श्री श्यामलाल सर्राफ:**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की गोदियों से अनाज को ले जाने के लिए लारियों की कमी के कारण गोदियों पर इकट्ठे हुए अनाज के निष्कासन का काम रुक गया था और इस प्रकार मजदूरों और सरकारी ठेकेदारों के बीच बढ़ी हुई मजदूरी के लिए किये गये हाल के करार निष्फल हो गये;

(ख) यदि हां, तो अधिक ट्रकों को उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## जोरहट के लिए फोक्कर फ्रेंडशिप विमान सेवा

२२३. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ अप्रैल, १९६४ से कलकत्ता–जोरहाट मार्ग पर फोक्कर फ्रेण्डशिप विमान सेवा को पुनः चालू करने का प्रस्ताव था;



310(Ai) LS—5.

(ख) यदि हां, तो इसको क्रियान्वित न करने के क्या कारण थे; और

(ग) क्या कुछ फ्रेण्डशिप विमानों को आसाम क्षेत्र से उत्तर प्रदेश और राजस्थान क्षेत्रों को भेज दिया गया था और यदि हां, तो कितने विमानों को ?

**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) और (ख) निगम के पास कलकत्ता/गोहाटी/जोरहाट पर प्रयोगात्मक धार पर फ्रैण्डशिप विमान सेवा चलाने की योजनायें थीं और वह इस आधार पर थीं कि कलकत्ता/चिटागांय फ्रैण्डशिप विमान सेवा को बन्द कर दिया जायेगा। तथापि, कलकत्ता—चिटागांग फ्रैण्डशिप विमान सेवा को चलाना आवश्यक हो गया था। निगम ने बताया है कि ज्यों ही फ्रैण्डशिप विमान अथवा इसकी बराबर क्षमता के विमान उपलब्ध हो जायेंगे, वह जोरहाट के लिए एक फ्रैण्डशिप विमान सेवा चलाने पर विचार करेगी

(ग) फ्रैण्डशिप विमान सेवा को कलकत्ता/अगरतल्ला मार्ग से इस लिए हटा लेना पड़ा कि कलकत्ता से दिल्ली के लिए विमान जल्दी रवाना हो सकें और उदयपुर के रास्ते में शीघ्र पहुंच सकें उदयपुर में रात के समय में विमानों के उतरने के लिए सुविधाओं की कमी के कारण फ्रैण्डशिप सेवा के विमानों को कई बार उदयपुर के ऊपर से उड़ान करनी पड़ी।

## बम्बई की गोदियां

२२४. **श्री सुबोध हंसदाः क्या खाद्य तथा कृषिमंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, १९६४ के अन्तिम सप्ताह में सरकार को बम्बई गोदी नौभरकों द्वारा धीमे काम करने की चाल के कारण बम्बई के गोदी प्राधिकारियों को ५५,००० रु० दनिक देने पड़े थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां पर उर्वरक और खाद्यानों का भारी स्कन्ध इकट्ठा हो गया; और

(ग) यदि हां, तो जहाज़ों को कुछ और भागों को माल उतारने के लिए क्यों नहीं भेजा गया था ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** (क) अप्रैल, १९६४ के अन्तिम सप्ताह में पत्तन अधिकारियों को औसतन लगभग ५२४ रु० प्रतिदिन का शेड विलम्ब शुल्क देय था।

(ख) जी हां; परन्तु इस बीच में पर्याप्त माल निकाल दिया गया था।

(ग) प्रभावग्रस्त जहाजों को अन्य पत्तनों को भेजने की सम्भावनाओं पर गौर किया गया था और जिन जहाजों को भी भजना सम्भव पाया गया उन्हें भेज दिया गया था।

## खाद्यान्न का आयात

२२५. **श्री सुबोध हंसदा खाद्य तथा** कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य का आयात पिछले दो वर्षों में कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कितना;

(ग) क्या देश के बाजारों में इसका कोई प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो खाद्यान्नों के मूल्यों को स्थिर बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

## रेलवे दुर्घटना समिति

२२६. **श्री गोकुलानन्द महन्तो:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दुर्घटना समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए रेलवे बोर्ड का कार्यालय में कोई विशेष शाखा खोली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो शाखा ने हाल में किन सिफारिशों को लागू करना आरम्भ किया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**:(क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० संख्या २९१४/६४]**

## नरोज रेलवे पुल दुर्घटना

२२७. **श्री गोकुलानन्द महन्तो:** क्या **रेलवे** मंत्री १० सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ जनवरी, १९६३ को दक्षिण-पूर्व रेलवे के नरोज रेलवे पुल की दुर्घटना में जो लोग मारे गये थे उनके परिवारों को अब तक कितना प्रतिकर दिया जा चुका है;

(ख) क्या सभी परिवारों को प्रतिकर मिल गया है; और

(ग) क्या इस प्रतिकर के भुगतान की जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन के अलावा और किसी पर भी है ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) ठेके के शर्तों के अनुसार घायल कर्मचारियों और मृतकों के परिवारों को प्रतिकर देने की जिम्मेदारी ठेकेदार की है । उसने कहा है कि उसने ५० मृतक कर्मचारियों के सम्बन्धियों को दिये जाने के लिए ३५०० रु० के अलग अलग ५० ड्राफ्ट कटक स्थित अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं मजदूर प्रतिकर आयुक्त के पास जमा कर दिये हैं । इस प्रतिकर के अलावा ठेकेदारों ने ५० मृतकों में से प्रत्येक के सम्बन्धियों को २०० रु० की अनुग्रस्त सहायता दी । ठेकेदारों ने २४ घायल व्यक्तियों में से प्रत्येक को भी २०० रु० की अनुग्रहीत् सहायता दी ।

(ख) मृतक मजदूरों के परिवारों को प्रतिकर देने की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट एवं मजदूर प्रतिकर आयुक्त, कटक की है । रेलवे प्रशासन को इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) जैसा पहले ही उपरोक्त भाग (क) में बताया जा चुका है कि ठेके की शर्तों के अनुसार प्रतिकर का भुगतान करने की जिम्मेदारी केवल ठेकेदारों की है और इस सम्बन्ध में रेलों की कोई जिम्मेदारी नहीं है ।

## सुपारी

२२८. **श्री गोकुलानन्द महन्ती** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सुपारी की कुल कितनी मांग है और कितनी पैदा होती है;

(ख) भारत किन देशों से सुपारी का आयात करता है; और

(ग) क्या सरकार ने सुपारी का मूल्य बहुत बढ़ जाने के कारण इसका उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) अनुमानित मांग ११·०० लाख क्विन्टल उत्पादन (१९६२–६३) ९.७० लाख क्विन्टल

(ख) आयात विशेष कर सिंगापुर और मलाया संघ से होता है।

(ग) हां। भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति ने सुपारी उगाने वाले राज्यों से मिलकर वहां उस का उत्पादन बढ़ाने के लिये विकास कार्य क्रम आरम्भ किये हैं।

## दिल्ली में चीनी की कमी

२२९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री दाजी :**
**श्री चुनीलाल :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल में चीनी की जो कमी पैदा हुई थी, वह दूर हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख) दिल्ली में पिछले दिनों मे चीनी मिलने में कुछ कठिनाई हो गई थी। और चीनी आने तथा वितरण व्यवस्था की दिल्ली प्रशासन द्वारा बढ़ाये जाने व उसकी जांच करने से स्थिति सुधर रही है।

## आई० ए० सी० के वाइकाउन्ट विमान की दुर्घटना की जांच

२३०. **श्री दी० चं० सामन्त** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १० सितम्बर, १९६३ को आगरे के पास आई० ए० सी० के जिस वाइकाउन्ट विमान की दुर्घटना हुई थी और जिस मे १९ व्यक्ति मरे थे, क्या उस की जांच की रिपोर्ट आ गई है और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण था ?

**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) और (ख) आगरा के पास ११ सितम्बर, १९६३ को आई० ए० सी० का एक वाईकाउन्ट विमान दुघटनाग्रस्त हो गया था और उस में १८ व्यक्ति मरे थे। इस की जांच रिपोर्ट अभी नहीं मिली है।

## पुरी में बालूगान नामक स्थान पर टेलीफोन एक्सचेंज

२३१. **श्री रामचन्द्र मलिक**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुरी (उड़ीसा) जिले के बालूगान नामक स्थान पर टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का निश्चय किया गया है

(ख) यदि हां, तो यह कब तक खुलेगा; और

(ग) इस योजना के लिये कुल कितनी रकम मंजूर की गयी है?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) और (ख) २९-२-६४ को पुरी जिले मे बालूगान नामक स्थान पर टेलीफोन एक्सचेंज खोला गया था।

(ग) योजना के लिये कुल ४३,२०० रु० स्वीकार किये गये थे।

## उड़ीसा में सार्वजनिक टेलीफोन

२३२. **श्री राम चन्द्र मलिक**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा राज्य में अब भी ऐसे कितने थाने, खण्ड मुख्यालय और तहसीलदारों के मुख्यालय हैं जहां सार्वजनिक टलीफोन नहीं लगे हैं और या तार संचार की व्यवस्था नहीं है; और

(ख) ये सुविधायें देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) **उड़ीसा में थाने** ७२ थानों में तार घर नहीं है।

१६६ थानों सार्वजनिक टेलीफोन नहीं है।

**उड़ीसा में खण्ड मुख्यालय**

१२२ में तारघर नहीं है

१९२ में सार्वजनिक टेलीफोन नहीं हैं।

**अंचल स्टेशन** (तहसीलों के समान)

२२ मे तारघर नहीं हैं।

३८ में सार्वजनिक टेलीफोन नहीं हैं।

(ख) बावजूद इस के कि क्या हानि होगी, अगले कुछ वर्षों में खण्ड मुख्यालयों और थानों मे तारघर बनाने का विचार है। सामग्री संबंधी आवश्यकता का पता लगाया जा रहा है।

जब यह देखा जाय कि ये स्टेशन लाभप्रद हैं, तब वहां टेलीफोन लगाये जा सकते हैं।

## दक्षिण-पूर्व रेलवे में कर्मचारी

२३३. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के कितने कर्मचारी अब भी अस्थायी हैं और उन्हें १ जनवरी, १९६४ से स्थायी नहीं बनाया गया है और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों के कितने कर्मचारी हैं।

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

## कटक में रेलवे होस्टल

२३४. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज कल रेलवे होस्टल, कटक (उड़ीसा) में कितने छात्र हैं;

(ख) इस होस्टल में कुल कितने छात्र रह सकते हैं ; और

(ग) भवन निर्माण पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) केवल २/बाकी ४४ अन्तिम परीक्षा पूरी होने पर या कालेजों तथा स्कूलों के गर्मियों के लिए बन्द होने के कारण चले गये हैं।

(ख) ५० ।

(ग) १,४०,३७६ रु० ।

## दक्षिण पूर्व रेलवे पर सहकारी ऋण समितियां

२३५. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : आज कल दक्षिण-पूर्व रेलवे पर कितनी सहकारी ऋण समितियां काम कर रही हैं ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : दक्षिणपूर्व रेलवे पर केवल एक सहकारी ऋण समिति काम कर रही है और इस के क्षेत्राधिकार में सारी रेल है। इस का नाम दक्षिण पूर्व रेलवे कर्मचारी सहकारी नगर बैंक लि०, गार्डन रीच, खिड्डरपुर।

## केरल में पेरियार झील के पास हवाई अड्डा

२३६. **श्री मणियंगाडन :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पेरियार झील के पास एक हवाई अड्डा बनाने का विचार है ;

(ख) क्या स्थान चुन लिया गया है ?

(ग) इस कार्य के लिये जो जमीन लेने का विचार है क्या उस के संबंध में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो इस की शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) पर्यटक विकास के लिए पेरियार झील के पास हवाई अड्डा बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) पेरियार झील के पास कुमिली में हवाई अड्डा बनाने के विरुद्ध अभ्यावेदन मिले हैं ।

(घ) राज्य सरकार हवाई अड्डों के लिये उपयुक्त स्थान की जांच कर रही है और असैनिक उड्डयन विभाग भी इस में सहयोग कर रहा है । असैनिक उड्डयन विभाग प्राप्त हुए अभ्यावेदनों का भी ध्यान रखेगा ।

**केरल में चावल का मूल्य**

२३७. **श्री मणियंगाडन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, १९६४ के पहले सप्ताह में केरल में चावल का मूल्य बढ़ गया था;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) कठिनाई दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां ।

(ख) इस का मुख्य कारण यह है कि आन्ध्र प्रदेश और मद्रास में चावल की कीमत बढ़ गई थी और इन्हीं स्थानों से केरल को चावल मिलता है ।

(ग) केरल में सस्ते मूल्य की दुकानों से मिलने वाले चावल की मात्रा १७ मई, १९६४ से दोगुनी कर दी गई है केरल गल्ला व्यापारी लाइसेन्स आदेश, १९६४ सख्ती से लागू किया जा रहा है आन्ध्र प्रदेश और मद्रास से चावल प्राप्त करने मे गैर-सरकारी व्यापार को भी सहायता दी जा रही है ।

**मछली उद्योग के लिए समुद्री इंजन**

२३८. **श्री दे० जो० नायक** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली उद्योग के विकास के लिए सरकार का विचार समुद्री इंजनों का आयात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख) मछली पकड़ने की नौकाओं के यन्त्रीकरण की तीसरी योजना के अनुसार डेनमार्क और यूगोस्लाविया से राज्यों के लिये ५०० मेरीन डीजल इंजन इस शर्त पर खरीदने का विचार है कि राज्य सरकारें देश में इतने ही इंजन और खरीदेंगी ।

## दक्षिण में पर्यटकों का यातायात

२३६. { श्री धर्मलिंगम :
श्री मुतुगोंडर :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस के कारणों की जांच की है कि सामान्यतया दक्षिणी राज्यों में और विशेषकर मद्रास में पर्यटकों का यातायात काफी नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच की गयी;

(ग) क्या यह सच है कि विदेशों में दक्षिण भारत संबंधी प्रचार अधिक नहीं किया जाता और इस के परिणामस्वरूप दक्षिण में पर्यटक जन कम आते हैं ?

**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) कोई औपचारिक जांच नहीं की गयी लेकिन पर्यटक विभाग ने इस प्रश्न पर समय समय पर विचार किया है इस से पता लगा है कि लगभग ३० प्रतिशत पर्यटक अपनी यात्रा में दक्षिण भी जाते हैं अधिक संख्या में लोग दक्षिण नहीं जाते स के मुख्य कारण ये हैं : (क) पश्चिमी देशों से आने वाले पर्यटक औसत रूप में १६ दिन तक यहां रहते हैं और इस अवधि में वे आगरा, काश्मीर दिल्ली, आदि जैसे अधिक प्रसिद्ध स्थानों को देखते हैं, (२) अधिकतर अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा विमान बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली हो कर जाते हैं । और से तथा यात्री जहाज बम्बई और कलकत्ता से जाते हैं । मद्रास और धनुषकोडी में केवल १३.२ प्रशितशत पर्यटक आते हैं जब कि बाकी ७७.६ तिशत पर्यटक बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली आते हैं और प्रवृत्ति यह है कि आगमन स्थान के पास वाले स्थानों को देखा जाए, और (३) मांग कम होने के कारण परिवहन, आवास और अन्य सुविधाओं का दक्षिण में उत्तर की भांति अधिक विकास नहीं हुआ है ।

(ग) इस के विपरीत पर्यटकों को दक्षिण भारत जाने का प्रोत्साहन देने के लिये विदेशों में स्थित पर्यटक कार्यालय दक्षिण संबंधी पर्याप्त प्रचार करते हैं । रंगीन विज्ञापन, लेख और चित्रों द्वारा जिन में पर्यटकों की रुचि हो, दक्षिण के बारे में प्रचार किया जाता है और ये सुप्रसिद्ध पत्रिकाओं तथा अखबारों में प्रकाशित होते हैं । दक्षिण के त्यौहारों सम्बन्धी समाचार नियमित रूप से बाहर भेजे जाते हैं और यात्रा एजेंटों को दक्षिण भारतीय यात्रा सूची तैयार कर के भेजी जाती है । यात्रा एजेन्टों, यात्रा लेखकों और फोटोग्राफरों की यात्रा सूची में जो सरकारी अतिथि के रूप में भारत बुलाये जाते हैं, दक्षिण के स्थान भी रहते हैं ।

## चावल और धान का समाहार

**२४०. श्री मोहन नायक** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अक्तूबर से दिसम्बर, १९६३ तक की समाहार अवधि में उड़ीसा राज्य से चावल और धान खरीदने पर सरकार ने कितना व्यय किया है; और

(ख) इस अवधि में केन्द्र ने या केन्द्र की ओर राज्यवार कितना चावल और धान खरीदा गया ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) भारत सरकार ने १ अक्तूबर से ३१ दिसम्बर, १९६३ तक की अवधि में उड़ीसा राज्य से कोई चावल या धान नहीं खरीदा ।

(ख) १ अक्तूबर से ३१ दिसम्बर, १९६३ तक केन्द्रीय सरकार द्वारा या उस की ओर से चावल निम्न मात्राओं में विभिन्न राज्यों से खरीदा तथा उन्ह ही दिया गया :—

(मात्रा टन में)

| | चावल |
|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश . . . . . . | ६,८६० |
| मद्रास . . . . . | ५,४३३ |
| मध्य प्रदेश . . . . . . | २७,७३१ |
| पंजाब . . . . . . | १०६,१०३ |
| उत्तर प्रदेश . . . . . . . | २८,२८७ |

इस अवधि में केन्द्र ने या उस की ओर से धान नहीं खरीदा गया ।

## चावल का समाहार मूल्य

२४१. **श्री मोहन नायक** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगली फसलावधि के लिए विभिन्न राज्यों में चावल और धान का समाहार मूल्य निर्धारित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों के लिये और विशषकर उड़ीसा राज्य के लिये क्या मूल्य निर्धारित किया गया है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राध्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) अनेक राज्यों में चावल का समाहार मूल्य और आसाम में चावल व धान दोनों का समाहार मूल्य तीसरी योजना के बाकी अवधि के लिए निर्धारित कर दिया गया है ?

(ख) उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों के लिये निर्धारित मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—२९१५/६४७)**

## सरपंचों का प्रशिक्षण

२४२. **श्री मोहन नायक** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजकल देश में राज्यवार सरपंचों और नायब सरपंचों के प्रशिक्षण के लिए कितनी संस्थायें चल रही हैं ?

**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है।

**विवरण**

| राज्य का नाम | ३१-५-६४ तक प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या |
|---|---|
| १. आन्ध्र प्रदेश | ४ |
| २. आसाम | २ |
| ३. गुजरात | ३ |
| ४. केरल | १ |
| ५. मध्य प्रदेश | १२ |
| ६. महाराष्ट्र | १० |
| ७. मैसूर | ४ |
| ८. उड़ीसा | २ |
| ९. पंजाब | १२ |
| १०. राजस्थान | १० |
| ११. उत्तर प्रदेश | २५ |
| १२. पश्चिमी बंगाल | २ |
| १३. हिमाचल प्रदेश | १ |
| १४. त्रिपुरा | १ |
| १५. मनीपुर | १ |
| | ९० |

**कलकत्ता पत्तन पर पाकिस्तानी राष्ट्रजन**

२४३. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **परिवहन मंत्री** २५ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या २९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिक्त स्थानों को भर दिया गया है;

(ख) कलकत्ता पत्तन आयुक्त के अधीन कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन अभी तक काम कर रहे हैं ;

(ग) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उन को हटाने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ?

**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) २२ मई १९६४ को १४०४ रिक्त स्थान थे जिन में से ११६७ भर दिए गए हैं। पदोन्नति के १३५ मामलों में व्यापार विवाद र तथा विवाद मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंप दिया गया है और यह स्थान तभी भरे जायेंगे जब मध्यस्थ निर्णय का पता लग जायेगा। शेष रिक्त स्थानों को भरने के प्रश्न पर कलकत्ता पत्तन आयुक्त विचार कर रहे हैं ।

(ख) ५७७ ।

(ग) और (घ) विभाजन के समय कितने ही पाकिस्तानी राष्ट्रजन कलकत्ता पत्तन नौ सेवा में काम कर रहे थे । उस समय पाकिस्तानी कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया था कि सेवा निवृत्ति तथा उन को वहीं काम करने की अनुमति है । इस आश्वासन को वापस लेने का विचार नहीं है ।

## विस्फोटक पदार्थों की चोरी

**२४४. श्री हरि विष्णु कामत** : क्या रेलवे मंत्री २५ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या २८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीलबन्द रेलवे माल डिब्बे से विस्फोटक पदार्थों की चोरी के मामले का मुकद्दमा पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या फैसला हुआ ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## कृषि उत्पादन

**२४५. { महाराजकुमार विजय आनन्द :**
**{ श्री विभूति मिश्र :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों में पहले वर्षों की तुलना में १९६३ में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ गया है;

(ख) भाग (क) में उल्लिखित उत्पादन वृद्धि क्या फसल को अधिक एकड़ भूमि में बोने के कारण हुई है अथवा फसल अच्छी होने के कारण हुई है; तथा यदि फसल अच्छी होने के कारण हुई है तो अच्छी उपज किन ठोस कार्यों के कारण हुई है; और

(ग) जिन राज्यों में उत्पादन कम हुआ है उनमें उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) १९६१-६२ की तुलना में १९६२-६३ में जम्मू तथा काश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, मनीपुर तथा त्रिपुरा में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा है ।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) में उल्लिखित राज्यों में उत्पादन फसल अच्छी होने के कारण बढ़ा है परन्तु त्रिपुरा में अधिक एकड़ भूमि में फसल बोने के कारण उत्पादन बढ़ा है। खाद्यान्नों में उत्पादन बढ़ने के लिये अधिक सिंचाई सुविधाओं, भूसंधारण खाद तथा उर्वरक, पौदा संरक्षण, तथा विकसित बुवाई की व्यवस्था की गई हैं। इस के अतिरिक्त चावल, गेहूं ज्वार, बाजरा, तथा दालों का उत्पादन अधिकतम क्षमता वाले क्षेत्रों में सघन कृषि कायक्रम के द्वारा बढ़ाया जा रहा है।

अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के कार्यों पर बल दिया जा रहा र। परन्तु इस का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि भारत जैसे विशाल देश में जहां खेती के केवल २० प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधायें हैं मौसम भी विभिन्न कालों में उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूण भाग लेता है।

### नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के सम्मान में डाक टिकट

२४६. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **संचार** मंत्री नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के सम्मान में डाक टिकट के बारे में ५ मई, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों तथा भारत की आन्तरिक डाक टिकटों की मांग पूरी हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) अब तक मांग पूर्णतः पूरी की जा चुकी हैं। ५५ नये पैसे के पर्याप्त टिकट उपलब्ध हैं। १५ नये पैसे के टिकट कम हैं। वर्तमान स्टाक उपलब्ध रहने तक मांग पूरी की जाती रहेगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) स्मृति में छापे गये टिकट सामान्यतः दोबारा नहीं छापे जाते हैं क्योंकि इस प्रकार उनका महत्व कम हो जाता है।

### दिल्ली तथा भटिंडा के बीच डाक गाड़ी

२४७. **श्री शिवाजी राव शं० दे० देशमुख** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा भटिंडा के बीच बरास्ता हिसार मीटर गाज लाइन पर एक डाक गाड़ी चलाई जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

### दिल्ली तथा हावड़ा के बीच डीलक्स रेलगाड़ी

२४८. **श्रीमती ज्योत्सना चंदा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि हावड़ा तथा दिल्ली के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली डीलक्स रेलगाड़ी में बहुत भीड़ होती है ; और

(ख) भीड़ भाड़ को कम करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

### पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन

२४६. **श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्रीमती अकम्मा देवी :**
**श्री न० प्र० यादव :**
**श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री हेम बरुआ :**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान भांडार स्थिति तथा फसल की रिपोर्टों से मालूम होता है कि पश्चिम बंगाल में इस वर्ष लगभग २० लाख टन चावल की कमी रहेगी ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उनको वायदे के अनुसार एक लाख टन चावल से ३००० टन चावल अधिक दिया जाये ।

(ग) क्या यह सच है कि बाज़ार को स्थिर करने की दृष्टि से धान और चावल के अधिकतम विक्रय मूल्य निश्चित कर दिए गए हैं ; और

(घ) क्या सरकारी नियंत्रित मूल्य पर धान की कथित अनुपलब्धता के कारण पश्चिम बंगाल की अधिकांश चावल मिलों ने काम करना बन्द कर दिया है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल में ही १५ लाख टन अनाज की कमी का अनुमान लगाया है ।

(ख) उसी अनुमान के आधार पर पश्चिम बंगाल सरकार ने वायदा किए हुए एक लाख टन चावल के अतिरिक्त ४ लाख टन चावल और मांगा है ।

(ग) जी हां ।

(घ) भारत सरकार को रिपोर्ट मिली है कि पश्चिम बंगाल की कुछ चावल मिलों को पर्याप्त धान नहीं मिल रहा है ।

**जेतसर में केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म**

२५०. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री मोहसिन :**
**श्री दे० जी० नायक :**
**श्री मोहन स्वरूप :**
**श्री विभूति मिश्र :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा रूस के बीच ७ मई, १९६४ को नई दिल्ली में एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसके अनुसार रूस राजस्थान के जेतसर में केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म के लिये कृषि मशीनों का संभरण करेगा ;

(ख) रूस से फार्म के लिये कितने मूल्य की मशीनों तथा यंत्रों का आयात होगा ; और

(ग) आरम्भिक स्तर में इस फार्म में अनुमानतः कितने अनाज तथा चारे का उत्पादन होगा ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी हां ।

(ख) २३.४५ लाख रुपया

(ग) अनाज १.२८ लाख मन प्रति वर्ष
चारा १ लाख मन प्रति वर्ष

**चावल तथा धान नियंत्रण आदेश**

२५१. **श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
**श्री न० प्र० यादव :**
**श्रीमती अकम्मा देवी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण पश्चिम बंगाल सरकार ने चावल तथा धान नियंत्रण आदेश को लागू किया जाना निलम्बित कर दिया है ;

(ख) क्या अन्य किसी राज्य में भी ऐसी स्थिति आई थी ; और

(ग) व्यापारियों पर क्या कुछ विनियमन उपबन्ध लगाये गये हैं जिससे उनको कदाचारों से रोका जा सके ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल चावल तथा धान नियंत्रण आदेश, १९६४ को लागू किया जाना निलंबित

नहीं किया है । मान्य उच्च न्यायालय, कलकत्ता के आदेश के अनुसरण में उक्त आदेश के पैराग्राफ ३ और ५ के उपबन्धों को एक व्यापारी, जिसने उच्च न्यायालय से असैनिक नियम प्राप्त कर लिये हैं, पर लागू करना रोक दिया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**Development of Agriculture**

253. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(*a*) the amount involved in the schemes which have been formulated so far for the production of various food crops in the hill areas of the country;

(*b*) the details of the food crops to be grown along with the estimated quantum of their production;

(*c*) the nature of the scheme; and

(*d*) the manner in which the co-operation of the hill people is being obtained?

**The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh):** (a) to (d). The required information is being collected from the concerned State Governments and Union Territories and will be placed on the table of the Sabha as soon as it is received from them.

**Railway Book-stalls**

254. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Railway Administration propose to close down the book-stalls run by M/s. A.H. Wheeler Ltd. at the various railway stations in India;

(*b*) if so, when they will be closed down; and

(c) the broad outlines of the scheme?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy) :** (a) No such proposal is under consideration.

(b) and (c). Do not arise.

**Export of Agricultural Products**

255. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the agricultural products that Government propose to export during 1964-65;

(b) whether Government have impressed upon the agriculturists to produce best quality of the products in regard to which Government intend to enter into export agreement; and

(c) the details of those products and when and how the agriculturists have been told about that?

**The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh):** (a) The following important agricultural commodities are normally exported from India:—

1. *Non-essential oils.*
   (i) Groundnut oil
   (ii) Castor oil
   (iii) Other Oils including linseed oil
2. *Oil-Cakes*
3. *Essential oils*
   (i) Lemongrass oil
   (ii) Sandal wood oil
   (iii) Other essential oils
4. *Fruits and Vegetables and Vegetables products.*
   (i) Onions
   (ii) Potatoes.
   (iii) Fresh fruits
   (iv) Walnuts
   (v) Pickles and Chutneys
5. *Row Wool*
6. *Bones*
7. *Cashew Kernels*
8. *Lac*
9. *Tobacco*
10. *Pulses*
11. *Sugar*
12. *Spices*

(b) & (c). It is the constant endeavour of the Central and State Governments and their extension agencies to encourage the production of improved crops both for internal and export markets.

### Delivery of Letters in Varanasi

**256. Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that letters are not delivered regularly and in time in Varanasi;

(b) whether it is also a fact that the behaviour of the postal employees with the public there is also far from satisfactory;

(c) if so, whether any complaints in this connection have been received by him or the Posts and Telegraphs Directorate; and

(d) if so, the action taken in the matter?

**The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati)** : (a) No Sir.

(b) No Sir.

(c) Two complaints, one in December 1963 and another in January 1964 were received from the same complainant.

(d) The Sr. Superintendent of Post Offices, Varanasi Division made enquiries and asked for certain information from the complainant who did not reply. The Town Inspector who went to contact the complainant personally found that the complainant was out of station. In the absence of a receptacle for letters and the house being locked the postman has no alternative but to put letters in through the crevices in the door.

### नई दिल्ली तथा गाजियाबाद को मिलाने वाली रेलवे लाइन

२५७. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन नई दिल्ली तथा गाजियाबाद को मिलाने वाली एक अवौयडिंग रेलवे लाइन बनाने की योजना लागू कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक की प्रगति क्या है ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी हां, यह उसी परियोजना का एक भाग है जो "द्वितीय यमुना पुल समेत गाज़ियाबाद तथा तुग़लकाबाद के बीच माल गाड़ी को ले जाने के लिये लाइन बनाई जायेगी।"

(ख) नई दिल्ली से गाजियाबाद के बीच काम की ५० प्रतिशत प्रगति है तथा पूरी परियोजना के काम की ४४ प्रतिशत प्रगति है।

### 'कैरेवेल' विमान

२५८. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और अधिक कैरेबैल विमानों के अर्जन के लिये फ्रांस से बातचीत कर रहा है ;

(ख) वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) तीसरी योजना की शेष अवधि के लिये इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन सेवाओं के विकास के अन्य क्या कार्यक्रम हाथ में हैं ?

**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने उधार पर इंडियन एयरलाइन्स द्वारा चौथा कैरेबैल विमान खरीदने की स्वीकृति दे दी है। खरीदारी की शर्तों पर बातचीत हो रही है।

(ग) मामला विचाराधीन है।

### सफेद शेर

२५९. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराजा रीवा से सफेद शेरों का एक जोड़ा लेने के बाद भारत में उन की संख्या बढ़ाने के कार्यक्रम के कोई सफलता मिली है ; और

(ख) क्या दिल्ली चिड़ियाघर में सफेद शेरनी के पैदा हुए बच्चे मां के दुर्व्यवहार से बचा लिये गये हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) और (ख). जी हां । बच्चों को मां से अलग कर दिया गया है तथा उन को एक बकरी का दूध तथा ग्लैक्सो बेबी दूध हाथ से पिलाया जाता है ।

## 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन

२६०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी राज्यों में राज्यवार 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन की गति बढ़ाने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) १९६४–६५ में प्रत्येक राज्य को कितना अनुदान दिया गया है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) सभी राज्यों में खाद्यान्न उत्पादन को तेज़ी से बढ़ाने के बारे में एक जैसे ही क़दम उठाये गये हैं परन्तु स्थानीय दशा के अनुसार अपेक्षाकृत कुछ थोड़े से परिवर्तन कर दिए गए हैं । ये क़दम नीचे दिए जाते हैं :

(१) निम्न कार्यों पर अधिक बल दिया गया है :

**छोटे सिंचाई तथा भूसंरक्षण कार्य** : इन कार्यक्रमों की गति बढ़ा दी गई है तथा इन कार्यक्रमों के तीसरी योजना के लक्ष्य बढ़ा दिए गए हैं । १९६३–६४ में तथा चालू वर्ष में राज्यों की वार्षिक योजनाओं में शामिल उपबन्धों के अतिरिक्त आवंटन करके कार्यक्रमों की सफलता का सुनिश्चयन किया जा रहा है ।

(ख) सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है ।

**(ग) उर्वरक तथा खाद का संभरण** :—

(१) यूरिया के मूल्य में १०० रुपये प्रति टन कमी

(२) बिना खाद वाले मौसम में उर्वरकों की कमी के लिये प्रति माह २.५० रुपये प्रति टन छूट की स्वीकृति

(३) ५०० किलोमीटर की दूरी तक सड़क द्वारा उर्वरकों के परिवहन पर सहायता का उपबन्ध

(४) किसानों के खेतों में उर्वरक के प्रदर्शनों की संख्या बढ़ाना ।

**(घ) बीज बढ़ाना तथा वितरण** : खाद्यान्नों तथा दालों के अच्छे बीज के लिये प्रति मन दो रुपये का प्रीमियम दिया जा रहा है जिससे राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त अभिकरणों जैसे पंचायतों, सहकारी समितियों तथा अन्य अभिकरणों को अच्छे बीजों का वितरण करने में प्रोत्साहन मिले ।

(ङ) **पौदा संरक्षण तथा अन्य अच्छे कृषि औजारों का प्रचार** : राज्यों को अल्पकालीन ऋण सुविधायें दी गई हैं जिससे कीटाणुनाशक दवाइयां खरीदी जा सकें।

(च) **सघन खेती कार्यक्रम** : कुछ चुने हुए ज़िलों में चावल, जवार, बाजरे तथा दालों के लिये लागू किया गया है। इस कार्य के लिये विस्तार व्यवस्था को शक्तिशाली बनाया गया है। राज्यों में कार्यक्रम का मार्गदर्शन, तथा अधीकरण करने के लिये सघन खेती क्षेत्रों का एक महानिदेशक केन्द्र में नियुक्त किया गया है।

(२) कृषि कार्यक्रमों के समन्वय के लिये प्रशासनिक प्रबन्ध विभिन्न स्तरों पर शक्तिशाली बनाये गये हैं।

(३) केन्द्र में स्थापित कृषि उत्पादन बोर्ड द्वारा खाद्यान्न उत्पादन सम्बन्धी महत्वपूर्ण समस्याओं का पुनरीक्षण किया जाता है तथा राज्यों को उपयुक्त सुझाव दिये जाते हैं।

(४) ग्राम्य स्तर कार्य कर्त्ताओं को केवल एक काम सौंपा गया है कि वह कृषि विस्तार तथा संभरण का संगठन करें और ग्राम्य पंचायतों तथा सहकारी समितियों को कृषि की ग्राम्य उत्पादन योजनाओं को बनाये तथा लागू करें।

(५) सामुदायिक विकास आय-व्ययक में परिवर्तन किया गया है जिससे यथासंभव अधिकतम कृषि आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(६) योजना आयोग तथा खाद्य तथा कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार और सिंचाई और विद्युत् मंत्रालयों में से कृषि उत्पादन के लिये बनाये गये संयुक्त केन्द्रीय दल विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं।

(ख) १९५८-५९ से लागू पुनरीक्षित प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्य योजना आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता विकास शीर्ष के अधीन राज्यों को दी जाती है तथा किसी एक योजना अथवा कई योजनाओं को नहीं दी जाती है। तदनुसार अधिक अन्न उपजाओ के सम्बन्ध में अलग से कोई आवटन नहीं है। इन योजनाओं के लिए सहायता 'कृषि उत्पादन' उपशीर्ष के अधीन आती है। लघु सिंचाई योजनाओं समेत कृषि उत्पादन योजनाओं के लिये चालू वर्ष के आय-व्ययक में राज्य योजना आयोजनाओं को अनुदान देने के लिये उपबन्ध किया गया है।

### जवानवाला शहर और गुलेर के बीच रेलवे लाइन

२६१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री २७ अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोंग बांध की क्रियान्विति को अन्तिम रूप देने के लिये उत्तर रेलवे के पठानकोट—जोगिन्दर नगर सैक्शन के जवानवाला शहर तथा गुलेर स्टेशनों के बीच एक दूसरी रेलवे लाइन बिछाने के परियोजना प्रतिवेदन तथा अनुमान बना लिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) अभी नहीं। रेलवे द्वारा बनाये गये परियोजना प्रतिवेदन तथा अनुमान विचाराधीन है।

(ख) परियोजना प्रतिवेदन तथा अनुमान के अनुसार प्रस्तावित रेखांकन लगभग २०.३२ मील तथा अनुमानित लागत ५.०९ करोड़ रुपये है।

**मैसूर राज्य में चीनी के कारखाने**

२६२. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :**
**श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
**श्री साधू राम :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुंगभद्रा परियोजना क्षेत्र में सहकारी चीनी कारखानों के चालू करने के लिए मैसूर राज्य को कितने अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ख) तुंगभद्रा परियोजना का कितना क्षेत्र गन्ने के लिये रिजर्व किया गया है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) केवल एक।

(ख) अपेक्षित जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

**गन्ने की उपलब्धता**

२६३. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस क्षेत्र में गन्ने की उपलब्धता का अध्ययन करने के लिये कमलापुर क्षेत्र का दौरा करने के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो यह उस स्थान का दौरा तथा निरीक्षण कब करेगी; और

(ग) कमलापुर तथा अनेगुडी तथा गंगावती तालुका क्षेत्र में गन्ने का कितना क्षेत्र है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) और (ख). जी, हां। एक अध्ययन दल जून, १९६४ के पूर्वार्द्ध में दौरा करेगा।

(ग) जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

**तम्बाकू का जमा हो जाना**

२६४. **श्री कोल्ला वेंक्या :**
**श्री यशपाल सिंह :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में और विशेषतः गुन्टूर जिले में छोटे छोटे व्यापारियों और उत्पादकों के पास विभिन्न श्रेणी का सुखाया हुआ वर्जीनिया तम्बाकू बड़ी भारी मात्रा में बिना बिका पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न श्रेणियों की कितनी मात्रा बिना बिकी पड़ी है; और

(ग) इसको बेचने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). यह बताया गया है कि १८५० लाख पौंड के अनुमानित उत्पादन में से लगभग ३०० लाख पौंड तम्बाकू बिना बिका पड़ा है। लगभग ५० प्रतिशत बिना बिका तम्बाकू बढ़िया किस्म का बताया गया है।

(ग) भारतीय तम्बाकू के लिये नये विदेशी खरीदारों का पता लगाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। तम्बाकू उत्पादकों की अधिक सहकारी समितियां बनाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

## मद्रास के लिये चीनी का अभ्यंश

२६५. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
**श्री धर्म लिंगम :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के लिये चीनी का कितना अभ्यंश निर्धारित किया गया है; और

(ख) विभिन्न राज्यों के लिये चीनी का अभ्यंश निर्धारित करने का क्या आधार है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) मद्रास और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिये चीनी का अभ्यंश क्रमशः ११,०००टन और ८००० टन निर्धारित किया गया है। वर्ष १९६३–६४ के सीज़न में चीनी के उत्पादन में कमी के कारण, इन अभ्यंशों में मार्च, १९६४ के महीने से अन्य राज्यों की तरह ५ प्रतिशत की कमी की गयी है।

(ख) ये अभ्यंश पहली नियंत्रण अवधि के पिछले छः महीनों में, अर्थात् अप्रैल से सितम्बर, १९६१ तक, जबकि संभरण की स्थिति अच्छी थी, चीनी की उपलब्धता और हर राज्य द्वारा सीधे कारखानों से उठायी गयी चीनी को ध्यान में रख कर निर्धारित किये गये थे।

## सहकारी समितियां

२६६. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **सामदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यानों के मूल्य स्थिर करने में सहकारी समितियों के योग के बारे में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों और एपेक्स विपणन समितियों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में की गयी सिफारिशें क्रियान्वित की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये सहकारी समितियों को क्या अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जा रही है; और

(ग) सहकारी समितियों को क्रियात्मक ढंग से काम करने के लिये सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

**सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)**: (क) जी, हां। राज्य सरकारों को सिफारिशें क्रियान्वित करने और यह सुनिश्चित करने के लिये तत्काल कदम

उठाने की सलाह दी गयी है कि सहकारी विपणन समितियां वर्ष १९६४-६५ में अधिक मात्रा में खाद्यान्न खरीदें ।

(ख) और (ग). वित्तीय सहायता राज्य सरकारों द्वारा अधिक अंश पूंजी योगदान, परिवहन गाड़ियों के खरीदने के लिये सहायता, गोदामों के लिये ऋण और राजसहायता, मूल्य परिवर्तन विधि बनाना, कर से छूट आदि के रूप में दी जायेगी ।

## Land under Cultivation

**267. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the total acreage of land that was under cultivation for production of foodgrains throughout the country before 1948;

(b) the acreage of land now under food cultivation and whether there has been any increase in it;

(c) if so, whether this land has been obtained by reclamation of pastures and forest lands; and

(d) if so, the acreage of pastures brought under plough?

**The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh):** (a) and (b). The total area under foodgrain crops in the country was 213 million acres in 1946-47 and 286 million acres in 1960-61. But these figures are not comparable because of progressive increase in area reporting agricultural statistics. The reporting area increased from 570 million acres in 1946-47 to 739 million acres in 1960-61.

(c) and (d). Information is not available.

## Attack on a goods train by Hostile Nagds

**268.** {**Shri Hukam Chand Kachbavaiya:**<br>**Shri P. C. Borooah:**<br>**Shrimati Renu Chakravartty:**<br>**Shri Ram Sewak Yadav:**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that armed hostile Nagas attacked a goods train proceeding towards Manipur Road on the 10th May, 1964;

(b) if so, whether it is also a fact that the driver and fireman of the goods train sustained injuries as a result of the attack; and

(c) if so, the steps taken to check such hostile activities of the Nagas?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan):** (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The area is under the operational control of the Military authorities who have taken additional precautionry measures.

२६६. **श्री पं० वेंकटासुब्बया** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनावधियों में सहकारी क्षेत्र में परिष्करण कारखानों की स्थापना में भारी विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्यक्रम को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र)** : (क) और (ख). जी, हां । विलम्ब के कारण निम्न प्रकार हैं :

(१) खंड पूंजी की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये धन की कमी;

(२) उपयुक्त स्थान का न मिलना;

(३) भूमि अर्जन के काम में विलम्ब;

(४) निर्माण-सामग्री की कमी;

(५) अपेक्षित किस्म की मशीनें न मिलना अथवा मशीनें प्राप्त करने में विलम्ब;

(६) तकनीकी मार्ग-दर्शन की कमी;

(७) चावल कूटना उद्योग (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत धान परिष्करण कारखानों के लिये लाइसेंस लेने में विलम्ब ।

(ग) सरकार ने इन कारखानों की शीघ्र स्थापना के लिये कुछ कदम उठाये हैं । इनमें ये कदम शामिल हैं :

(१) विभिन्न प्रकार के परिष्करण कारखानों के माडल ब्लू प्रिंट तैयार किये गये हैं और उन्हें राज्य सरकारों को परिचालित कर दिया गया है;

(२) राज्य वित्त निगमों/पुनर्वित्त निगम और भारत के राज्य बैंक से इन सहकारी समितियों की खंड पूंजी आवश्यकता के लिये धन देने के बारे में व्यवस्था की गयी है;

(३) राज्य सरकारों से सहकारी परिष्करण के कार्यक्रम पर निगरानी रखने के लिये पृथक् बोर्ड/समितियां बनाने को कहा गया है ;

(४) सहकारी चावल मिलों को शीघ्र स्थापित करने के विचार से राज्य सरकारों से, जिनको इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी अधिकार दिये गये हैं, हाल ही में यह प्रार्थना की गयी है कि हाथ से चलने वाले उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चुने हुए क्षेत्रों में सहकारी चावल मिलें स्थापित करने के लिये चावल कूटना उद्योग (विनियमन) अधिनियम की धारा १८ को संरक्षण दिया जाय ।

---

[1] Processing Units.

सरकार और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विभिन्न राज्यों में परिष्करण कार्यक्रम की प्रगति पर ध्यान दे रहे हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम राज्य सरकारों के परामर्श से चुनी हुई वस्तुओं के बारे में चुनींदा क्षेत्रों में सहकारी परिष्करण के विकास के लिये वृहत् योजना बनायेगी/अब तक किये गये उपायों को देखते हुए परिष्करण कारखाने की स्थापना में अच्छी प्रगति होने की आशा है।

## चीनी मिलें

२७०. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगले सात वर्षों में चीनी की जितनी भी अतिरिक्त क्षमता के लिये लाइसेंस दिया जायेगा वह सब सहकारी क्षेत्र को दिया जायेगा ;

(ख) क्या इस वर्ष महाराष्ट्र में छः चीनी कारखानों के उत्पादन में ३२,००० टन की कमी हुयी क्योंकि उनको सामान्यतः गन्ने का होने वाला संभरण सहकारी समितियों को किया गया ; और

(ग) उन मिलों से क्या उत्तर मिला है जिनको सरकार ने गन्ने के अधिक मूल्य देने को कहा ताकि यह गुड़ और खांडसारी के निर्माण के लिये न जाये।

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) यह आवश्यक नहीं है। चीनी उद्योग में अतिरिक्त क्षमता के लाइसेंस वर्तमान कारखानों का विस्तार करके, इसमें संयुक्त स्कन्ध और सहकारी दोनों प्रकार के कारखाने शामिल हैं, और नये कारखाने स्थापित करके दिये जाते हैं। विस्तार के मामले में लाइसेंस संयुक्त स्कन्ध और सहकारी दोनों प्रकार के चीनी कारखानों को योग्यता के आधार पर दिये जाते हैं जबकि नये कारखानों की स्थापना में सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) माननीय सदस्य ने जिन छः कारखानों का उल्लेख किया है। अपेक्षित जानकारी देने के लिये उनके नाम और पते जानना आवश्यक है। महाराष्ट्र में ३३ कारखानों में से २० सहकारी समितियां हैं और १३ संयुक्त स्कन्ध समवाय।

(ग) यह सन्तोषजनक है।

## अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह का विकास

२७१. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री ह० प० चटर्जी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के विकास के बारे में शिवदासानी प्रतिवेदन में यह सिफारिश की गयी है कि लकड़ी काटने का काम वन विभाग से लेकर एक निगम को सौंपा जाये ;

(ख) क्या वनों को पट्टे पर देने के लिये गैर-सरकारी समवायों के साथ ठेकों पर हस्ताक्षर किये जा रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि वे अपनी इच्छानुसार वृक्षों को काट रहे हैं और रायल्टी भी नहीं दे रहे हैं ;

(घ) क्या किन्हीं गैर-सरकारी पक्षों द्वारा प्लाईवुड कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं ; और

(ङ) क्या इस कार्य के लिये कोई सहकारी समितियां भी स्थापित की जा रही हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी, हां।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी हां ।

(ङ) जी, नहीं । तथापि ग्राम सहकारी समितियों को विशिष्ट क्षेत्रों में टिम्बर साफ करने और काटने का काम देकर प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

**गोला बारूद वाले माल डिब्बे में आग लगना**

२७२. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबलपुर के रेलवे यार्ड में १२ मई, १९६४ को एक माल-डिब्बे में, जिसमें विस्फोटक पदार्थ और गोला-बारूद भरा था, आग लग गयी ;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी क्षति हुई; और

(ग) इस बात का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि यह दुर्घटना तोड़फोड़ के कारण तो नहीं है ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) जी, हां । यह दुर्घटना ६ मई, १९६४ को हुई और १२ मई कोई नहीं ।

(ख) सामान को ११२ रुपये ५० पैसे की क्षति होने का और माल-डिब्बे को १० रुपये की क्षति होने का अनुमान है । कुल १२२ रुपये ५० पैसे ।

(ग) अभी जांच पूरी नहीं हुई है ।

**दिल्ली में भूमिगत रेलवे**

२७३. **श्री नवल प्रभाकर :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री राम हरख यादव :**
**श्री बृज राज सिंह :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक भूमिगत रेलवे पद्धति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सं० वें० रामस्वामी) :** (क) दिल्ली नगर निगम के आयुक्त दिसम्बर, १९६३ में दिल्ली परिवहन उपक्रम के यातायात मैनेजर, श्री के० ए० खान द्वारा उनके अपने विदेश-भ्रमण के समय अध्ययन के आधार पर दिल्ली में तेज रफ्तार पद्धति के लागू करने के बारे में बनाया गया एक विस्तृत नोट रेलवे मन्त्रालय के परीक्षणार्थ भेजा था।

(ख) उपरोक्त नोट के अनुसार तेज रफ्तार पद्धति में ये शामिल होंगे :

(१) २३.७ किलोमीटर भूमिगत रेलवे पद्धति ;

(२) ५२.५ किलोमीटर मेडियम पट्टी पद्धति ;

(३) ४० किलोमीटर ऊपरी रेलवे पद्धति ।

(ग) दिल्ली नगर निगम को बताया गया है कि रेलवे के पास उपलब्ध वित्तीय और सामग्री संसाधनों को देश की परिवहन आवश्यकताओं को, विशेषतः विकासशील उद्योगों की परिवहन आवश्यकताओं और लम्बे सफर के यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पूर्णतः इस्तैमाल किया जा रहा है। रेलवे दिल्ली जैसी महानगरियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये परिवहन की व्यवस्था नहीं कर सकती। यद्यपि रेलवे योजना बनाने में पूर्णतः सहयोग देगी और सहायता भी करेगी, वह श्री खान द्वारा सुझायी गयी तेज रफ्तार पद्धति लागू करने के सम्बन्ध में निर्माण कार्य स्वयं नहीं सम्भाल सकती अथवा इसमें धन नहीं लगा सकती। दिल्ली नगर निगम या दिल्ली राज्य ऐसी परिवहन सेवायें महानगरी की सीमाओं में बनानी होंगी और उनको ही इसमें धन लगाने के लिये व्यवस्था करनी होगी।

## 'साइडिंग्स और रेलवे लाइनों का निर्माण

**२७४. श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे प्रशासन ने मध्य प्रदेश कोयला क्षेत्रों में कोयले का उत्पादन मांग से अधिक होने के फलस्वरूप पूंजी आस्तियों का अपव्यय रोकने के लिये साइडिंग' और रेलवे लाइनों के निर्माण में और धन लगाना बन्द कर दिया है।

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सं० वें० रामस्वामी) :** मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्रों के लिये रेलवे लाइनों और साइडिंग्स के उपबन्ध के बारे में रेलवे निरन्तर पुनर्विलोकन करती रहती है ताकि इनका निर्माण वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के ही लिये हो और फालतू आस्तियां न बनें। इस पुनर्विलोकन के फलस्वरूप मध्य प्रदेश में सेण्ट्रल इण्डिया कोयला क्षेत्रों में, जमुना, बिजुरी, कटकोना, भास्कर पाडा और चारचा कोयला खानों के लिये, ५ साइडिंगों का निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया है।

२७५. { श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री धर्मलिंगम :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में खाद्यान्नों के उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में विभिन्न राज्यों की क्या स्थिति है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** वर्ष १९६१-६२ और १९६२-६३ में तीसरी योजना में खाद्यान्न के लक्ष्य और उत्पादन की स्थिति निम्न प्रकार है :—

(लाख टनों में)

| राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र | १९६५–६६ के लक्ष्य | १९६१–६२ प्राप्ति * | १९६२–६३ प्राप्ति * |
|---|---|---|---|
| १. आन्ध्र प्रदेश | ८९.४ | ६८.७ | ६४.६ |
| २. आसाम . | २२.३ | १७.१ | १५.७ |
| ३. बिहार . | ८४.२ | ७४.१ | ७३.५ |
| ४. गुजरात | ३०.० | २४.० | २३.० |
| ५. जम्मू तथा काश्मीर | ५.९ | ६.२ | ६.६ |
| ६. केरल . | १४.६ | १०.३ | ११.३ |
| ७. मध्य प्रदेश | १०९.१ | ९३.१ | ८४.९ |
| ८. मद्रास . . . | ६९.४ | ५९.८ | ५६.४ |
| ९. महाराष्ट्र . . | ८१.३ | ६०.७ | ६३.९ |
| १०. मैसूर | ४९.३ | ३८.७ | ४१.४ |
| ११. उड़ीसा . . . | ५७.१ | ४०.३ | ३९.८ |
| १२. पंजाब . . . | ७९.७ | ६३.४ | ६४.९ |
| १३. राजस्थान | ६७.५ | ५५.७ | ५०.७ |
| १४. उत्तर प्रदेश . . | १८५.७ | १४०.८ | १३४.६ |
| १५. पश्चिम बंगाल . | ६७.८ | ५२.६ | ४८.७ |
| अन्य . . | ८.३ | ७.९ | ७.५ |
| अखिल भारत . . | १०२१.६ | ८१०.४ | ७८७.५ |

*अंशत: पुनरीक्षित प्राक्कलन।

†अन्तिम प्राक्कलन।

वर्ष १९६३-६४ के लिये राज्यों से अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

## Ring Railway in Delhi

276. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the progress made in the construction of a ring railway in Delhi ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy):** The sanctioned project is called "Delhi Avoiding Lines (Ring Railway)". It covers a rail link connecting Delhi-Mathura line with Nizamuddin-Safdarjang line, extension of the line beyond Safdariang station so as to connect Delhi-Bhatinda line and a rail link between Delhi-Bhatinda line and Delhi-Ambala line.

Upto date overall physical progress of the project is 11%.

## Overbridge on Patel Road in Delhi

277. **Shri Naval Prabhakar:** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2216 on the 23rd April, 1963 regarding the construction of an overbridge on Patel Road in Delhi and state:

(a) the progress made so far in the technical and financial examination of this project; and

(b) the time by which it is likely to be taken up and completed?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy):** (a) The construction of this Road overbridge involves change of alignment of the Patel Road. The re-alignment of the Patel Road as proposed by the Town and Country Planning Organization, Delhi is still under consideration of the Delhi Development Authority. On receipt of the approved plan of the re-alignment and the complete technical data from the Delhi Municipal Corporation regarding the requirements of road-width on the bridge, foot-paths and cycle tracks etc., the preparation of detailed design, drawings and estimate for this overbridge will be taken up by the Railway. The apportionment of cost will then be determined in accordance with the extant rules.

(b) At this stage it is not possible to indicate when the Bridge is likely to be completed.

The bridge proper will take about 2 years to complete from the time the construction is started.

## पंजाब और राजस्थान में अभाव की स्थिति

२७८. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री ६ मई, १९६४ के अल्प सूचना प्रश्न संख्या २६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले महीने राजस्थान और पंजाब में अभाव की स्थिति और भी बिगड़ी है ;

(ख) आज तक कितनी और क्या सहायता दी गयी है ; और

(ग) दुर्भिक्षपीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिये सहायता देने के लिये यदि कोई कदम उठाये जा रहे हैं, तो वे क्या हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

**[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २६१६/६४]**

**जैसलमेर को रेलवे से मिलाना**

**२७६. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जैसलमेर को रेलवे से मिलाने की सम्भावना पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जायेगी ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख) जैसलमेर को रेल द्वारा पोकरन से मिलाने की सम्भावना की वर्ष १९४९–५० में जांच की गयी थी और यह पता लगा कि इस लाइन से कोई लाभ नहीं होगा (केवल ०.२६ प्रतिशत की प्राप्ति होगी) । इस प्रस्तावित लाइन को तीसरी योजना में रेलवे के नई लाइनों के निर्माण-कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है और निकट भविष्य में इसके निर्माण की भी कोई सम्भावना नहीं है ।

**राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३४ पर पुल**

**२८०. श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **परिवहन** मन्त्री १६ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३४ के गजल रायगंज भाग में कितने पुल बना कर तैयार किये गये हैं ;

(ख) निर्माणाधीन और अभी पूरे न हुए पुलों की क्या संख्या है और इनके पूरा करने में लगभग कितना समय लगेगा; और

(ग) इस सड़क को यातायात के लिये कब खोला जायेगा ?

**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) गजल–रायगंज सेक्शन पर १३ पुल निर्माणाधीन हैं । जुलाई, १९६४ के अन्त तक ११ पुलों के पूरा हो जाने की आशा है और बाकी दो के अगस्त, १९६४ के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है ।

(ग) अगस्त, १९६४ के अन्त तक सभी पुलों के बन जाने के बाद ही सड़क को यातायात के लिये खोले जाने की आशा है ।

**विशेष डाक टिकटें**

**२८१. श्री प्र० के० देव** : क्या **संचार** मंत्री ३ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्कलमणि पंडित गोपबन्धु दास की स्मृति में विशेष डाक टिकट कब जारी किये गये थे ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)**: टिकट ४ जनवरी, १९६४ को जारी किये गये थे ।

## कालीकट में हवाई अड्डा

२८२. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **परिवहन** मंत्री ३ मार्च, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट में हवाई अड्डे की स्थापना के लिये अन्तिम रूप से स्थान चुनने के मामले में इस बीच निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो चूने गये स्थान का नाम क्या है ; और

(ग) कार्य कब आरम्भ होगा ?

**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) से (ग). कालीकट क्षेत्र में कुछ और स्थानों का सर्वेक्षण किया गया था और उन में से कुछ का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है। विस्तृत सर्वेक्षण के पूरा होने के पश्चात् अन्तिम निर्णय किया जायेगा ।

## एरणाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन

२८३. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एरणाकुलम्-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ होगा ; और

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी, नहीं । यह रेलवे की तृतीय योजना की योजनाओं में से एक योजना नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

## विदेशी जहाजी फर्मों का सहयोग

२८४. **श्री विश्राम प्रसाद** :
**श्री प्र० चं० बरुआ** :
**श्री राम सहाय पाण्डेय** :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाजी कम्पनियों को सहयोग देने के लिये विदेशी जहाजी कम्पनियों की कुछ पेशकशें, जिनके अनुसार पूंजी विनियोजन में भारतीय कम्पनियों का भाग लगभग ४० प्रतिशत होगा, काफी समय से सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार के समक्ष ऐसी कितनी पेशकशें हैं ; वे पेशकशें किन कम्पनियों को की गई हैं और उन की सामान्य शर्तें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). निम्नलिखत भारतीय जहाजी कम्पनियों और व्यक्तियों के साथ विदेशी सहयोग की कुल ९ पेशकशें अब तक सरकार की जानकारी में आई हैं :—

१. साउथ इन्डियन शिपिंग कारपोरेशन ।

२. वी० एम० सालगाओकार ई० इर्माओ लिमिटेड ।

३. वी० एस० डेम्पो ऐंड कम्पनी ।

४. रतनाकर शिपिंग कम्पनी ।

५. इन्डियन ओवरसीज़ शिपिंग कम्पनी ।

६. अपीजय लाइन्स ।

७. मॉरियन शिपिंग कम्पनी (बन रही है) ।

८. शक्ति शिपिंग कम्पनी (बन रही है) ।

९. हर्ब टेंकर्स ऐंड शिपिंग एजेंसी ।

पेशकर्शें पूंजी विनियोजन में या तो वर्तमान कम्पनियों या फिर नई कम्पनियों का भाग चाहती हैं ।

(ग) वणिक नौवहन अधिनियम, १९५८ के अन्तर्गत जहाजी कम्पनियों की अंश पूंजी में ४० प्रतिशत तक विदेशी भाग अनुज्ञेय है, और सरकार इन पर विचार कर सकती है बशर्ते कि अधिनियम की धारा २१ में दी गई शर्तें पूरी की जायें ।

## मराठी साहित्य सम्मेलन

**२८५. श्री शिंकरे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मराठी साहित्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए पूना से गोआ को जाने वाले यात्रियों को गाड़ी के पूना स्टेशन पर लगभग ३ घंटे रुके रहने के कारण बड़ी असुविधा पहुंची ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि रेलवे मंत्रालय ने सम्मेलन के अधिकारियों को **पहले** से यह आश्वासन दिया था कि गोआ को जाने वाले प्रतिनिधियों को सभी सुविधायें दी जायेंगी ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) से (ग). ८ से १० मई, १९६४ तक मारगाओ में हुए मराठी साहित्य सम्मेलन के आयोजकों की प्रार्थना पर आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये थे कि उन व्यक्तियों के लिये, जो सम्मेलन में भाग लेना चाहें, विशेष गाड़ियां चलाई जायें और उन से वही किराया लिया जाये जो जनता से लिया जाता है। आयोजकों को बता दिया गया था कि पूना से वास्कोडिगामा के लिये दो विशेष गाड़ियां चलाई जायेंगी—एक ६-५-६४ को और दूसरी ७-५-६४ को—और उन्होंने हुबली स्टेशन पर अपेक्षित किराया दे दिया था ।

६-५-६४ की रात को सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति पूना स्टेशन पर रियायती टिकटों के साथ आये और विशेष गाड़ियों से चलाने के लिए पूरा किराया देने से इनकार कर दिया, यद्यपि वे ये चाहते थे कि उन के लिए विशेष गाड़ियां चलाई जायें । चूंकि यात्रियों की एक बड़ी संख्या सफर करना चाहती थी, इसलिये बाद में यह निर्णय किया गया कि यातायात की फालतू भीड़ को दूर करने के लिये गाड़ियों को रेलवे की सुविधा अनुसार चलाया जाये । इन अप्रत्याशित बातों के कारण वह गाड़ी जिसे ६-५-६४ को पूना से ८ बज कर ४० मिनट पर रवाना होना था **वह** से ७-५-६४ को रात के १२ बज कर १५ मिनट पर रवाना हुई और इस के परिणामस्वरूप उसे

३ घंटे और ३५ मिनट रुकना पड़ा । ७-५-६४ को जाने वाली गाड़ी कार्यक्रम के अनुसार रवाना हुई और इसे भी रेलवे की सुविधा अनुसार चलाया गया था ।

### Atta in Delhi Market

**286. Shri Brij Raj Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the atta being sold in the market in Delhi has deteriorated to such an extent that its consumption causes ailments to the public;

(b) if so, whether Government intend to get this atta examined with a view to find out the contents of adulterants therein; and

(c) if so, when?

**The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas) :** (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

### अंडमान में असैनिक उड्डयन के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

**२८७. श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंदमान में नियुक्त असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों के लिए रिहायशी की व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) क्या सरकार के पास उन के लिए रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण की कोई योजना है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) क्या हाल ही में सरकार ने उन को मकान किराया भत्ता देने के प्रश्न पर विचार किया है ?

**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) पोर्ट ब्लेयर में भेजे गए असैनिक उड्डयन विभाग के सभी कर्मचारियों को, अंडमान प्रशासन से लिये गये मकान, बिना किराये के दिये गये हैं, यद्यपि उन को जो मकान दिये गये हैं वे निचले स्तर के हैं ।

(ख) और (ग). जी, हां । उन के लिए क्वार्टर बनाने का विचार है । अनुमान तैयार किये जा रहे हैं और आशा है कि कार्य लगभग १९६४-१९६५ के मध्य में आरम्भ हो जायेगा ।

(घ) जी हां, और उन अधिकारियों को किरायारहित मकानों के बदले में निम्नलिखित रूप से मकान किराया भत्ता लेने का प्राधिकार है :—

| वेतन | |
|---|---|
| ७५ रु० से कम . . . . | ७.५० रु० |
| ७५ रु० और इससे अधिक परन्तु १०० रु० से कम . | १०.०० रु० |
| १०० ० और इससे अधिक परन्तु २०० रु० से कम . | १५.०० रु० |
| २०० ० और इससे अधिक . . | वेतन का ७$^1/_2$ प्रतिशत |

## दिल्ली दुग्ध योजना

२८८. { **श्री रामपुरे :**
**श्री द्वारकादास मंत्री :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना एक आवश्यक सेवा घोषित कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां।

(ख) क्योंकि यह डर था कि शायद संभव हड़तालों का दिल्ली दुग्ध योजना की सप्लाई और सेवाओं पर असर पड़ता ।

## उत्तर रेलवे पर चीजें बेचने के ठेके

२८९. **श्री गुलशन :** क्या **रेलवे** मंत्री २८ अप्रैल, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-१९६४ में उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में चीजें बेचने के कुल कितने ठेकों को, आगे किराये पर देने के कारण, रद्द किया गया ; और

(ख) आगे किराये पर देने की बात के अतिरिक्त अन्य शिकायतों के कारण कुल कितने ठेके रद्द किये गये परन्तु वे ठेके उन्हीं ठेकेदारों को फिर से दे दिये गये थे ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) कोई नहीं ।

(ख) कोई नहीं ।

## हल्दिया पत्तन

२९०. { **श्री हेम बरुआ :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हल्दिया पत्तन परियोजना के लिए ऋण लेने के लिए विश्व बैंक से लिखा पढ़ी करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले की क्या स्थिति है ?

**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). परियोजना की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऋण लेने हेतु दिसम्बर १९६४ में एक प्रार्थना-पत्र भेजा गया था । प्रस्ताव इस समय विश्व बैंक के विचाराधीन है ।

### बेलाडिल्ला-कोट्टावालसा रेलवे

२६१. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलाडिल्ला–कोट्टावालसा रेलवे के किसी भाग के १९६४–६५ में माल के यातायात के लिए खोले जाने की आशा है;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) क्या इस लाइन के लिए पटरियों की आवश्यकता को स्वदेशी संसाधनों से उपलब्ध किया जायेगा अथवा आयात द्वारा ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) अप्रैल, १९६४ तक २१.२३ करोड़ रु०।

(ग) पटरियां स्वदेशी होंगी।

### विशाखापटनम चैनल

२६२. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापटनम में चैनल (जलमार्ग) के गहरा करने के कार्य को कब आरम्भ किया जायेगा;

(ख) इस कार्य की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) इसके कब पूरा हो जाने की आशा है ?

**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) विशाखापटनम पत्तन पर प्रवेश चैनल (जलमार्ग) के सुधार की पहली अवस्था अभी पूरी हुई है। चैनल को ३५० फुट चौड़ा कर दिया गया है और ३५ फुट गहरा कर दिया गया है जिससे कि पत्तन में अधिक से अधिक ६३५ फुट लम्बाई और ३३ फुट डुबाव के जहाज़ आ सकें।

चैनल को ५५० फुट चौड़ा करने और ४५ फुट गहरा करने—लौह अयस्क के बड़े जहाजों को लाने के लिए—की एक योजना पर जांच हो रही है।

(ख) और (ग). अनुमान है कि चैनल के अग्रेतर सुधार में लगभग ३०० लाख रुपये का खर्च आयेगा और यह आशा की जाती है कि यह कार्य आरम्भ होने की तिथि से २ से ३ वर्ष की अवधि के भीतर पूरा हो जायेगा।

### भद्राचलम के निकट पुल

२६३. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भद्राचलम (आन्ध्र प्रदेश) के निकट गोदावरी नदी पर सड़क का पुल कब पूरा हो जायेगा; और

(ख) अब तक उस पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) आशा की जाती है कि मार्च १९६५ के अन्त तक पुल का निर्माण पूरा हो जायेगा।

(ख) पुल की ९७.२५ लाख रुपये की अनुमानित लागत, जिसमें कूल बांध भी शामिल है, की तुलना में अप्रैल १९६४ के अन्त तक ५३,६७,३४३ रु० की राशि व्यय की गई है।

### बेल्लारी से गडग तक लोकल ट्रेन

२९४. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेल्लारी और गडग के बीच एक और प्रातःकालीन लोकल ट्रेन चलाने के बारे में बार-बार अभ्यावेदन दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में बहुत दिनों से की जा रही इस मांग को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां।

(ख) १५-८-६४ से गुंटकल और गडग के बीच उपयुक्त समय पर एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने का विचार है।

### पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की गाड़ियों में जलपान डिब्बे

२९५. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अलीपुर दुआर तथा कटिहार जंक्शनों के बीच २ अप/१ डाउन ए० टी० डाक गाड़ियों में विभागीय बुफे डिब्बा, जलपान डिब्बा जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

### मंगलौर तथा तूतीकोरिन पत्तन

२९६. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर पत्तन का विस्तार-कार्य चालू हो गया है;

(ख) क्या तूतीकोरिन पत्तन को भी उन्नत करने का विचार है; और

(ग) तूतीकोरिन पत्तन का विस्तार-कार्य कब तक चालू होने की संभावना है ?

**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). तूतीकोरिन पत्तन को एक बड़ा पत्तन बनाने सम्बन्धी एक परियोजना पहिले ही चालू की जा चुकी है। यह चल रही है। तूतीकोरिन बन्दरगाह परियोजना के लिये

वर्ष १९६३ के लिये ७५.९६ लाख रुपये अन्तिम अनुदान के रूप में दिये गये थे तथा १९६४-६५ के आय व्ययक में इस परियोजना के लिये ११३.५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

**दिल्ली दुग्ध योजना की दूध की बोतलों में कीटाणुओं का पाया जाना**

२९७. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री हुक्म चन्द कछवाय :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दी जाने वाली दूध की बोतलों में कीटाणु तथा अन्य गन्दगी पाये जाने सम्बन्धी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की गई है तथा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी, नहीं।

(ख) किसी बोतल को दूध से भरते तथा बन्द करते समय कोई कीटाणु संयोगवश उसमें आ सकता है। यद्यपि इस दिशा में हर संभव प्रयत्न किया जाता है कि दुग्धशाला को कीटाणुओं से मुक्त रखा जाय तथा दूध के परिष्करण तथा उसको बोतलों में भरने के कार्य में समुचित रूप से सफाई का ध्यान रखा जाय, परन्तु फिर भी इस प्रकार की किसी घटना की संभावना पूर्णतया समाप्त नहीं की जा सकती। इस समय दुग्धशाला में प्रति मास लगभग ८० लाख बोतलों में दूध भरा जाता है और समस्त सम्भव पूर्वोपाय करने के बावजूद भी यह हो सकता है कि किसी बोतल में गन्दगी आदि मिल जाय।

**प्रव्रजकों के लिए स्पेशल गाड़ियां**

२९८. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री धवन :**
**श्री बिशनचन्द सेठ :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान के प्रव्रजकों को सहायता केन्द्रों तक पहुंचाने के लिये रेलवे बोर्ड स्पेशल गाड़ियां चलाने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो ये अतिरिक्त गाड़ियां कब तक चलाये जाने की संभावना हैं;

(ग) क्या इस बारे में निश्चय कर लिया गया है कि गाड़ियां किन किन स्थानों से गुजरेंगी तथा कौन-कौन से स्टेशनों पर रुकेंगी, और

(घ) यदि हां, तो इससे प्रव्रजकों को कितना लाभ पहुंचा है ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) से (घ). आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न स्थानों के बीच मार्च, १९६४ से स्पेशल गाड़ियां पहिले से ही चल रही हैं जो पूर्वी पाकिस्तान के प्रव्रजकों को लाने के काम में लगी हुई हैं। किसी स्पेशल गाड़ी को चालू करने से पहिले, सामान्यतया टाइम टेबल तैयार किया जाता है जिसके अनुसार मार्ग में पड़ने वाले

स्थानों पर गाड़ी के आवश्यक ठिकानों पर ठहरने की व्यवस्था होती है जिसमें भोजन के लिये भी ठहरना शामिल है। इस प्रकार की गाड़ियां चला कर प्रव्रजकों को शीघ्रतापूर्वक विभिन्न सहायता तथा पुनर्वास केन्द्रों में पहुंचाना संभव हो सका है।

**गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी की मात्रा**

२९९. { **श्री श्यामलाल सर्राफ :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसार के गन्ना पैदा करने वाले अन्य देशों में जो गन्ना पैदा होता है उसके मुकाबले इस देश में पैदा होने वाले गन्ने से चीनी की कम मात्रा प्राप्त होती है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप देश में चीनी के मूल्य बहुत अधिक बढ़े हैं तथा अलाभप्रद मूल्यों के कारण निर्यात में कमी हुई है; और

(ग) राज्यों के परामर्श से वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** (क) संसार के अनेक देशों में पैदा होने वाले गन्ने की तुलना में भारत के कुछ क्षेत्रों में पैदा होने वाले गन्ने से चीनी की अधिक मात्रा प्राप्त होती है जब कि भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों में पैदा होने वाले गन्ने से कुछ कम चीनी प्राप्त होती है।

(ख) कुछ क्षेत्रों में गन्ने से चीनी की कम मात्रा का प्राप्त होना गन्ने की अपेक्षतया अधिक उत्पादन लागत के लिये उत्तरदायी अनेक कारणों में से एक कारण है। गन्ने से चीनी की अधिक मात्रा प्राप्त होने से कुछ सीमा तक गन्ने की उत्पादन लागत कम हो सकेगी।

(ग) गन्ने की किस्म को और अधिक उन्नत करने के लिये निम्न कदम उठाये जा रहे हैं :—

(१) विभिन्न राज्य गन्ना अनुसन्धान स्टेशन गन्ना नस्ल सुधार संस्था, कोयम्बटूर द्वारा खोज निकाली गयी सुक्रोस की अधिक मात्रा वाली गन्ने की किस्मों को बढ़ावा देने तथा उनकी वाणिज्यिक आधार पर खेती करने की सिफारिश कर रहे हैं :

(२) गन्ने से प्राप्त चीनी की मात्रा के आधार पर मूल्य का भुगतान करने की प्रणाली चालू की गई है; और

(३) कारखाना क्षेत्रों में सड़कों में सुधार किया जा रहा है ताकि गन्ने की कटाई तथा उसकी पिराई के काल के बीच के समयान्तर को समाप्त करके चीनी की अधिक मात्रा प्राप्त की जा सके।

**रेलवे में पार्सल तथा गुड्स क्लर्क**

३००. { **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री गुलशन :**

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में काम करने वाले पार्सल गुड्स क्लर्क तथा ऐसे कर्मचारी जिन का जनता से सम्पर्क रहता है ड्यूटी के दौरान अपने पास अपना कुछ रुपया रख सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) क्या निश्चित की गई राशि का समय समय पर सत्यापन किया जाता है ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां।

(ख) २ रुपये ५० नये पैसे तक।

(ग) जी, हां।

## रेलवे पास

**३०१. श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'विशेषाधिकार पास' और 'पी० टी० ओ' से यात्रा के लिए रेलवे अफसरों के किन श्रेणियों के सम्बन्धी "आश्रित" की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं; और

(ख) अफसर धातु के, चांदी के, और ऐसे दूसरे पासों से यात्रा करते समय 'परिवार' के किन-किन सदस्यों को अपने साथ ले जा सकते हैं।

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) पास और पी० टी० ओ० जारी किये जाने के लिये 'आश्रित" की परिभाषा इस प्रकार की गयी है ;

(क) मां या सौतेली मां, यदि वह विधवा हो तो;

(ख) अविवाहित या विधवा बहनें या सौतेली बहनें बशर्ते कि पिता जीवित न हो; और

(ग) २१ वर्ष से उम्र से नीचे के भाई या सौतेले भाई बशर्ते कि पिता जीवित न हो;

बशर्ते कि उपर्युक्त व्यक्ति कर्मचारी के साथ रहते हों और उस पर पूरी तरह से आश्रित हों।

उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित आयु विषयक निर्बन्धन मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के वास्तविक छात्रों और उपयुक्त प्रमाणन के बाद अपंग भाइयों अथवा सौतेले भाइयों पर लाग नहीं होता ।

(ख) धातु के, चांदी के और अन्य ड्यूटी पासों पर यात्रा के लिए 'परिवार' शब्द की परिभाषा इस प्रकार की गयी है :

(क) (१) किसी पदाधिकारी की पत्नी चाहे वह कमाती हो या न हो (२) किसी पदाधिकारी का पति चाहे वह कमाता हो या न हो ;

(ख) २१ वर्ष की उम्र के नीचे के पुत्र बशर्ते कि वे उस कर्मचारी पर पूरी तरह से आश्रित हों ;

(ग) अविवाहित पुत्रियां चाहे वह कमाती हों या न हों ;

(घ) १८ वर्ष से नीचे की विवाहित पुत्रियां और विधवा पुत्रियां बशर्ते कि वे उस कर्मचारी पर पूरी तरह से आश्रित हों;

(ङ) उपर्युक्त (ख) तथा (घ) में उल्लिखित आय सीमाओं के अधीन सौतेले लड़के, अविवाहित सौतेली लड़कियां, विवाहित सौतेली लड़कियां और एक दत्तक पुत्र, बशर्ते कि वे उस कर्मचारी पर पूरी तरह आश्रित हों। उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित आयु-विषयक निर्बन्धन मान्यता

प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के वास्तविक छात्रों और उपर्युक्त प्रमाणन के बाद अपंग बच्चों पर लागु नहीं होगा ।

## रेलवे लेखा सेवा

३०२. **श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ग २ रेलवे लेखा सेवा पदाधिकारियों को उस समय कोई विशेष वेतन दिया जाता है जब कि वे रेलवे लेखापरीक्षा विभाग में उसी स्टेशन पर डेप्यूटेशन पर नियुक्त किये जाते हैं। और यदि हां, तो किस दर से ;

(ख) उत्तर रेलवे में ऐसे कितने अफसरों का आदान-प्रदान किया गया है;

(ग) जब ये अफसर डेप्यूटेनश पर होते हैं तो क्या उन्हें उन्हीं शर्तों पर वही रेलवे आवास स्थान रखने की अनुमति दी जाती है और विशेषाधिकार पास और पी० टी० ओ० प्राप्त होते हैं ;

(घ) यदि हां, तो ऐसा विशेष वेतन दिये जाने के लिये क्या औचित्य है; और

(ङ) उत्तर रेलवे लेखा विभाग के ऐसे कितने अफसर हैं जिन्हें दिल्ली में रेलवे लेखापरीक्षा विभाग में डेप्यूटेशन पर रहते हुए ये लाभ प्राप्त हो रहे हैं ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां । उन्हें रेलवे में समय समय पर मिलने वाले वेतन का २० प्रतिशत डेप्यूटेशन (ड्यूटी) भत्ता दिया जाता है।

(ख) एक ।

(ग) जी हां ।

(घ) डेप्यूटेशन (ड्यूटी) भत्ता उन अफसरों को दिया जाता है जिन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य नीति के अनुसार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें अपने विभागों के काम से भिन्न काम करना है दूसरे सरकारी विभागों में भेजा जाता है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसी स्थान पर या किसी दूसरे स्थान पर नियुक्त किया जाता है । चूंकि रेलवे रिहायशी जगह की सुविधा और उन्हीं शर्तों पर जो रेलवे कर्मचारियों पर लागू होती हैं, पासों या पी० टी० ओ० के विशेषाधिकार रेलवे लेखापरीक्षा विभाग के अफसरों को पहले से ही दिये जा रहे हैं, इसलिये इस सुविधा और विशेषाधिकार को अतिरिक्त लाभ नहीं समझा जाना चाहिये बल्कि वह एक सामान्य अधिकार है ।

(ङ) एक ।

## राजस्थान में आटे की चक्कियां

३०३. **श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में आटे की कितनी चक्कियां हैं; आटा पीसने की उनकी क्षमता कितनी है और १९६३-६४ में उन्हें कितना कितना आयात किया हुआ और देशी गेहूं दिया गया;

(ख) क्या लाल गेहूं और सफेद गेहूं की सप्लाई के लिए कोई अनुपात निश्चित किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राजस्थान में आटा तथा गेहूं की और चीजों की कमी दूर करने के लिये इन मिलों को उनकी अधिकतम पिसाई क्षमता तक विदेशी गेहूं सप्लाई करने लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) वर्ष १९६३-६४ (अप्रैल से मार्च तक) में राजस्थान में आटे की दो रोलर चक्कियां चल रही थीं जिनकी मासिक क्षमता कुल अनुमानतः २३१८ मीट्रिक टन थी।

रोलर आटा चक्कियों को सेन्ट्रल स्टाक से सिर्फ विदेशों से मंगाया गया गेंहू दिया जाता है।

(ख) जी हां, रोलर आटा मिलों को सप्लाई किये जाने वाले लाल और सफेद गेहूं का वर्तमान अनुपात ८० प्रतिशत और २० प्रतिशत है।

(ग) प्रत्येक मिल की आटा पिसने की क्षमता के बराबर माहवार गेहूं का कोटा हर महीने दिया जा रहा है।

## ग्रांड ट्रंक रोड़

**३०४. श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या परिवहन मंत्री दिनांक १७ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में ग्रांड ट्रंक रोड पर यातायात की भारी भीड़भाड़ को कम करने के लिये ग्रांड ट्रंक रोड के उप मार्गों के निर्माण तथा अन्य कार्यों में कितनी प्रगति हुई है ?

**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : पश्चिम बंगाल में ग्रांड ट्रंक रोड पर भीड़ भाड़ को कम करने के एक उपाय के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा चार निम्नलिखित उप-मार्गों का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है :--

(१) हावड़ा जिले में बल्ली स्थित विवेकानन्द पुल से लेकर हुगली जिले में सप्तग्राम तक उपमार्ग।

(२) सप्तग्राम से सीलमगढ़ तक उपमार्ग।

(३) बर्दवान पर उपमार्ग।

(४) आसनसोल पर उपमार्ग।

उक्त संख्या २ से ४ तक उप-मार्गों के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है और वहां अभी तक कोई भी कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।

संख्या (१) पर दिया हुआ उप-मार्ग २५.२ मील लम्बा है तथा उस पर ३ करोड़ ६७ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। पहले ३.९ मील के मार्ग में, दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पर इसके जंक्शन

तक, एक चौरास्ता राजपथ बनाने का प्रस्ताव है और बाकी दूरी में एक दुहरी सड़क। इस की सुविधा-जनक क्रियान्विति के लिये सड़क को निम्नलिखित ६ उपभागों में बांटा गया है :

(१) विवेकानन्द पुल से बाली रेलवे स्टेशन तक।

(२) बाली रेलवे स्टेशन से जंयपुरबील तक ।

(३) जंयपुरबील से दनकुनी तक।

(४) दनकुनी से नबग्राम तक ।

(५) नबग्राम से बैधवटी तक ।

(६) बैधवटी से सप्तग्राम तक ।

इस उपमार्ग पर कार्य की प्रगति निम्न प्रकार है :—

जीयदपुरबील दनकुनी-नाबाग्राम–बैधबटी सैक्शन में भूमि के अर्जन का कार्य पूरा हो गया है, जब कि शेष भाग में केवल अंशतः भूमि अर्जन किया गया है। बैधवटी से सप्तग्राम तक के उप-भाग में न्यायालय के व्यादेशों के कारण भूमि के अर्जन में कुछ कठिनाई हुई थी।

उप-भाग दनकुनी नवग्राम में मिट्टी का कार्य पूरा हो गया है, जब कि शेष सैक्शनों में कार्य विभिन्न प्रक्रमों पर चल रहा है। कार्य की कुल ३७ प्रतिशत प्रगति हो गई है।

उप-भाग दनकुनी नवग्राम में सड़क की परत को तैयार करने और उसे मजबूत करने का कार्य पूरा हो गया है और २ मील की लम्बाई में उस के ऊपर काली परत चढ़ा दी गई हैं। सड़क की शेष लम्बाई के लिये सड़क की परत के लिये अपेक्षित सामग्री एकत्रित की जा रही है।

आशा है कि सारा कार्य १९६५ के अन्त तक पूरा हो जायगा।

२. ग्रांड ट्रंक रोड पर यातायात की भारी भीड़भाड़ को कम करने के लिये दूसरे उपाय के रूप में कलकत्ता दुर्गापुर एक्सप्रैसवे का निर्माण करने का प्रस्ताव है जो कि पूर्व रेलवे की हावड़ा बर्दवान कौड लाइन के समानान्तर बनाया जायेगा। यह राज्य के अधीन आने वाली एक सड़क है और पश्चिमी बंगाल सरकार मुख्यतया इस के निर्णय से सम्बन्धित है।

### मीनक्षेत्र निगम

**३०५. डा० महादेव प्रसाद** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा प्रवर्तित मीनक्षेत्र निगम जून, १९६४ के अन्त से पहिले स्थापित किया जायेगा;

(ख) क्या निगम के ब्यौरों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उन के मुख्य मुख्य ब्यौरे क्या हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). इस प्रक्रम पर निश्चित रूप से यह बताना सम्भव नहीं हैं कि मीनक्षेत्र निगम कब स्थापित किया जायेगा। विदेशी सहयोग से निगम को स्थापित करने के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

## डाकखानों का यंत्रीकरण

३०६. **डा० श्रीनिवासन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के डाकखानों का यंत्रीकरण करने के कोई प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन के क्या ब्यौरे हैं तथा इस के लिये कौन कौन से नगर चुने गये हैं ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भागवती)** : (क) डाक सेवाओं में, जहां कहीं भी आवश्यक है, यांत्रिक साधनों का उपयोग करने के प्रस्ताव हैं।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

**[पुस्तकालय में रखा गया देखिये । संख्या एल० टी०—२९१६/६४]**

## रेलवे का विद्युतीकरण

३०७. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के कुछ सैक्टरों में, विशेष रूप से देश के पूर्वी प्रान्तों के खनन तथा औद्योगिक क्षेत्रों में, विद्युतीकरण का कार्य किया गया है; और

(ख) किन किन सैक्टरों में अब तक काम पूरा हो गया है और तृतीय योजना काल के अन्त तक इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हो जायगी ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—२९१७/६४]**

## रेलवे में ली जाने वाली दरें

३०८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग द्वारा कुछ सैक्शनों पर अधिक दरें ली जाती हैं;

(ख) प्रत्येक सैक्शन की आधुनिकतम स्थिति क्या है;

(ग) इस प्रकार बढ़ी हुई दरें लेना किस प्रकार से उचित है; और

(घ) क्या यह सच है कि ये क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार की रेलों में विभिन्न सैक्शनों पर बढ़ी हुई दरों की मात्रा के सम्बन्ध में आधुनिकतम स्थिति संलग्न अनुबन्धन में दी हुई हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—२९१८/६४]**

(ग) नवनिर्मित रेलवे लाइनों अथवा पहाड़ी अथवा अर्द्ध-पहाड़ी सैक्शनों पर लाभ कमाने की दृष्टि से जहां कि संचालन पर अधिक व्यय अथवा अपर्याप्त यातायात के कारण अन्य किसी रूप में लाभ कमाना सम्भव नहीं है।

(घ) निश्चित उत्तर देना कठिन है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने का क्या अर्थ है यह बताया जाना चाहिये।

## Border Road Construction in U.P.

**308-A. Shri Mohan Swarup:** Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some road construction scheme/project is being implemented in Pilibhit and Nainital Districts of U.P. under the Border Road Construction Programme; and

(b) if so, the details of the scheme and the time by which its construction work will commence?

**The Minister of Shipping in the Ministry of Transport (Shri Raj Bahadur):** (a) and (b). No road construction scheme/project is being undertaken in the districts of Pilibhit and Nainital under the Border Roads Development Programme. However, a part (about 40 miles) of the lateral road proposed to be developed to connect Bareilly in U.P. with Amingaon in Assam, would pass through the Pilibhit District. Preliminary work has already started on the project which is scheduled to be completed within a period of 3 years ending 1966-67.

## दिल्ली स्टेशन के रेलवे अधिकारी

**३०८ब. श्री गुलशन :**
**श्री बूटा सिंह :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९६३ में दिल्ली मेन स्टेशन के कुछ रेलवे अधिकारियों के पास बहुत अधिक धन पाया गया था ;

(ख) क्या विशेष पुलिस संस्थान द्वारा इस मामले की जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) और (ख). दिल्ली मेन स्टेशन के एक रेलवे अधिकारी के विरुद्ध उसके पास अनुमान से अधिक धन होने के एक मामले की जांच १९६३ में विशेष पुलिस संस्थान द्वारा जांच की गई थी।

(ग) जांच पूरा होने पर, विशेष पुलिस संस्थान ने यह मामला सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमित वैभागिक कार्यवाही करने के लिये, रेलवे प्रशासन को सौंप दिया है।

**अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह से प्राप्त की जाने वाली इमारती लकड़ी**

**३०८-ग. श्री मुहम्मद इलियास:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूहों से प्रति वर्ष कुल कितने टन इमारती लकड़ी प्राप्त की जाती है ;

(ख) प्रति वर्ष वन विभाग द्वारा कितनी इमारती लकड़ी प्राप्त की जाती है तथा ठेकेदारों द्वारा कितनी ; और

(ग) इस इमारती लकड़ी का मूल्य कितना है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):** (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**अन्दमान ट्रक रोड**

**३०८-घ. श्री प्र० के० देव:** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोर्ट ब्लेयर को दिगलीपुर से मिलाने वाली अन्दमान ट्रक रोड कब बन कर पूरी हो जायेगी ;

(ख) इस परियोजना पर कितना व्यय किया जा चुका है और कितने मील लम्बी सड़क बन कर तैयार हो गई है ; और

(ग) संकरी खाड़ियों को पार करने की व्यवस्था किस प्रकार की जायेगी, पुलों द्वारा अथवा नावों द्वारा ?

**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (ग). अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन से जानकारी मांगी गई है तथा वह यथा सम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रखी दी जायेगी ।

---

# अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

# CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

**पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को पश्चिमी पाकिस्तान ले जाने वाली गाड़ियों का रोका जाना**

**श्री मोहन स्वरूप** (पीलीभीत) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

> "भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तानी फौजी दस्तों द्वारा पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को पश्चिमी पाकिस्तान ले जाने वाली गाड़ियों का रोका जाना ।"

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी):** अप्रैल, १९६४ को जमशेदपुर में काम करने वाले कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को नौकरी से अलग कर दिया गया। स्थानीय स्थिति का ध्यान रखते हुए बिहार सरकार के सुझाव पर इन परिवारों को वापस पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान भेजने का फैसला किया गया और १७, १८ और २० मई को कुछ परिवारों के लिये विशेष गाड़ियों बौगांव के लिये और २४ और २५ मई को अमृतसर के लिये चलाई गई। पूर्वी पाकिस्तान की ओर भेजे गये पाकिस्तानी राष्ट्रजन तो बिना कठिनाई के चले गये परन्तु पश्चिम पाकिस्तान की सीमा पर उनका निरीक्षण करने पर पाकिस्तान द्वारा ७०९ लोगों में से ४३८ को पाकिस्तान में प्रवेश करने देने से इन्कार कर दिया गया। २७ मई को जो दूसरी गाड़ी वहां पहुंची उनमें से भी ३५२ लोगों को वापस जाने नहीं दिया गया। इस प्रकार १५६४ पाकिस्तानियों में से ६२३ व्यक्तियों को प्रवेश नहीं करने दिया गया। भारत सरकार उन्हें वापस भेजने का प्रयत्न कर रही है। इस बीच में इन शेष लोगों के आराम के लिये पंजाब सरकार द्वारा शिविर खोल दिया गया है और सब प्रकार का प्रबन्ध कर दिया गया है।

**श्री मोहन स्वरूप** : क्या कुछ घुसपैठ करने वालों के पास पाकिस्तानी पारपत्र थे और यदि हां, तो उन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा स्वीकार क्यों नहीं किया गया ?

**श्री हाथी** : यह घुसपैठ करने वाले नहीं हैं। यह लोग पाकिस्तानी पारपत्रों के साथ आये थे। उनको नौकरी से अलग कर दिया गया है और हम उन्हें वापस भेज रहे हैं।

**Shri Vishram Prasad** (Lalganj) **:** Had our Government intimated the Pakistan Government that we are sending their nationals back and if so, what was their reply to that?

**Shri Hathi :** Yes, they were intimated and correspondence was held for transport also.

**Shri Onkar Lal Berwa** (Kotah) : I want to know the reasons why some of the Pakistani Nationals were not accepted by Pakistani authorities?

**Shri Hathi :** They simply said that they were not Pakistani nationals.

**Shri Bishan Chandra Seth** (Etah) : Why should our Government send the Pakistani nationals in batches? The Pakistan Government should be asked as to why they are not accepting their own people. Simple protest letters will not do.

**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : क्या जमशेदपुर के दंगों में इन पाकिस्तान राष्ट्र-जनों ने लोगों को भड़काया था, और क्या इस अनुभव के आधार पर सरकार ने अन्य महत्व-पूर्ण औद्योगिक संस्थानों में से सभी पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को निकालने का फैसला किया है ?

**श्री हाथी**: हो सकता है कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने दंगों में भड़काने का काम किया हो। मेरे पास इस बारे में सूचना नहीं है। यह ठीक है कि जो पाकिस्तानी राष्ट्रजन अन्य स्थानों पर काम कर रहे हैं उनके पास वीसा है परन्तु जमशेदपुर की स्थिति भिन्न थी। वहां पर उन लोगों को नौकरी से अलग कर दिया गया था और हम चाहते थे कि वह बिना गड़बड़ किये यहां से चले जायें।

**श्री स्वैल** (आसाम स्वायत्तशासी जिले) : क्या इन ५० प्रतिशत, पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को वापस लेने से इन्कार करने का अर्थ यह नहीं है कि पाकिस्तान सरकार अपने इस दावे पर जोर देना चाहती है कि भारत भारतीय मुसलमानों को निकाल रहा है ?

**श्री हाथी** : उनकी शिकायत यही है कि हम भारतीय राष्ट्रजनों को भेज रहे हैं। परन्तु हम उन्हीं मुसलमानों को भेज रहे हैं जो वास्तव में पाकिस्तानी राष्ट्रजन हैं।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालोर) : क्या पाकिस्तान की यह कार्यवाही गृह-मंत्री स्तर पर हुई बातचीत के दौरान अपने दावे पर बल देने के लिये है और यदि हां, तो गृह-मंत्री इस विषय में क्या कार्यवाही करेंगे ?

**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री, गृह-मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री नन्दा)** : जैसे हम अपने कानन के अनुसार यह निर्णय देते हैं कि अमुक व्यक्ति पाकिस्तानी राष्ट्रजन है उसी प्रकार वह भी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है। परन्तु इस विशेष मामले में कोई सन्देह वाली बात नहीं हैं। हो सकता है पाकिस्तान वही बात चाहता हो जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। अब हम इन लोगों से सम्बन्धित दस्तावेज़ पाकिस्तानी अधिकारियों को दिखायेंगे जिनसे स्पष्ट है कि यह लोग पाकिस्तानी राष्ट्रजन हैं।

**Shri Prakash Vir Shastri** (Bijnor) : Have the Government taken any final decision about these people who have been kept in Camps, and also, what measures it propose to take in case the Government of Pakistan refuse to accept these lakhs of Pakistanis who are here in India?

**Shri Nanda** : This problem has to be considered and dealt with.

**Shri Yashpal Singh** (Kairana): What steps the Government propose to take to counter the propaganda carried on by Pakistan to the effect that Muslims are being forcibly turned out from India?

**Shri Hathi** : It has been made clear by us that these people are Pakistani nationals. We are sending them after checking their passports and Visas.

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

## PAPERS LAID ON THE TABLE

### मद्य निषेध संबंधी अध्ययन दल का प्रतिवेदन

**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : मैं श्री ब० रा० भगत की ओर से मद्य निषेध सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—२९०६/६४]

### अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ३० अप्रैल, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७०७ में प्रकाशित अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं तथा गेहूं उत्पाद (लाने ले जाने पर नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, १९६४।

(दो) दिनांक १ मई, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७०८ में प्रकाशित चावल (पंजाब) मूल्य नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, १९६४ ।

(तीन) दिनांक १ मई, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७०९ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (चौथा संशोधन) आदेश, १९६४ ।

(चार) दिनांक ९ मई, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७३६ में प्रकाशित चावल (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (चौथा संशोधन) आदेश, १९६४ ।

(पांच) दिनांक ९ मई, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७३७ में प्रकाशित गेहूं रोलर आटा मिलें (लाइसेंस देना तथा नियंत्रण) (पांडिचेरी) पर लागू करना) आदेश, १९६४ ।

(छः) दिनांक ५ मई, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७३८ में प्रकाशित आंध्र प्रदेश धान (लाने ले जाने पर नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, १९६४ ।

(सात) दिनांक १५ मई, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७५४ ।

(आठ) दिनांक २३ मई, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७६५ में प्रकाशित अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं तथा गेहूं उत्पादन (लाने तथा ले जाने पर नियंत्रण तीसरा संशोधन आदेश, १९६४ ।

(नौ) दिनांक १८ मई, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७८४ में प्रकाशित महाराष्ट्र तथा गुजरात चावल (निर्यात नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६४ ।

**[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० २९०७/६४]**

### शिशिक्षुता (संशोधन) नियम

**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** मैं (३) अप्रेंटिसेस अधिनियम, १९६१ की धारा ३७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक ११ अप्रैल, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५९ में प्रकाशित शिशिक्षुता (संशोधन) नियम, १९६४ ।

(दो) दिनांक १६ मई, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७५१ में प्रकाशित शिशिक्षुता (दूसरा संशोधन) नियम, १९६४ ।

**[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० २९०८/६४]**

## कार्य मंत्रणा समिति

## BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

**अट्ठाईसवां प्रतिवेदन**

**संसद-कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन से, जो १ जून, १९६४ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन से, जो १ जून, १९६४ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

---

## संविधान (उन्नीसवां संशोधन) विधेयक १९६४—जारी

## CONSTITUTION (NINETEENTH AMENDMENT) BILL 1964—*contd.*

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा संविधान (उन्नीसवां संशोधन) विधेयक के खण्ड ३ पर अग्रेतर विचार करेगी ।

**श्री अ० प्र० जैन** (तुमकुर) : इस संविधान संशोधन विधेयक पर जिस बारीकी से संयुक्त प्रवर समिति में विचार किया गया शायद इस तरह पहले किसी अन्य विधेयक पर विचार न किया गया हो । मैं यह बात अपने २७ वर्ष के संसदीय अनुभव के आधार पर कह रहा हूं । विधि मन्त्री एवं सरकार प्रत्येक युक्तियुक्त बात पर विचार करने और उसे मानने को तैयार थे यह इस तथ्य से जाहिर है कि इस विधयक में पहले १२६ अधिनियम रखे गये थे, जो बाद में, घटा कर ४० से भी कम कर दिये गये । मेरे विचार में सरकार इससे अधिक सावधानी नहीं बरत सकती थी । इसलिए यह आरोप लगाना कि इस पर विचार व्यक्त करने के लिए अवसर नहीं दिया गया गलत होगा ।

संविधान के अनुच्छेद ३१ ख में उपबन्ध है कि नवीं अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम तथा विनियम, उच्चतम न्यायालय या अन्य किसी न्यायाधिकरण के विपरीत फैसले के होते हुए भी, लागू रहेंगे । संविधान के इसी उपबन्ध के अनुसार ही इस विधेयक में ऐसा उपबन्ध किया जा रहा है । इस लिए इस पर आपत्ति के लिए गुंजाइश नहीं है ।

भूमि सुधार लाना हमारी नीति का महत्वपूर्ण अंग है । भूमि सम्बन्धी सुधार का सिद्धान्त भारत में ही नहीं वरन् संसार भर में सर्वमान्य है । यह सुधार या तो साम्यवादी देशों के समान लाये जा सकते हैं या फिर विधान बना कर जैसे कि हम ला रहे हैं । हमने दोनों में से जो अधिक शिष्ट उपाय है उसे अपनाया है ।

**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : मैंने अपने संशोधन में प्रस्ताव किया है कि अनुसूची में से मद संख्या ३३ और ४९ को निकाल दिया जाय। भूमि सुधार के प्रश्न पर तो हम सहमत हैं, परन्तु अनुसूची में मैसूर ग्रामीण कार्यालय उत्पादन अधिनियम, १९६१ को रखने का क्या कारण है। इसका भूमि सुधार से कोई सम्बन्ध नहीं है। इन अधिनियमों को अनुसूची में शामिल करके १२,००० लेखापालक या पटवारी अपने पदों से वंचित किये जा रहे हैं, और वह बेकार हो जायेंगे। इनमें से कुछ के मामले अभी उच्चतम न्यायालय में लम्बित हैं। ऐसा उपबन्ध करते हुए हम अनुच्छेद १४, १९ तथा ३१ के अन्तर्गत एक व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों से उसे वंचित कर रहे हैं।

मद ३३ की भी स्थिति इसी प्रकार की है। गुजरात उत्तरजीवी अन्य-संक्रामण उत्पादन अधिनियम, १९६३ को भी अनुसूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

इसलिए मेरा सुझाव है कि मेरे संशोधन संख्या ९ तथा २१ स्वीकार किये जायें।

**विधि मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैंने विधेयक को पुरःस्थापित करते समय यह स्पष्ट किया था कि हमने विभिन्न राज्य सरकारों के अनुरोध करने पर कई अधिनियम उस विधेयक में शामिल किये हैं परन्तु हम इसी सिद्धान्त का अनुसरण करेंगे कि भूमि सुधार सम्बन्धी अधिनियम ही इसमें शामिल किये जायें और साथ ही साथ ऐसे उन अधिनियमों को भी शामिल किया जाय जिनको भविष्य में चुनौती दिये जाने की सम्भावना है। मद्रास अधिनियम तथा गुजरात अधिनियम के शामिल किये जाने के बारे में भी मैंने विस्तार से बताया था। अब मैं तीन मुख्य विवादास्पद अधिनियमों के बारे में फिर चर्चा करूंगा।

मद्रास अधिनियम में परिवार का ढांचा वही है जो प्रत्येक राज्य के भूमि सुधार सम्बन्धी विधान में है। यह परिभाषा सभी राज्य विधानों में एक सी है। दूसरी योजना तैयार करते समय और भूमि सुधार की व्यवस्था करते समय सारे देश में परिवार का एक ढांचा निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा एक विशेषज्ञ पैनल बनाया गया था और उसी की सिफारिश के आधार पर यह ढांचा माना गया। इसमें कोई त्रुटि नहीं पाई जाती। न्यायालयों ने भी यही कहा है कि इससे संविधान के अनुच्छेद १४ का उल्लंघन होता है। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह उपबन्ध अयुक्तियुक्त है।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : यह अनुच्छेद १४ का उल्लंघन करने वाला उपबन्ध है। माननीय मन्त्री इसी बारे में तर्क दें। यह कहने का कोई फायदा नहीं कि सभी राज्यों में यही परिभाषा मानी गयी है।

**श्री अ० कु० सेन** : मैं यही कह रहा हूं कि परिवार की यह नयी परिभाषा हमने स्वीकार की है। इस बात का फैसला संसद् को करना है कि यह परिभाषा ठीक है अथवा गलत। मैं समझता हूं कि परिवार की यह परिभाषा उचित है और मद्रास अधिनियम भी भूमि सुधार सम्बन्धी अधिनियम है।

इसके बाद मैसूर अधिनियम का प्रश्न आता है।

**श्री रंगा** (चित्तूर) : यह परिभाषा मनमाने ढंग से की गयी है।

**श्री अ० कु० सेन** : यह हिन्दू निधि के अनुसार 'परिवार' की परिभाषा है। और यह आय कर विधि तथा अन्य विधियों में यही परिभाषा चलेगी। मैसूर अधिनियम के बारे में मैंने विस्तार से संयुक्त समिति में बताया था कि हमने 'कार्यालय' शब्द की भी बड़ी व्यापक परिभाषा की है। वैसे यह विधान इन कार्यालयों को समाप्त करने के लिए है कि इनके लगभग सारे काम असैनिक प्रशासन द्वारा अपने



810 (Ai) LSD—8.

[श्री अ० कु० सेन]

हाथ में ले लिए गये हैं। जब इन कार्यालयों को समाप्त किया गया, वंशागत प्रणाली चल रही थी। अतः भूमि सुधारों को लागू करने के लिए और इन वंशागत जमीनों पर काबिज होने के लिए यह जरूरी था कि इन कार्यालयों को समाप्त कर दिया जाय। मुआवजा, घटिया कार्यालयों के लिए अन्य भूमि सुधार विधान में निर्धारित किया गया था। उस अधिनियम की धारा ६ में इसकी व्यवस्था थी। मैंने स्वयं इसका परीक्षण किया है। मुआवजा देने के बड़े व्यापक नियम इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित थे।

गुजरात अधिनियम का भी मैंने परीक्षण किया है। इसे बाद में विधेयक में सम्मिलित किया गया। परन्तु पूरी छानबीन के बाद इस मामले पर हम पुनः विचार करेंगे। गुजरात अधिनियम का मैंने अध्ययन किया है, उसमें ऐसे उपबन्ध हैं जिनका सम्बन्ध भूमि सुधारों से है। भत्ता समाप्त करने की बात उसके अन्तर्गत आती है। यह बात सभी ने स्वीकार की है कि भत्ते के उपबन्धों के कारण उन्हें भूमि सुधार के विधान नहीं कहे जा सकते। उनको सम्मिलित करने का मतलब तो विधयक के उद्देश्य को ही समाप्त करना होगा। श्री अ० प्र० जैन के कहने से पूर्व ही हमने संशोधन स्वीकार करने का निर्णय कर लिया था। अतः हमने जो कुछ भी निर्णय किया है काफी छानबीन के बाद किया है चाहे कुछ लोग उसके साथ सहमत न हों।]

**श्री बड़े** : जहां तक मैसूर ग्राम पद समाप्ति अधिनियम का सम्बन्ध है, लगभग ४० अपीलें उच्चतम न्यायालय में अनिर्णित पड़ी हैं और उच्चतम न्यायालय ने उस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही न किये जाने का आदेश जारी कर दिया है। उस अधिनियम की कार्यान्विति से लगभग १२,००० लेखापाल अथवा पटवारी अपने पदों से हटा दिये जायेंगे और मैसूर सरकार उनके स्थान पर नये लोग भरती करेगी।

**श्री अ० कु० सेन**: मैसूर राज्य में ये पद स्थानीय कार्यों को पूरा करने के लिए बनाये गये थे परन्तु अब उन पदधारियों को वे कार्य नहीं करने पड़ते हैं। मुझे सही आंकड़ों का पता नहीं है फिर भी काफी व्यक्तियों पर इस अधिनियम का प्रभाव पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाय स्वीकार करते हुए कार्यवाही रोकने का आदेश जारी किया है। यह कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे कि उस अधिनियम को नवीं अनसूची में सम्मिलित कर दिया जाये।

**श्री काशी राम गुप्त** (अलवर): नवीं अनुसूचि में काफी अधिनियम ऐसे रखे गये हैं जिनको उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। उन्हें केवल इसलिए सम्मिलित किया गया है कि उन्हें चुनौती दिये जाने का डर है।

**श्री अ० कु० सेन** : मैं माननीय सदस्य को बता चुका हूं कि हम उन अधिनियमों को सम्मिलित कर रहे हैं जिनको न्यायालयों ने अवैध घोषित कर दिया है।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : ऐसे अधिनियमों को नवीं अनुसूचि में सम्मिलित करने का विरोध करते हुए मैंने निवेदन किया था कि "परिवार" शब्द की गलत परिभाषा लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि एक परिवार के सदस्यों के बीच भेदभाव करने से भूमि सुधार उपायों में किस प्रकार सहायता मिलेगी ?

**श्री अ० कु० सेन** : यदि पारिभाषिक दृष्टि से कोई भेदभाव न होता तो उच्चतम न्यायालय उसे अवैध घोषित न करती। परन्तु विशेष तालिका ने परिवार शब्द की परिभाषा करना जरूरी समझा। हमें कोई न कोई परिभाषा करनी है और इस परिभाषा को सबसे अधिक समर्थन प्राप्त हुआ है।

**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : अधिनियम में जहां पर भी आय का उल्लेख है क्या उसमें भूमि भी सम्मिलित है ?

**श्री अ० कु० सेन** : आय का अर्थ मुख्य रूप से भूमि ही है, क्योंकि 'भूमि' में सारी अचल सम्पत्ति भी सम्मिलित है ।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : हम संशोधन संख्या ४, ५ तथा ६ पर मत विभाजन चाहते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४ मतदान के लिए रखा गया ।**

**Amendment No. 4 was put to vote.**

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ :**

**The Lok Sabha divided :**

**पक्ष में ४२; विपक्ष में ३५२ ।**

**Ayes 42; Noes 352.**

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।**

**The motion was negatived.**

**अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५ मतदान के लिये रखा गया ।**

**Amendment No. 5 was put to vote.**

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ :**

**The Lok Sabha divided :**

**पक्ष में ३१ ; विपक्ष में ३४९ ।**

**Ayes 31, Noes 349.**

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।**

**The motion was negatived.**

**अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।**

**Amendment No. 6 was put and negatived.**

**अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३, ३१ तथा ३२ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।**

**Amendments Nos. 3, 31 and 32 were put and negatived.**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने ।"

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ :**

**The Lok Sabha divided :**

**पक्ष में ३५३; विपक्ष में २४ ।**

**Ayes 353; Noes 24.**

**अध्यक्ष महोदय:** प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ है।

**Mr. Speaker:** The motion has been carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**Clause 2 was added to the Bill.**

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३, पंक्ति १५, अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :—

"except in so far as this Act relates to an alienation referred to in sub-clause (d) of clause (3) of section 2 thereof."

["जहां तक कि इस अधिनियम का इसकी धारा २ के खण्ड (३) के उपखण्ड (घ) में निर्दिष्ट भूमि के अन्य संक्रामण से सम्बंध है" ] (१०)

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९ मतदान के लिये रखा गया।**

**Amendment No. 9 was put to vote.**

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ :**

**The Lok Sabha divided :**

**पक्ष में ३० ; विपक्ष में ३६३।**

Ayes 30 : Noes 363.

**संशोधन अस्वीकृत हुआ।**

**The amendment was negatived.**

**अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २१ मतदान के लिए रखा गया।**

**Amendment No. 21 was put to vote.**

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ :**

**The Lok Sabha divided :**

**पक्ष में २८; विपक्ष में ३६२।**

**Ayes 28; Noes 362.**

**संशोधन अस्वीकृत हुआ :**

**The amendment was negatived.**

**अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २० मतदान के लिये रखा गया।**

**Amendment No. 20 was put to vote.**

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ :**

**The Lok Sabha divided :**

**पक्ष में ३१; विपक्ष में ३६२।**

**Ayes 31 Noes 362.**

**संशोधन अस्वीकृत हुआ।**

**The amendment was negatived.**

**अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।**

**All the other amendments on clause 3 were put and negatived.**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ :**

**The Lok Sabha divided :**

**पक्ष में ३६८; विपक्ष में ३१।**

**Ayes 368; Noes 31.**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ है।

**Mr. Speaker:** The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**खण्ड १—(संक्षिप्त नाम)**

**संशोधन किया गया :**

**Amendment made :**

"पृष्ठ १, पंक्ति ३ और ४,

"(Nineteenth Amendment)" ["(उन्नीसवां संशोधन)"]। के स्थान पर "(Seventeenth Amendment)" ["(सत्रहवां संशोधन)"] रखा जाये। (२)

**—[श्री अ० कु० सेन]**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

**खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**Clause 1, as amended, was added to the Bill.**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

**अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

**The Enacting formula and the Title were added to the Bill.**

**श्री अ० कु० सेन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

**श्री मी० रु० मसानी** (राजकोट) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है । यह एक साधारण विधेयक नहीं है । नियम ९३ में यह उपबंध है कि विधेयक में संशोधन किये जाने की दशा में विधेयक को संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव उसी दिन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । इस विधेयक पर दो संशोधन स्वीकार किये गये हैं । सदस्यों को उन संशोधनों पर विचार करने के लिये समय दिया जाना चाहिये । इसलिये नियम ९३ (२) के अन्तर्गत इस विधेयक पर आगे चर्चा कल की जानी चाहिये ।

**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं नियमों का अधिक पाबन्द नहीं हूं परन्तु यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। संविधान में संशोधन करने वाले विधेयकों के बारे में कार्य संचालन नियमों में एक पृथक अध्याय है । संविधान में भी इस प्रकार के विधेयकों के लिये विशेष उपबंध है । लोग यह महसूस कर रहे हैं कि इस विधेयक को जल्दी में पास किया जा रहा है । इसलिये मेरा निवेदन है कि श्री मसानी की बात को मान लिया जाये और इस विधेयक का तृतीय वाचन कल तक के लिये स्थगित कर दिया जाये ।

**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : मैं इस औचित्य प्रश्न का समर्थन करता हूं । पहली बार यह आपत्ति उठाई गई है अतः यह उचित ही होगा कि नियमों का पालन किया जाये ।

**अध्यक्ष महोदय** : जैसा श्री त्रिवेदी ने कहा है पहली बार यह बात उठाई गई है । सामान्य प्रक्रिया के अनुसार हम द्वितीय वाचन समाप्त होने के पश्चात् तीसरे वाचन पर चर्चा करते रहे हैं । अब भी उसी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये। अध्यक्ष को प्रस्ताव की अनुमति देनेके बारेमें परिस्थितियों

को भी देखना होता है। मैंने कल यह स्पष्ट कर दिया था कि द्वितीय वाचन के कल समाप्त हो जाने की अवस्था में तृतीय वाचन को आज ही लिया जायेगा। परन्तु द्वितीय वाचन कल समाप्त नहीं किया जा सका। हमें नियम के उद्देश्य को देखना चाहिये। उसका उद्देश्य यह है कि द्वितीय वाचन में कोई संशोधन किये जाने की अवस्था में सदस्यों को उन पर सोचने के लिये कुछ समय दिया जाना चाहिये ताकि तृतीय वाचन के समय वे अपने सुझाव दे सकें। परन्तु इस विधेयक में एक प्रविष्टि जोड़ने के लिये केवल एक ही संशोधन किया गया है। इस विधेयक में द्वितीय वाचन के समय कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है। यह संशोधन भी कल स्वीकार किया गया था और इसके लिये कल का दिन दिया जा चुका है। इसलिये मेरे विचार से इस समय इस प्रस्ताव की अनुमति दी जानी चाहिये।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

**श्री अ० कु० सेन** : आप इस विधेयक को मतदान के लिये किस समय रखेंगे ?

**श्री मी० रु० मसानी** : यह एक स्वस्थ प्रथा नहीं है कि सदस्य चर्चा में रुचि लिये बिना ही मतदान करें। मतदान के लिये कोई समय निर्धारित नहीं किया जाना चाहिये। जो मतदान करना चाहते हैं उन्हें सभा में उपस्थित रहना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : इस विधेयक को पास करने के लिये विशेष बहुमत होना जरूरी है। यदि सदस्यों को उस समय का संकेत दे दिया जाये तो इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है। इस विधेयक के तृतीय वाचन में पांच सदस्य भाग लेना चाहते हैं। उसके लिये एक घंटा दिया जा सकता है अतः दोपहर को २-३० बजे इस विधेयक पर मतदान किया जायेगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।<br>MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*.]

**श्री रंगा** : २ जून का दिन संसद् तथा देश के इतिहास में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन समझा जायेगा, क्योंकि आज यह सभा एक ऐसे विधेयक को पास करने जा रही है, जिससे देश के अधिकांश लोगों के महत्वपूर्ण अधिकारों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह दिन इस बात का भी द्योतक है कि किस प्रकार सत्तारूढ़ दल कई अवसरों पर मनमाने ढंग से इस विधेयक को पास कराने में सामान्य प्रक्रिया की उपेक्षा करता रहा है। चूंकि सरकार को अपने बहुमत का नशा है इसलिये वह भूमिसुधारों सम्बंधी अपनी मनमानी नीतियों का पालन करवा सकती है। विधि मंत्री ने कहा है कि सरकार तथा योजना आयोग ने परिवार की इसी परिभाषा के पक्ष में निर्णय किया है। चूंकि वह सरकार की अपनी परिभाषा है, इसलिये उसने मद्रास अधिनियम के बारे में उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय की ओर ध्यान नहीं दिया है। विरोधी दलों के अधिकांश लोग भी भूमि सुधारों के पक्ष में हैं। परन्तु भूमि सुधारों का अर्थ केवल यह है कि किसान का राज्य से सीधा सम्बंध स्थापित हो जाये और बिचौलियों को मुआवजा देकर बीच में से हटा दिया जाये। कल माननीय विधि मंत्री ने श्री मसानी की इस मांग का मजाक उड़ाया था कि अधिकतम सीमा निर्धारित करते समय मुआवजा बाजार भाव पर दिया जाना चाहिये। परन्तु उन्हें यह याद रखना चाहिये कि इसी कांग्रेस सरकार ने भूतपूर्व इम्पी-

रियल बैंक आफ इंडिया के केवल १०० रुपये के शैयर के लिये १६०० रु० का मुआवजा देने का निर्णय किया था। फिर भी वास्तविकता को दृष्टि में रखते हुए हमने भूमि के मुआवजे के प्रश्न पर गम्भीर आपत्ति नहीं उठाई है ।

दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी पट्टेदारों को अपनी भूमि का मालिक समझा जाता रहा है। अंग्रेजी सरकार भी उन्हें अपनी भूमि का मालिक मानती थी। संविधान सभा में भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने जब 'रैयतवाड़ी किसान' शब्दों का उल्लेख किया था, उनसे उनका आशय इन रैयतवाड़ी पट्टेदारों से था। उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि उनके हितों को हानि नहीं पहुंचाई जायेगी। डा० अम्बेदकर ने भी यह आश्वासन दिया था कि यदि कोई विधान मंडल उनके हितों को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक को अपनी स्वीकृति नहीं देनी चाहिये। परन्तु सरकार इन दोनों आश्वासनों के विपरीत कार्य कर रही है।

दक्षिण भारत के रैयतवाड़ी पट्टेदारों को जमींदार नहीं समझा जाना चाहिये। वे उत्तर भारत के किसानों के समान ही अपनी भूमि के मालिक के रूप में समझे जाने चाहियें और उनकी भूमि को सम्पदा नहीं समझा जाना चाहिये। सरकार चाहती है कि प्रत्येक किसान को भूमि दी जाये। परन्तु हमारे देश में इतनी भूमि नहीं है कि वह प्रत्येक काश्तकार को दी जा सके। भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधान के लागू हो जाने से सरकार को कुछ भूमि प्राप्त हो जायेगी। उस विधान को उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। यदि सरकार का उद्देश्य भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधान को ही संरक्षण देना है, तो इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है।

सरकार जिन व्यक्तियों के पास निर्धारित अधिकतम सीमा से फालतू भूमि है उसे लेकर भूमिहीन किसानों में बांटना चाहती है। किन्तु यह भूमि कुल मिलाकर १ करोड़ एकड़ से अधिक नहीं होगी। यह भूमि थोड़ी संख्या में भूमिहीन किसानों में बांटी जा सकती है। इस समय सरकार के अधिकार में लगभग १२.५ करोड़ एकड़ भूमि होने का अनुमान है। इस भूमि को भूमिहीन किसानों में बांटने के लिए किसान सम्मेलनों में गत कई वर्षों से मांग की जा रही है किन्तु सरकार इसे उन्हें देना नहीं चाहती है। आपातकाल की घोषणा के बाद तो सरकार ने आदेश जारी कर दिये हैं कि श्रमिक कृषकों को भूमि न दी जाये। इस आदेश के विरोध में सभी दलों ने मिलकर सत्याग्रह किया जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग जेलों में पड़े हैं।

इस विधेयक के पारित हो जाने से बड़ी संख्या में खेतों में काम करने वाले मजदूर बेकार हो जायेंगे। इन को बेकारी से बचाने के लिए उन्हें कम से कम पांच या दस वर्ष की अवधि के लिए भू-धारणाधिकार दिया जाना चाहिए।

सरकार को किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए उसी प्रकार का भूमि सुधार सम्बन्धी विधान पारित करना चाहिए जिस प्रकार का कानून वर्ष १९५२ में तंजौर जिले में रैयतवाड़ी प्रथा के अन्तर्गत पारित किया गया था। वर्तमान रूप में विधेयक पारित करने से छोटे-छोटे किसानों के लिए भी खतरा पैदा हो जायेगा। वर्ष १९५१ में पारित किया गया कानन किसानों और

खेतीहर मजदूरों के हित में था। इससे २४.६ करोड़ किसानों तथा खेतों में काम करने वाले मजदूरों को फायदा पहुंचा था। इस विधेयक के पारित हो जाने से बड़ी संख्या में मजदूरों को खतरा पैदा हो जायेगा।

प्रस्तुत विधेयक के पारित हो जाने से किसान अपनी भूमि का अर्जन रोकने के लिए न्यायालय की सहायता नहीं ले सकते हैं। सरकार इस विधेयक द्वारा उच्चतम न्यायालय की शक्तियां कम करके इसे कमजोर बना रही है। संविधान में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय संविधान के तीन आधार स्तम्भों में से एक है। इसका अर्थ यह होगा कि सरकार स्वयं इस आधार स्तम्भ को कमजोर बना रही है।

सरकार चाहती है कि लोगों को सहकारी कृषि अपनाने के लिए बाध्य किया जाये। यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार किसानों को प्रतिकर के रूप में बहुत अल्प राशि देगी जो किसानों द्वारा किसी भी काम में पूंजी के रूप में उपयोग नहीं की जा सकती है। यदि वे इस राशि को ले लेते हैं तो यह फिजूलखर्ची में चली जायेगी और किसान के पास कुछ नहीं रहेगा। उनके लिए वैकल्पिक मार्ग यही रह जायेगा कि वे सहकारी फार्मों के सदस्य बन जायें क्योंकि धन खेती की स्थानापन्न वस्तु नहीं बन सकती है। धन खो सकता है, चुराया जा सकता है तथा खर्च किया जा सकता है जब कि भूमि एक स्थिर वस्तु है इसे न तो चुराया जा सकता है और न ही खर्च किया जा सकता है। यह पीढ़ियों से उत्तराधिकार में चली आ रही है और चलती रहेगी। इससे केवल वर्तमान पीढ़ी को ही नहीं अपितु आने वाली पीढ़ी को कृषि उत्पादन और रोजगार मिलता रहेगा।

इस विधेयक से खेतीहर मजदूरों तथा किसानों को किसी प्रकार लाभ नहीं पहुंच सकता है। सरकार इन लोगों को भूमि का मालिक बनाना नहीं चाहती है। इससे लोगों की रुचि भूमि में बहुत कम हो जायेगी। कोई भी व्यक्ति उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि में पूंजी लगाना पसन्द नहीं करेगा। इसका कृषि उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।

सरकार भारत के किसानों की भावनाओं को समझने में असमर्थ रही है कि ये किसान स्वतंत्रता प्रिय हैं। इन पर साम्यवाद या समाजवाद आसानी से नहीं लादा जा सकता है। सरकार इस विधेयक द्वारा आवश्यकता से अधिक नियंत्रण रख कर एक आत्मविनाशक नीति का अनुसरण कर रही है। इससे किसानों का मेहनत से काम करने का उत्साह समाप्त हो जायेगा और युगों पुरानी संस्कृति जो इस देश में चली आ रही है वह नष्ट हो जायेगी। सरकार स्वामित्व को समाप्त करने के उद्देश्य से यह विधेयक पारित कर रही है।

मेरे इस विधेयक का विरोध करने का अर्थ बहुत से माननीय सदस्य यह लगा रहे हैं कि मैं बड़े जमींदारों तथा एकाधिकारों का समर्थक हूं। किन्तु उनका ऐसा सोचना निराधार है। मैं इस बात का समर्थक हूं कि जो लोग गरीब किसानों का शोषण करते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये। मेरा अनुरोध है कि सरकार देश के किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए उचित कदम उठाये ताकि वे एक अच्छे नागरिक की भांति जीवन व्यतीत कर सकें।

**श्री दाजी** (इन्दौर) : यह अच्छी बात है कि सरकार संविधान में संशोधन करके भूमि सम्बन्धी सुधार की दिशा में सराहनीय कदम उठा रही है। इन भूमि सम्बन्धी सुधारों से तभी लाभ हो सकता है जब इन्हें प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाये और वास्तविक रूप में देश के किसानों के हितों की रक्षा हो सके।

[श्री दाजी]

मैं प्रोफेसर रंगा की इस बात से सहमत हूं कि सरकार इस बात के लिए दोषी है कि वह सरकारी बंजर भूमि को भूमिहीन किसानों में बांटना नहीं चाहती है। जिसके परिणामस्वरूप लोग बड़ी संख्या में सत्याग्रह कर रहे हैं। किन्तु हमारे सामने वास्तविक समस्या कुछ दूसरी ही है। आज समस्या यह है कि एक ओर तो लाखों खेतीहर मजदूरों के पास जोतने के लिए कतई भूमि नहीं है और दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग हैं जो भूमि के बड़े-बड़े क्षेत्रों के मालिक बने बैठे हैं। एक ओर तो खेतीहर मजदूरों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी है और दूसरी ओर चन्द व्यक्तियों के हाथ में सारी भूमि है। यदि वास्तव में यह समस्या हल करनी है और देश की जनता को खुशहाल बनाना है तो हमें सामाजिक सुधार करके परस्पर विषमता को दूर करना होगा। हो सकता है इस कार्य में कुछ लोगों को हानि भी उठानी पड़े। आज कोई भी राष्ट्र जो आधा स्वतंत्र और आधा गुलाम है जीवित नहीं रह सकता है।

सरकार के पिछले कार्यों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की कार्य-प्रणाली बहुत मन्दगति से चलती है। यदि इसी प्रकार इस विधेयक के पारित किये जाने पर किया गया और इसे कार्यरूप देने के लिए शीघ्र कदम नहीं उठाये गये तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। बड़े जमींदार अपनी भूमि को अपने परिवार के सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों में बांटने में सफल हो जायेंगे और कानून की पकड़ से साफ बच निकल जायेंगे। उदाहरणार्थ स्वर्ण नियंत्रण आदेशों को लागू करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप लोगों ने सारा सोना छिपा दिया और सरकार अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस विधेयक को कार्यरूप देने के लिए शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए। इस प्रकार ढील की नीति से काम नहीं चलेगा।

प्रोफेसर रंगा के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ थोड़े से बड़े जमींदारों की स्वतंत्रता है। उन्हें लाखों गरीब किसानों की स्वतंत्रता तथा खुशहाली से कोई मतलब नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश की साधारण जनता स्वतंत्र और खुशहाल रहे चाहे इस कार्य के लिए कुछ बड़े लोगों की स्वतंत्रता की बलि क्यों न देनी पड़े। इस बात को दृष्टि में रखते हुए यह विधेयक एक सराहनीय कदम है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा): यह सराहनीय बात है कि सरकार भूमि सुधार सम्बन्धी उपायों की दिशा में प्रगतिशील है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि सरकार अपेक्षित प्रक्रियाओं की अवहेलना करे जैसा कि प्रस्तुत विधेयक के मामले में किया गया है।

संयुक्त समिति ने विधयक में खंड दो, जिसमें अधिकतम सीमा के अन्दर भूमि का अर्जन करने के लिये बाजार मूल्य पर प्रतिकर देने की व्यवस्था की गई है, जोड़ कर एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इससे छोटे किसानों को संरक्षण मिल गया है किन्तु राज्यों म संरक्षण के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि भूमि सुधार सम्बन्धी मामलों में इनका पिछला रिकार्ड अच्छा नहीं रहा है। विधि मंत्री महोदय द्वारा संयुक्त समिति के संशोधनों को स्वीकार करने के बावजूद भी विधेयक मे अनेक त्रुटियां रह गई हैं जिसके परिणामस्वरूप इस विधेयक से कोई विशेष लाभ होने की आशा नहीं है। अतः सरकार को इस विधेयक को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए शीघ्र उचित कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार को लक्ष्य तिथि निश्चित करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए थी। इससे इस विधेयक के प्रति लोगों में जो भ्रम है वह दूर हो जाता।

इसमें सन्देह नहीं है कि इस विधेयक के पारित हो जाने से बहुत से किसानों को संरक्षण मिलेगा किन्तु सरकार को सच्चे दिल से कार्य करना चाहिए तभी सरकार अपने उद्देश्य में पूर्णरूप से सफल हो सकती है। हमें अपनी आर्थिक गतिविधि की इस प्रकार पुनर्व्यवस्था और पुनर्गठन करना चाहिए कि शहरी तथा नगरीय क्षेत्रों की समान रूप से उन्नति तथा विकास हो। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के हितों में भेदभाव की नीति अपनाना उचित बात नहीं है।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सच है कि इस विधेयक के पारित हो जाने से छोटे किसानों को लाभ होगा जैसा कि मंत्री महोदय दावा भी करते हैं किन्तु इसमें भी सन्देह नहीं है कि इसे पारित करवाने के लिए आवश्यकता से अधिक सरल बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

किसी भी भूमि सम्बन्धी विधान के बारे में देश कृषि-आर्थिक विकास के भविष्य को सामने रखते हुए विचार करना चाहिए। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सामने जो विधेयक चर्चाधीन है उसमें इस बात का बिल्कुल अभाव है। कुछ माननीय सदस्यों का यह आरोप गलत है कि जो लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं वे पूंजीपतियों के समर्थक हैं। मैं राष्ट्रवादी विचारधारा रखता हूं और प्रत्येक ऐसे उपाय का जिससे राष्ट्र का हित हो, समर्थक हूं। किन्तु इस विधेयक के बारे में मेरी धारणा यह है कि इसमें आधारभूत अपेक्षित बातों को भी ध्यान में नहीं रखा गया है।

माननीय मंत्री का यह कहना कि परिवार की कृत्रिम परिभाषा इसलिये दी जा रही है कि अनेक राज्यों ने अपने विधान में इसी प्रकार की परिभाषा दी है, सारहीन है। सरकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई आपत्तियों को केवल प्रविधिक आपत्तियां नहीं कहना चाहिए। वास्तव में ये आपत्तियां सारगर्भित हैं। मंत्री महोदय को लोगों से वास्तविकता छिपा कर विधेयक का समर्थन प्राप्त नहीं करना चाहिए। इस विधेयक से हमारी न्यायिक प्रणाली कमजोर पड़ जायेगी।

सरकार को मेरा संशोधन संख्या ४ स्वीकार कर लेना चाहिए था। इससे विधेयक के बारे में जो अस्पष्टता है वह दूर हो जाती। इसके स्वीकार न करने का अर्थ यह है कि मंत्री महोदय विधेयक के प्रारूप में लेशमात्र भी परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं।

किसी भी भूमि सुधार सम्बन्धी विधान का उद्देश्य यह होना चाहिए कि उससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो तथा देश के उत्पादन में वृद्धि हो। किन्तु इस विधेयक में इनमें से एक बात भी नहीं है। भविष्य में इस प्रकार का विधान बनाते समय व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। सरकार को बंजर भूमि को आबाद करने का काम भी तेजी से करना चाहिए तभी भूमिहीन किसानों को भूमि का मालिक बनाने की समस्या हो सकती है।

**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मन्दसौर) : यह उचित नहीं है कि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने विधेयक का विरोध करने वाले सदस्यों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है।

प्रस्तुत विधेयक का विरोध करने का मुख्य कारण यह है कि इसके पारित हो जाने से लगभग १२,००० लेखापालों की रोजी चली जायेगी जब कि हमारी सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिये रोजी की व्यवस्था करना है ताकि वह सुखी जीवन व्यतीत कर सके। इतने लोगों को बेरोजगार करने के बावजूद भी भूमिहीन किसानों को भी कोई फायदा नहीं हो सकेगा जैसा कि मंत्री महोदय दावा करते हैं। इस प्रकार की बातें सहन नहीं की जा सकती हैं।

यह बात ठीक है कि सरकार अधिक से अधिक संख्या में भूमिहीन किसानों को भूमि का मालिक बनाना चाहती है किन्तु प्रस्तुत विधेयक से आने वाले समय में बड़ी गड़बड़ी हो जायेगी। उच्चतम सीमा लागू किये जाने के परिणामस्वरूप आने वाले दस-पन्द्रह वर्षों में भाई और बहन, पिता और पुत्र तथा परिवार के अन्य सदस्यों में असंख्य झगड़े खड़े हो जायेंगे।

यद्यपि मैं इस विधेयक के खंड २ में दिये गये कुछ सिद्धान्तों को संशोधित रूप में मानता हूं फिर भी मैं इसका पूर्णरूप से समर्थन नहीं कर सकता।

**श्री अ० कु० सेन** : डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने हम पर यह आरोप लगाया है कि हमने बहुमत के कारण संविधान के अनुच्छेद १४ और १६ तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रतिकूल कार्य किया है। मैं इस बारे में स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। पहले पहल पटना उच्च न्यायालय ने बिहार भूमि सुधार सम्बन्धी अधिनियम, १९५० को इसलिए अवैध घोषित कर दिया था कि यह संविधान के अनुच्छेद १४ के प्रतिकूल है। जिस समय मामला उच्चतम न्यायालय में निर्णय के लिए पड़ा था संसद ने संविधान पहला संशोधन पारित किया और अनुच्छेद ३१-क मे संशोधन किया गया तथा अनुच्छेद ३१-ख विधान मे जोड़ा गया यह पहला अधिनियम है जो सब से पहले नवीं अनुसूची में रखा गया। इस बात को कोई स्वीकार नहीं कर सकता है कि इससे संविधान का किसी प्रकार का उल्लंघन हुआ। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल भूमि सम्बन्धी विकास तथा योजना अधिनियम को नवीं अनुसूची मे रख कर संरक्षण दिया गया। और कई अधिनियमों को भी संरक्षण देने के लिये नवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

इस समय भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों को व्यापक रूप में क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। अतः इस कार्यक्रम में किसी प्रकार की बाधा न आये और मामला न्यायालय ले जाया जा सके इसी उद्देश्य से ये अधिनियम नवीं अनुसूची में शामिल किये गये हैं। यदि संविधान के अनुच्छेद १४ के पारिभाषिक अर्थ से भूमि सुधार सम्बन्धी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसे दूर करना हमारा केवल कर्तव्य ही नहीं अपितु उत्तरदायित्व भी है।

मैं इस बात को पुनः कहता हूं कि भूमि सुधार के ये कार्यक्रम किसी भी प्रकार संविधान की भावना के विरुद्ध नहीं जाते। बल्कि यह संविधान में दिये गये निर्देश सिद्धान्तों के अनुकूल हैं। मैं यह तो दावा नहीं कर सकता कि इस विधेयक से किसानों और खेतिहारों को काफी लाभ होगा, यह लाभ तो राज्य के कानूनों से ही प्राप्त हो सकता है। हम तो केवल उन कठिनाइयों को दूर करने का यत्न कर रहे हैं जिनको कि राज्य विधान मण्डल महसूस करते हैं। इस विधान से राज्य विधान मण्डल अखिल भारतीय कार्यक्रम के अनुरूप विधान बना सकेंगे। और इन राज्यों के विधानों से ही खतिहारों और किसानों को लाभ प्राप्त हो सकता है। हमने इस दिशा में जो कुछ किया है उसका पता योजना आयोग द्वारा प्रकाशित साहित्य से भली भांति जाना जा सकता है। हमने जो भी कार्य-क्रम निर्धारित किया है तथा इस दिशा में जो कुछ भी किया जा सका है उसको छपवा दिया है। उसे बार बार कहने का कोई लाभ नहीं।

मैं यह महसूस करता हूं कि कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की दिशा में काफी कठिनाइयां हैं। सब से बड़ी कठिनाई कानूनी कठिनाई है। जिसे हम इस विधेयक द्वारा दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु यह कहना कि भूमि सुधार के सम्बन्ध में जो भी कार्यक्रम हमने घोषित किया था उसे हमने कार्यान्वित नहीं किया, अथवा हम उस मामले को गम्भीरता से नहीं ले रहे, बिल्कुल गलत बात है। और हमें इस बात का उत्तर देना ही होगा। यह हो सकता है कि हमारी नीति और कार्य से कुछ व्यक्ति सन्तुष्ट न हों परन्तु हमने अपने विचार से देश को अवश्य सन्तुष्ट किया है।

हम भमिहीनों को भूमि दे रहे हैं। अब तक हमने भूमिहीन लोगों को ७८ लाख एकड़ बेकार सरकारी भूमि बांटी है। अधिक भूमि बांटने से पूर्व हमें उसको कृषि योग्य बनाना होगा। प्रति एकड़ मूल्यकरण की लागत १५० रुपये है। तीसरी योजना में हमने इस काय के लिये ७ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इस समय मेरे लिये यह बताना कठिन है कि कितने लोगों को लाभ हुआ है, परन्तु इसमे कोई सन्देह नहीं कि काफी लोगों को लाभ हुआ है।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाय।"

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ।**

**The Lok Sabha divided.**

पक्ष में ३८१ विपक्ष मे २७

**Ayes 381, Noes 27.**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ है।

**Mr. Speaker:** The motion has been carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

---

## अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६४-६५

## SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1964-65

**वर्ष १९६४-६५ के लिए सामान्य आय-व्ययक के सम्बन्ध में अनुदानों की निम्नलिखित अनूपूरक मांगें प्रस्तुत की गई :**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| ३१ | वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | १०,७३,००० |
| ५६ | गृह-कार्य मंत्रालय क अन्य राजस्व व्यय | ४,६०,००० |
| ५८ | उद्योग . . . . | १,६०,००,००० |
| ८५ | संचार (राष्ट्रीय राजमार्ग सहित) . . | ४५,००,००० |
| १४५ | डाक तथा तार का पूंजी परिव्यय (राजस्व से देय नहीं) . | ६०,००,००० |

**उद्योग मंत्रालय की अनुपूरक मांग के सम्बंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :**

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| ५८ | १ | श्री बड़े | खादी ग्रामोद्योग आयोग में कुप्रबन्ध | १०० रुपये |

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं मुख्यत: मांग संख्या ३१, ५६ और १४५ पर अपने विचार प्रकट करूंगा। जब वित्त मन्त्री महोदय ने एकाधिकार आयोग की घोषणा की थी तो कुछ इस पक्ष के लोगों ने इस पर आपत्ति की थी। परन्तु हम यह जानना चाहते हैं कि उसका क्या बना। अभी तक यह नहीं बताया गया कि महालनवीस समिति की कौनसी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं। आशा है कि रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जायेगा। १९५४ अथवा १९५५ में विवियन बोस आयोग की नियुक्ति हुई थी ताकि दालमिया जैन उपक्रमों की पूरी तरह जांच की जा सके। उस काम को करते करते सात आठ वर्ष लग गये। उस की रिपोर्ट आने पर सरकार को यह अवसर प्राप्त हुआ कि वह इन बड़े बड़े सेठों के कार्यकलापों की पूरी तरह जांच करे। उस समय हमने उद्योग मन्त्री तथा वित्त मंत्री से यह निवेदन किया था कि वे बिरला और सिंहानिया के कार्य के सम्बन्ध में भी जांच करें। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस समय देश का ४० से ५० प्रतिशत धन कुछ खास लोगों के हाथ में है और इस तरह से पूंजी का एकाधिकार इस देश में चल रहा है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि श्री हजारिका जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों को महालनवीस आयोग में शामिल करना चाहिये। सतर्कता आयोग की नियुक्ति का स्वागत है। परन्तु वरिष्ठ अधिकारियों को असीमित शक्तियां नहीं दी जानी चाहियें क्योंकि उसके कारण कनिष्ठ अधिकारियों को परेशान किया जाएगा। बैल कम्पनी के साथ किया गया करार और सुन्दरम कम्पनी को लाइसेंस देना गन्दे सौदे में है और इन मामलों को सतर्कता आयोग को सौंपना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं चौकसी आयोग और एकाधिकार आयोग की सफलता की कामना करता हूं। मुझे आशा है कि उनके कामों से अच्छे परिणाम अवश्य निकलेंगे। मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

**Shri Sarjoo Pandey** (Rastra) : I would like to speak on the demand No 53 and 58. Demand No. 53 is of Rs. 9250. It has some concern with the embezzlement of Transport department. There were many cases of employees charged with embezzlement having been released by the courts. It means many innocent persons were falsely implicated and when they were released by the courts they were paid Rs. 9250 from the public fund.

Regarding demand No. 58 I may state that one was not well with Khadi Gramodyog Commission. It is really very sad that not even the 25 percent of the grant was properly utilised. There were many fraudulent entries of expenditure.

Everywhere there was corruption in the country. It has assumed the worst form in the States. The States should not therefore be left free to appoint their vigilance Commissions in the name of autonomy. The vigilance Commission should be an independent body free from Government control and with sufficient powers.

About Demand No. 84 I may state that the Government have wrongly acquired certain land. When the suit was filed against the Government that the contractor has paid rupees 7500. Thorough probe should be done into such matters that why the Government is waisted like this and who is responsible for this.

**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : मैं मांग संख्या ३१ और ५६ पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। मांग संख्या ५६ के अन्तर्गत केन्द्रीय चौकसी आयोग की स्थापना की बात की गयी है। आज कीमतों के बढ़ जाने से तथा दूसरे अन्य कारणों से प्रशासन में बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है। बड़े बड़े अच्छे पदों पर लगे हुए लोग भी भ्रष्ट कार्य करते हुए देखे गये हैं। हमें प्रशासन और समाज से पूर्ण रूप से इस भ्रष्टाचार को निकालना होगा। इस बारे में मैं सन्तानम समिति द्वारा जो विभिन्न सिफारिशें की गयी हैं उनके लिए उन्हें मुबारिकबाद देता हूं।

मेरा यह भी निवेदन है निगरानी आयोग गृह-कार्य मन्त्रालय के नियन्त्रण के अधीन नहीं बनाया जाना चाहिये। यह तो एक पूर्णतः स्वतन्त्र निकाय होना चाहिये जैसा कि स्कैन्दिनेविया का ओम्बडस मैनर। निगरानी आयुक्त संसद् का एक अधिकारी होना चाहिये जिस पर कि किसी भी प्रकार का कोई दबाव न हो। एकाधिकार आयोग के पद अपूर्ण हैं। इसके अधिकार क्षेत्र में से राज्य एकाधिकार पूरी तरह से निकाल दिये गये हैं। राज्य उपक्रमों में कुप्रबन्ध के बहुत से उदाहरण पाये जाते हैं। मेरे विचार में शायद आयोग इस बात का साहस करे कि वह सरकार से यह सिफारिश कर दे कि इस देश में सभी प्रकार का एकाधिकार समाप्त होना चाहिये, चाहे वह एकाधिकार सरकारी क्षेत्र में अथवा गैर सरकारी में।

**Shri Bade** (Khargone): I want to say something in connection with the demand No. 56 Rs. 4,90,000 have been demanded for the Central Vigilance Commission. I have all good wishes for the commission and will be very glad if the Commission is successful in eradicating this great evil from our soiety. This disease has gone very deep into our vitals. I have my serious doubts if any committee or commission would be able to eliminate it. In my opinion one of the main reasons of corruption was the rising prices of commodities and the increasing needs and necessities of the people.

I have given my cut motion regarding the demand no 58. I may state that the working of the Khadi Gramodyog commision suffered from grave irregularities. No proper account were kept. Will oil was sold under the name of Ghani oil. Public Accounts Committee (1963-64) in their 36th report on Page 9 has very beautifully referred to this matter.

१३ अक्तूबर १९६० को वाणिज्य मंत्रालय ने समिति को बताया कि आयोग शीघ्र ही अपने वित्तीय विनियमों को अन्तिम रूप दे देगा। समिति ने इसलिए जानना चाहा कि इन नियमों को अन्तिम रूप दिया गया है अथवा नहीं। अब उद्योग मन्त्रालय ने बताया है कि इन विनियमों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इस देरी का कारण यह है कि जिस अधिकारी को यह काम सौंपा गया था वह समय पर इसे पूरा नहीं कर सके। अब वह सारे मामले का अध्ययन कर इस दिशा में पूर्ण रूप से सक्रिय है।

Those who had been defeated in the elections on Congress Tickets were given opportunity in the Khadi Commission. I want that all such things should be stopped forthwith. I would like to urge that on the Agra-Bombay High way No. 3 a bridge should be constructed over the Narmada.

[Shri Bade]

The PAC has passed a numbet of strictures' against the appointment of the arbitrator. Whenever a case is referred to the Arbitrator, his Award is always against the Government as is evident from the examples given on page nos. 15, 16 and 19 of the Supplementary Demands which show that the Govrnment had either to pay extra to or make lesser recovery from the contractors. Giving the reasons for inordinate delay in issue of awards by arbitrators, the 26th Report of the PAC, 1963-64, explains on page 132 :

"मध्यस्थों की नियुक्ति के बाद सरकार का उन पर कोई नियन्त्रण नहीं रहता और वे अपनी सुविधा के अनुसार कार्य करते हैं। उन्हें बहुत से मामलों से निबटना पड़ता है तथा कानून के अनुसार प्रत्येक मामले की पूरी सुनवाई होना आवश्यक है।"

My suggestion is that the arbitrators should be appointed from the judiciary. There should be no room for favouritism and Government may not have to suffer such a huge loss.

**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : इन मांगों के मसौदे में असावधानी के कारण अनेक भूलें रह गई हैं। माँग को कहीं तो अनुपूरक अनुदान कहा गया है और कहीं अनुपूरक विनियोग। दूसरी बात यह कि वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव रखा गया है जबकि अन्य सभी आयोगों के लिए सचिव का उपबन्ध है। इस बारे में मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सबसे पहले मैं केन्द्रीय सतर्कता आयोग का उल्लेख करना चाहता हूं। देश में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये जनता की मांग पर तथा काफी सोच विचार के बाद यह आयोग नियुक्त किया गया है। मैं समझता हूं कि फरवरी में आयोग के पहले अध्यक्ष के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था। मैं मानता हूं कि वह बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। परन्तु जब उन्हें इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया तो वह मैसूर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश और बाद में कुछ महीने के लिये मुख्य न्यायाधीश थे तथा, जैसा कि अखबारों में छपा है और मैंने बंगलौर में लोगों से सुना है, उनके सामने २०, ३०, या ४० मुकद्मे थे जिनकी नये सिरे से सुनवाई करनी पड़ी।

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : श्रीमन्, एक प्रतिठित व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाये जा रहे हैं। वह व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश थे और अचानक ही उन्हें राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था। ऐसा होने पर वह कैसे उन मुकदमों को पूरा कर सकते थे ? इसलिए उन पर किसी अनियमितता का आरोप लगाना बहुत ही अनुपयुक्त है।

**अध्यक्ष महोदय** : इस बारे में पहले भी प्रश्न हुआ था परन्तु सरकार की ओर से कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला था, इसलिये मैं चुप रहा। आम तौर पर मैं किसी व्यक्ति विशेष का उल्लेख किए जाने की आज्ञा कभी नहीं देता।

**श्री हरि विष्णु कामत** : मन्त्री महोदय का उतर सन्तोषजनक नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि उन्हें किस तारीख को न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, किस तारीख को मैसूर राज्य के मुख्य न्यायाधीश तथा किस तारीख को राज्यपाल बनाया गया था...

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जिस विषय पर इस समय चर्चा हो रही है उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस प्रश्न को किसी और रूप में उठा सकते हैं, अनुपूरक अनुदानों के अन्तर्गत नहीं ।

**श्री हरि विष्णु कामत** : अब मैं केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सहायक निकायों की ओर आता हूं जो राज्यों में तथा कुछ राज्यों में जिला स्तर पर भी स्थापित किए गए हैं । जिला स्तर पर जो कमेटियां बनाई गई हैं वे तो एक मजाक हैं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में . . .

**अध्यक्ष महोदय** : राज्यों ने इन्हें नियुक्त किया है ?

**श्री हरि विष्णु कामत** : मध्य प्रदेश गजट अधिसूचना में है ।

**अध्यक्ष महोदय** : राज्यों ने इन्हें स्थापित किया है तो हम इस बारे में यहां चर्चा नहीं कर सकते । सदन के सामने जो अनुपूरक अनुदान हैं उनमें राज्यों द्वारा व्यय की जाने वाली राशि सम्मिलित नहीं है ।

**श्री हरि विष्णु कामत** : बजट के समय यह चीज सभा में नहीं आई थी । मैं संक्षेप में ही इसका उल्लेख करूंगा । ये जिला समितियां डाक घर हैं । इनमें संसद-सदस्य, विधान सभाओं के सदस्य और कुछ स्थानीय लोग होते हैं । जिले का कलेक्टर सारी शिकायतें उनके सामने रखता है परन्तु उनमें भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें नहीं होतीं । वे शिकायतें सम्बन्धित प्राधिकारों को भेज दी जाती हैं । बाद में यह भी नहीं देखा जाता कि क्या कार्यवाही की गई है । इसलिए मैं चाहता हूं कि ये समितियां बन्द कर दी जायें ।

इस मांग के व्याख्यात्मक टिप्पण में कहा गया है कि अपने कृत्यों के पालन में सतर्कता आयोग संघ लोक सेवा आयोग की तरह स्वतन्त्र होगा परन्तु प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये यह गृह-कार्य मन्त्रालय से सम्बद्ध रहेगा । निर्वाचन आयोग की तरह से इसे पूर्णतः स्वतन्त्र क्यों नहीं रखा गया, मैं इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

सन्थानम कमेटी की रिपोर्ट दूसरी तथा अन्तिम रिपोर्ट पर विचार करने तथा भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने में बड़ा विलम्ब किया है । मेरा निवेदन है कि इस में विलम्ब न किया जाए ।

**Shri Shivamurthy Swamy** (Koppal) : Mr. Speaker, at present the Supplementary Demands for Grants are being discussed in the House. Under Demand No. 56, the proposed Central vigilance Commission has been referred to during the course of discussion.

The announcement regarding the Chairman of this Commission has thrown cold water on the hopes and expectations which the people had from such a Commission. They had expected that this commission would go a long way in rooting out corruption. The people and Bar Association of Mysore are particularly disappointed at the appointment of the Chairman. This responsible place should have been given to a person who is energetic and above Suspicion. The judge who has been appointed Chairman does not have a forceful personality which is an obvious prerequisite for such a high status. The record of the cases which he has dealt with clearly indicates that he is lazy, lethargic and notorious for delayed judgments. Moreover, he is not above suspicion. He is fit to be the Chairman of a conference or meeting of lazy judges. I therefore, request that some such person should be brought in his place who can help eradicate corruption.



810 (Ai) LSD—9.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

I whole heartedly welcome the Central vigilance Commission in its principle and contents but the Government should be vigilent enough to see that this Commission achieves its objectives in full, otherwise, it would also becoms inefficient like Anti-Corruption Department.

Coming to Demand No. 58, I oppose that the Khadi Commission should be given Rs. 1 crore and 60 lakhs as rebate and Subsidy because it adds to corruption. As desired by Mahatma Gandhi, the Khadi Commission should be self sufficient. As at present, the members and workers of the Khadi and village Industries Commission are a sort of reserve forest for big leaders and ministers. It is a hotbed of corruption and Government must try to plug all the loopholes.

Khadi was once the Symbol of our freedom struggle but now we are ashamed of wearing it because there is so much corruption in its name. I am reminded of Gandhiji's words that if things continued like that, the day was not long to come when people would chase those wearing Gandhi Caps and give them a bloodbath. I appeal in the name pf Gandhiji and the old ideals of the Congress that corruption should immediately be rooted out so far as Khadi is concerned.

In different States, and particularly in Mysore, there is a lot of misappropriation in the accounts of the Khadi Bhandars. In several States accounts have not so far been prepared. The employees of the Khadi Bhandar in Delhi launched a movement against its director who was alleged to have given a rebate of 20 to 25 per cent to his relatives and friends while the public was allowed only 5 per cent. All the facts of the matter have appeared in papers but no action is being taken. Many of the workers, on the otherhand, are threatened and some have been downgraded for bringing into light the corrupt practices and irregularities of the Director. What is called for is that the whole matter should be gone into or referred to the Vigilance Commission.

There is only a distant hope that this amount of Rs. 1 crore and 60 lakhs would reach the weavers and other workers. The Government should see to it that this money goes into the hands of the weavers and Khadi workers and not into the pockets of the members of the Commission.

Since the policies followed by the mills and the handloom industry are at variance, the latter has a bleak future. Whatever money is given by the Government is embezzled by the members of the handloom Board and the weavers get nothing. All these things warrant a detailed discussion for which one full day should have been kept.

The Khadi Bhandars earn undue profit. They earn as much as 250 to 300 per cent profit on blankets and other articles. these Bhandars should be run at no-profit no-loss basis. Whatever grant is given by the Government should be given to the producers.

**Shri A. N. Vidyalankar :** Mr. Deputy Speaker, Sir, I am of the opinion that to bring Supplementary Demands before the House so often is not a healthy practice. We should anticipate the expenditure which we put in supplementary Demands at the time of Budget. I think that Minister of Finance could anticipate the expenditure of Monopolies Enquiry Commission and Fourth Finance

commission because at the time of Budget proposal be referred is regard to the Monopolies Enquiry Commission. These supplementary demands should I think be put exceptionally and not very often. The Hon. Member who has preceded me said that there is corruption everywhere in the Khadi and village Industries Commission and its branches. This is not correct to say. If we start a business with a small money even then the things which he described as corruption can come automatically and this is big business with Lakhs of Rupees involved in it. Therefore we can not say that only corruption and dishonesty is prevalent in this organisation. The commission is doing a very good job and making considerable progress and trying to remove all the defects. It is not desirable to pin point all the defects and not to see the bright side.

I think there was not necessity to set up Monopolies Enquiry Commission. We had already sufficient figures and information regarding concentration of wealth and this commission will submit its report after about two years. Therefore my suggestion is that instead of setting up this commission Govt. should take and indicate the immediate steps which she is going to take to check that concentration of wealth.

If we study the administrative pattern of these commissions we find that it is full of Joint secretaries, Deputy secretaries and Research officers but it has very few field workers. We should change this and to increase the number of field workers.

**डा० मेलकोटे** (हैदराबाद) : मैं खादी के बारे में जो कुछ कहा गया है उसका उत्तर देते हुए बताना चाहता हूं कि मैं उस बोर्ड का लगभग एक वर्ष तक सदस्य रहा हूं और बताना चाहता हूं कि आयोग को अपनी सभी बुराइयों की जानकारी है और उसने उनकी जांच के लिये विशेष समितियां स्थापित कर दी हैं। श्री ढेबर भाई सभी बुराइयों को दूर करने में लगे हुए हैं।

मेरा तो अपना विचार है कि खादी उद्योग ही ऐसा कुटीर उद्योग है जिससे देश के अधिकतम व्यक्तियों को खाना, कपड़ा मिल सकता है। इस उद्योग में धन भी थोड़ा लगता है ऐसा मेरा अनुभव है। मैंने १९४५ में ५,००० रुपये लगा कर एक खादी केन्द्र आरम्भ किया था जिसमें लगभग १५० व्यक्ति काम करते थे तथा ७००० गांव वालों को काम मिल गया था।

दिल्ली भंडार तथा अन्य स्थानों के बारे में जो आरोप लगाये गये हैं मैं जानता हूं कि उनकी जांच हो रही है और उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है। यह कहना कि बोर्ड अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहा है इसलिये इसको और धन नहीं दिया जाना चाहिए बड़ी गलत बात है। मैं बताना चाहता हूं कि १९४७–४८ में इसका २ करोड़ रुपये का उत्पादन था जो अब २० करोड़ रुपये का हो गया है।

**Shri Yashpal Singh** (Kairana) : My suggestion is that instead of charging two taxes at a time we should charge only one tax and this question should be looked into by finance commission.

Shri Nandaji promised that he will try to end corruption in the country within two years. But until now I do not see any sign even that corruption will end. I am of the opinion that unless the Govt. take steps to provide moral education to the people, to give maximum punishment to corrupt and to raise the salaries and wages of the low-paid it will not be possible to end the corruption.

[Shri Yashpal Singh]

I also think that vigilance commissioner should not be appointed by the Government. This work should be assigned to Supreme Court. Moreover the commissioner should not be a retired man. He should be a youngman with ambition to serve. If he be a youngman he will be less corrupt and by doing this you will also check corruption.

**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई मध्य दक्षिण): ये अनपूरक मांग ३.११ करोड़ रुपये की हैं। इन में से १.७६करोड़ रुपया चार आयोगों, खादी तथा ग्रामोद्योग, आयोग चतुर्थ वित्त आयोग, मोनोपलीज एन्क्वायरी कमीशन तथा सेंट्रल विजिलैंस कमीशन के लिये निर्धारित हैं। इसमें से खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को १.६ करोड़ रुपया अनुदान के रूप में दिया गया है। इस आयोग के बारे में कुछ विरोधी सदस्यों ने जो बातें कही हैं। वह सभी निरर्थक हैं। जो व्यक्ति जानते हैं कि इस आयोग ने कुछ वर्षों में ही जो अच्छा काम किया है वह कभी भी ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं कह सकते हैं। हमारा तो अपना यह अनुभव है कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के काम की दक्षता दूसरे विभागों तथा कार्यालयों के लिये आदर्श होना चाहिए। १९६३–६४ के वर्ष के लिए आयोग ने १८.०४ करोड़ रुपये मांगे थे परन्तु व्यवस्था केवल १३.५० करोड़ रुपये की गई थी। इसीलिये धन की कमी के कारण यह मांग १.८२ रुपये दी गई जिसको स्वीकार कर लेना चाहिए।

वित्त आयोग पांच वर्ष के बाद स्थापित किया जाता है। नया आयोग चौथा आयोग है। यह ठीक समय पर स्थापित किया गया है क्योंकि जब आयोग का प्रतिवेदन मिलेगा तब योजना आयोग चौथी योजना बना रहा होगा और इस प्रतिवेदन का वह लाभ उठा सकेगा। हम मोनोपलीज कमीशन का स्वागत करते हैं क्योंकि इससे सम्पत्ति का एकत्रीकरण समाप्त होने की आशा है।

केन्द्रीय निगरानी आयोग एक स्वतन्त्र आयोग होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके वार्षिक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जायेंगे। हम इसका स्वागत करते हैं।

**उद्योग मंत्री** (श्री कानूनगो) : १९६३–६४ में मिलों द्वारा निर्मित वनस्पति तेलों पर उत्पादन शुल्क बीस नये पैसे की दर से था जिसको समाप्त कर दिया गया था और घानी के तेल को २० नये पैसे का संरक्षण दिया गया था। बाद में आयोग तथा सरकार के बीच बातचीत होने के बाद यह तय पाया कि घानी के तेल को सरकार ६ नये पैसे सहायता और देगी। इसी कारण यह अनुपूरक मांग पेश की गई है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग में कुप्रबन्ध के आरोप लगाना गलत बात है। आयोग का प्रतिवेदन संसद् के दोनों सदनों में रखा जाता है तथा उस पर चर्चा होती है। कुप्रबन्ध के बारे में पहले भी बता चुका हूं। और यह भी बताना चाहता हूं कि आयोग की आलोचना का समय वह होता है जब उसके प्रतिवेदन पर चर्चा हो। मैं तो यही कहूंगा कि हमें आयोग की तारीफ करनी चाहिए कि उसमें इतनी दक्षता से काम होता है।

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : श्री कामत इस समय यहां नहीं हैं। उन्होंने अनुपूरक मांगों में प्रयुक्त शब्दों के बारे में कुछ कहा है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि विभिन्न प्रकार

के व्यय के लिये विभिन्न प्रकार के नाम दिये जाते हैं। जो संविधान के अनुच्छेद ११३(२) के अनुसार हैं। उन्होंने बताया कि वित्त आयोग में कोई सचिव नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि उसके एक सदस्य ही उसके सचिव हैं।

उन्होंने निगरानी आयोग के प्रधान की नियुक्त के बारे में बताया। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यदि वह मैसूर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कुछ काम निबटा न सके और बकाया छोड़ गये तो क्या वह उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। संभवतया उनको मालूम नहीं होगा कि वह कुछ समय के लिये राज्यपाल रहे और अपने पद पर पुनः लौटने के तुरन्त बाद सेवा निवृत्त हो गये और इसी कारण कुछ बकाया काम उनको छोड़ देना पड़ा था। वह बड़े ही योग्य, न्यायिक प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं।

महलनवीस समिति के प्रतिवेदन के दो भाग हमें मिल चुके हैं और उनकी हमने जांच कर ली है। यदि उनमें दिये गये सुझावों पर यदि कोई कार्यवाही करनी हुई तो सरकार उसको अवश्य करेगी। उसके बाद उसको एकाधिकार आयोग के सामने पेश किया जायेगा। जो एकाधिकार के बारे में कानून का प्रारूप बनायेगा क्योंकि इस बारे में अभी तक कोई कानून नहीं है। इसीलिए एकाधिकार आयोग की आवश्यकता पड़ी।

मेरे माननीय मित्र श्री विद्यालंकार ने एकाधिकार आयोग की नियुक्ति का समर्थन किया परन्तु साथ ही साथ उन्होंने अनुपूरक मांग की वैधता को नहीं माना। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में संविधान में भी उपबन्ध है। मैं आशा करता हूं कि हमारे यहां भविष्य में ऐसे मंत्री हो जायेंगे जो ज्योतिशशास्त्र की जानकारी रखते होंगे और भविष्य में होने वाले कार्यों की पूर्व जानकारी रखेंगे और उनके लिये व्यय होने वाले धन का अनुमान लगा लेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने सड़कों तथा मध्यस्थ निर्णय आदि के बारे में किए गए उपबन्धों की आलोचना की। मैं बताना चाहता हूं कि मध्यस्थ निर्णय आदि पर धन व्यय करना इसलिये आवश्यक हो जाता है क्योंकि मामला निबटाने में वर्षों लग जाते हैं और इस प्रकार अधिक धन व्यय करना पड़ता है। इसलिये धन तथा समय को कम करने के लिए मध्यस्थ निर्णय आवश्यक हो जाता है। मैं समझता हूं कि मैंने सभी बातों का उत्तर दे दिया है।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या १ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।**

*Cut motion No. 1 was put and negatived*

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष १९६४-६५ के लिये अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं।**

**The following Demands for Supplementary Grants for the year 1964-65 were put and adopted.**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रूपये |
| ३१ | वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | १०,७३,००० |
| ५६ | गृह-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | ४,६०,००० |
| ५८ | उद्योग . . | १,६०,००,००० |
| ८५ | संचार (राष्ट्रीय राज मार्ग सहित) . | ४५,००,००० |
| १४५ | डाक तथा तार का पूंजी परिव्यय (राजस्व से देय नहीं) . | ६०,००,००० |

---

# विनियोग (संख्या ४) विधेयक १९६४

## APPROPRIATION (No. 4) BILL, 1964

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।'

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।'

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड १, २ तथा ३, अनुसूची, विधेयक का नाम और अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।'

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

**खंड १, २ तथा ३ अनुसूचि विधेयक का नाम और अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

**Clauses 1, 2 and 3 the schedule the title and Enacting formula were added to the Bill.**

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

---

## गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक—जारी

**Slum Areas (Improvement and Clearance Amendment Bill—*contd.***

**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा में अब ६ मई, १९६४ को श्री मेहरचन्द खन्ना द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :

"कि गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) अधिनियम, १९५६ में संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये ।"

श्री दे० शि० पाटिल अपना भाषण जारी रखें ।

**Shri D. S. Patil** (Yeotmal): Sir, I am of the opinion that this Bill should be implemented by all the states of India imstead of its implementation in Delhi only. Therefore State Governments should be persuaded to bring a similar measure in their states.

[Shri D. S. Patil]

The population of Delhi is increasing day by day. In 1941 it was 9·17 Lakhs. In 1951 it was 17·44 Lakhs. In 1961 it was 26·57 Lakhs. Due to this rapid increase this problem has become serious and it means that more than 50 percent persons are homeless. In Bombay 76,000 persons are homeless. In Mysore 10·6 percent persons are homeless. Previously this problem was in cities only but now it has spread to villages also. A survey was conducted in 1958 and it was found that 33 percent persons in villages are homeless. They are mostly Scheduled castes or Tribes people. The Government should consider this aspect of the problem.

Slum areas are increasing in the cities because large number of villagers are migrating to cities on account of prevailing unemployment in the villages and non-availability of minimum facilities of water, housing and education. Due to industrialisation villagers find employment in the cities and migrate there. This problem to be solved with this view in mind.

I think if we develop new areas and start new industries then we should make some provision for their housing facilities. We should also try to check the further migration from villages to cities.

Bharat Sewak Samaj has conducted a social economic survey in Delhi and found that 47,500 families are living in Slums in Delhi. I welcome this Bill but suggest that a provision should be made in it that their programmes will be completed within 12 months. We should fix some time limit in this respect.

In the end I suggest that we should also take steps to remove the slum areas of villages also so that poor villagers also should get houses. I regret that Planning Commission has not made any provision in this respect. I again request the Minister that this type of Bill should be made for the whole country.

**महाराज कुमार विजय आनन्द** (विशाखापटनम) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय चर्चाधीन सराहनीय विधेयक के लिए बधाई के पात्र हैं। हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय पंडित नेहरू जी की यह हार्दिक इच्छा थी कि इस देश में एक भी गन्दी बस्ती न रहे। यदि हम उनके स्वप्न को साकार करना चाहते हैं तो इसके लिए एक और अधिक व्यापक विधेयक लाने की आवश्यकता है क्योंकि प्रस्तुत विधेयक का कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक नहीं है।

ये गन्दी बस्तियां विशेष रूप से शहरों में, देश के लिये अशोभनीय बात है। इन गन्दी बस्तियों में अपराधी तथा गुन्डे पनाह लेते हुए पाये गये हैं। सरकार को इन बस्तियों में रहने वाले लोगों तथा उनके व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी रहनी चाहिए।

सरकार को गन्दी बस्तियों का अधिग्रहण करके उनका विकास करना चाहिए। गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए छोटे छोटे मकान बनाये जाने चाहिए और इनमें बसाये जाने वाले लोगों से बहुत कम किराया लिया जाना चाहिए। सरकार को अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद यह व्यवस्था करनी चाहिए कि इन बस्तियों में कोई अपराधी या गुन्डा व्यक्ति न रह सके।

प्रायः देखा गया है कि गन्दी बस्तियों, कारखानों तथा अन्य उद्योगों के आस पास बसती हैं क्योंकि इन कारखानों और उद्योगों में काम करने वाले लोग झोंपड़ी बना कर वहीं बस जाते हैं। अतः सरकार को, देश के हित को ध्यान में रखते हुए, भविष्य में कारखाने तथा उद्योग शहर से दूर गांवों में स्थापित करने चाहिए ताकि शहरों में गन्दी बस्तियों की संख्या में वृद्धि न हो।

गन्दी बस्तियों की सफाई के कार्य पर २,००० करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। इन बस्तियों सम्बन्धी कार्यक्रम को सुव्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करने के लिये प्रति वर्ष २०० करोड़ रुपये व्यय किये जाने चाहिए। इससे दस वर्षों में सारी गन्दी बस्तियां समाप्त हो जायेंगी।

गन्दी बस्तियों की संख्या में वृद्धि होने का एक मुख्य कारण यह भी है कि निर्वाह व्यय इतना बढ़ गया है कि कम आय वाला व्यक्ति किराये के मकान में रहने की बात सोच भी नहीं सकता है और गन्दी बस्ती में जाकर दयनीय दशा में रहने के लिए मजबूर हो जाता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य और समय चाहते हैं।

**महाराज कुमार विजय आनन्द** : मैं अपना भाषण कल जारी रखूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वे अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। सभा कल तक के लिए स्थगित होती है।

**इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, ३ जून, १९६४/१३ ज्येष्ठ, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 3rd, June, 1964/13 Jyaistha, 1886 (Saka)**



GMGIPND—LS III—810 (Ai) LSD—17-7-64—600.